



दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण
DEENDAYAL PORT AUTHORITY



**वर्ष 2024-25 का वार्षिक लेखा तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट और
तत्संबंधित कारवाई से सम्बंधित टिप्पणियां**
**ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR 2024-25 AND AUDIT
REPORT WITH ACTION TAKEN NOTE THEREON**

नोट: वार्षिक लेखा तथा पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के हिंदी अनुवाद में यदि कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में जारी प्रतिवेदन मान्य होगा

DEENDAYAL PORT AUTHORITY		
INDEX		
Sr. No.	Description	Page Nos.
A	<u>ANNUAL ACCOUNTS (CONSOLIDATED)</u>	
1	Balance Sheet	1
2	Schedule of Balance Sheet	2-7
3	Profit and Loss Account	8
4	Schedule of Profit and Loss Account	9-13
5	Accounting Policies and Notes forming parts of Accounts	14-46
B	Balance Sheet, Income Expenditure & Receipt Payment Account of Kandla Port Employees Gratuity Fund for 2024-25	47-53
C	Balance Sheet, Income Expenditure & Receipt Payment Account of Kandla Port Superannuation Scheme for 2024-25	54-63
D	Separate Audit Report & Action Taken Note	64-70

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण		
अनुक्रमणिका		
क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
क	वार्षिक खाते (समेकित)	
1	तुलन पत्र	1
2	तुलन पत्र की अनुसूची	2-7
3	लाभ - हानि खाता	8
4	लाभ और हानि खाते की अनुसूची	9-13
5	लेखांकन नीतियां एवं खातों के भाग रूप टिप्पणियाँ	14-46
ख	वर्ष 2024-25 के लिए कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान निधि का तुलन पत्र, आय व्यय और प्राप्ति भुगतान खाता	47-53
ग	वर्ष 2024-25 के लिए कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना का तुलन पत्र, आय-व्यय और प्राप्ति भुगतान खाता	54-63
घ	अलग ऑडिट रिपोर्ट और की गई कारवाई नोट	64-70

DRAFT BOARD NOTE

SUB : ANNUAL ACCOUNTS OF DPA FOR THE YEAR 2024-25

The Annual Accounts of the Deendayal Port Authority for the year 2024-25 have been drawn up in the prescribed formats as required under section 44 (1) of the Major Port Authorities Act 2021. The Annual Accounts are to be submitted to the Office of the Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai for statutory audit, duly approved by Board. Accordingly, the Annual Accounts are prepared and attached herewith. The salient features of the financial performance are as under:

1. Traffic

The year 2024-25 witnessed an increase of 13.43% in cargo throughput. The port has handled 1501.57 lakh tonnes in 2024-25 as against 1323.74 lakh tonnes in 2023-24. The traffic at Kandla and Vadinar is tabulated below:

SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2024-25	ACTUAL 2024-25	ACTUAL 2023-24
I.	KANDLA			
1	Dry Cargo	602.79	653.62	486.37
	(a) Port	501.29	555.92	386.06
	(b) BOT Operators	101.50	97.71	100.32
2	Liquid Cargo	179.00	183.08	169.96
3	Container (BOT)	75.00	80.83	84.5
	(TEUs in Lakhs)	(4.39)	(4.75)	(4.63)
4	Transshipment	2.30	11.23	1.89
	Transshipment – TEU (CONTAINERS)	0.01	424 TEU (in numbers)	0.05
	Total	859.10	928.76	742.72
II.	VADINAR			
1	Crude Oil	445.00	466.21	474.17
2	POL	102.00	106.60	106.85
	Total	547.00	572.81	581.02
	OVERALL	1406.10	1501.57	1323.74
	GRT in lakhs tonnes	1074.15	1139.06	1037.32
	Number of Vessels	4315	3732	3320
	BOT BREAKUP			
3	Tuna Tekra	95	92.94	96.71
4	Barge Jetty	6.50	4.76	3.60
5	Container Terminal	75.10	80.88	85.02
	Total	176.6	178.58	185.33

बोर्ड टिप्पणियों का मसौदा

विषय - वर्ष 2024-25 के लिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का वार्षिक लेखा

वर्ष 2024-25 के लिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का वार्षिक लेखा, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 की धारा 44(1) के अधीन यथापेक्षित विहित प्रारूपों में तैयार किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक लेखों को सांविधिक लेखापरीक्षा हेतु प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (पोत परिवहन), मुंबई के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। तदनुसार वार्षिक लेखे तैयार कर लिये गये हैं और इसके साथ संलग्न हैं। वित्तीय कार्यनिष्पादन के महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत हैं : -

1. यातायात

वर्ष 2024-25 के दौरान यातायात में 13.43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पोर्ट ने वर्ष 2023-24 के 1323.74 लाख टन की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान 1501.57 लाख टन नौभार संभाला। कंडला तथा वाडीनार संबंधी यातायात नीचे सारणीबद्ध हैं:

क्र.सं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2023-24
I.	कंडला			
1	शुष्क नौभार	602.79	653.62	486.37
	(क) पोर्ट	501.29	555.91	386.06
	(ख) बीओटी प्रचालक	101.50	97.71	100.32
2	तरल नौभार	179.00	183.08	169.96
3	कंटेनर (बीओटी)	75.00	80.83	84.5
	(टीईयू लाखों में)	(4.39)	(4.75)	(4.63)
4	यानान्तरण	2.30	11.23	1.89
	यानान्तरण - टीईयू (कन्टेनर)	0.01	424 टीईयू (संख्या में)	0.05
	कुल	859.10	928.76	742.72
II.	वाडीनार			
1	कूड तेल	445.00	466.21	474.17
2	पीओएल	102.00	106.60	106.85
	कुल	547.00	572.81	581.02
	सकल	1406.10	1501.57	1323.74
	जीआटी लाख टन में	1074.15	1139.06	1037.32
	जलयानों की संख्या	4315	3732	3320
	बीओटी ब्यौरा			
3	तूणा टेकरा	95	92.94	96.71
4	बजरा जेटी	6.50	4.76	3.60
5	कंटेनर टर्मिनल	75.10	80.88	85.02
	कुल	176.6	178.58	185.33

2. Financial Result

The summary of the financial performance of the Port for the year 2024-25 is as under: -

(All Amount mentioned in the note are in Rupees lakhs unless otherwise stated)

(Rs. in lakhs)

SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2024-25	ACTUAL 2024-25	ACTUAL 2023-24
1	Operating Income	275522.54	282001.60	249315.03
2	Operating Expenditure	104611.45	100737.92	98927.53
3	Operating Surplus	170911.09	181263.68	150387.51
4	Non-Operating income	36148.60	32049.46	61109.05
5	Non-Operating exp.	23751.91	25584.72	14348.30
6	Profit before tax	183307.78	187728.42	197148.25
7	Provision for Income tax & Deferred tax	60062.67	61486.50	63678.88
8	Profit / (-) Loss after tax	123245.11	126241.92	133469.37
9	Add: Income Tax refund of prior period	0.00	39489.43	64900.61
10	Less: Income Tax for prior period	0.00	21113.05	66314.18
11	Net Profit /(-) Loss after tax	123245.11	144618.30	132055.81

2.1 Operating Income - The activity wise details of operating income are as follows: -

(Rs. in lakhs)

SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2024-25	ACTUAL 2024-25	ACTUAL 2023-24
1	Cargo Handling & Storage	93656.23	98153.11	86700.59
	(a) DPA	71973.23	76195.25	64658.90
	(b) BOT	21683.00	21957.86	22041.69
2	Port & Dock Facility	130054.61	146793.54	127091.39
3	Estate Rentals	50333.37	35930.91	34009.20
	(a) DPA	44659.54	30446.30	28063.64
	(b) BOT	5673.83	5484.61	5945.56
4	Township	681.46	544.48	899.96
5	Railway Earnings	796.86	579.56	613.90
	Total	275522.53	282001.60	249315.03

The operating income has increased by Rs. 32686.57 lakhs (13.11%) compared to last year due to increase in traffic handled by 13.43% as compared to last year.

2. वित्तीय परिणाम

वर्ष 2024-25 के दौरान पोर्ट के वित्तीय निष्पादन का सार निम्नवत है : -
(जब तक अन्यथा न कहा जाए टिप्पणी में दी गई सभी राशि लाख रुपये में हैं)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2023-24
1	परिचालन आय	275522.54	282001.60	249315.03
2	परिचालन व्यय	104611.45	100737.92	98927.53
3	परिचालन अधिशेष	170911.09	181263.68	150387.51
4	गैर परिचालन आय	36148.60	32049.46	61109.05
5	गैर परिचालन व्यय	23751.91	25584.72	14348.30
6	कर से पूर्व लाभ	183307.78	187728.42	197148.25
7	आयकर हेतु प्रावधान एवं आस्थगित कर	60062.67	61486.50	63678.88
8	कर के पश्चात लाभ/(-)हानि	123245.11	126241.92	133469.37
9	जोड़ें: पूर्व अवधि हेतु आयकर रिफंड	0.00	39489.43	64900.61
10	घटाएं: पूर्व अवधि हेतु आयकर	0.00	21113.05	66314.18
11	कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(-)हानि	123245.11	144618.30	132055.81

2.1 परिचालन आय - गतिविधिवार परिचालन आय का विवरण निम्नवत है:-

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2023-24
1	नौभार प्रहस्तन एवं भंडारण	93656.23	98153.11	86700.59
	(क) डीपीए	71973.23	76195.25	64658.90
	(ख) बीओटी	21683.00	21957.86	22041.69
2	पोर्ट एवं गोदी सुविधा	130054.61	146793.54	127091.39
3	संपदा किराया	50333.37	35930.91	34009.20
	(क) डीपीए	44659.54	30446.30	28063.64
	(ख) बीओटी	5673.83	5484.61	5945.56
4	नगरक्षेत्र	681.46	544.48	899.96
5	रेल्वे अर्जन	796.86	579.56	613.90
	कुल	275522.53	282001.60	249315.03

पिछले वर्ष की तुलना में यातायात में 13.43% की वृद्धि के कारण परिचालन आय में रु. 32686.57 लाख (13.11%) की वृद्धि हुई है।

2.2 Operating Expenditure - The breakup of the operating expenditure is as follows

(Rs. in lakhs)

SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2024-25	ACTUAL 2024-25	ACTUAL 2023-24
1	Salary and wages	24559.35	23553.25	24061.52
2	Stores	997.34	880.08	938.94
3	Office & administration expenses	3110.42	2288.01	2584.43
4	Dredging	14704.86	12406.64	11780.06
5	Operation & maintenance expenses	34524.27	34678.08	34259.01
6	CISF & other security	5592.50	5648.35	5253.91
7	Medical	3570.42	2764.10	3123.94
8	Depreciation	15122.76	15942.40	14789.19
9	Other expenditure	2429.53	2577.02	2136.53
	Total	104611.45	100737.92	98927.53

There is an increase in operating expenditure by Rs. 1810.39 lakhs (1.83%) as compared to the previous year due to reason as below: -

- Increase in expenditure on maintenance dredging by Rs. 626.58 lakhs due to award of fresh contract.
- Operation & Maintenance expenses has increased by Rs.419.07 lakhs due to:
 1. Increase in hire charges of crafts by Rs. 607.33 lakhs mainly due to hire of additional craft at Kandla and award of fresh contract for Marine Services at Tuna.
 2. Increase in hire charges of vehicles by Rs. 101.47 lakhs.
 3. Increase in expenditure on fuel and power by Rs.1093.99 lakhs and Rs. 35.96 lakhs respectively.

The above increase has been offset by decrease in expenditure on R&M of Equipment, Craft, Infrastructure, water charges by Rs. 1419.70 lakhs

- Increase in security expenditure by Rs. 394.44 lakhs due to increase in deployment cost of additional CISF personnel and deployment of private security during the year 2024-25.
- Increase in Depreciation expense by Rs. 1153.21 lakhs due to capitalisation of assets.
- Increase in other expenses by Rs.440.50 lakhs mainly due to increase in Insurance premium of port properties and other misc. contingent expenditure on hoisting of various events.
- The overall salary wages expenditure has decreased by Rs. 508.27 lakhs as compared to previous year. The increase in 2024-25 due to wage revision has been offset by decrease in overtime expenditure and further adjustment of Rs. 1153.09 lakhs towards overheads on capitalization of assets.
- The above increase has been offset by decrease in Medical expenditure, Store expenses, Office and Admin. Expenses.

2.2 परिचालन व्यय - परिचालन व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:-

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन. 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2023-24
1	वेतन तथा मजदूरी	24559.35	23553.25	24061.52
2	भंडार	997.34	880.08	938.94
3	कार्यालय और प्रशासन व्यय	3110.42	2288.01	2584.43
4	निकर्षण	14704.86	12406.64	11780.06
5	परिचालन और अनुरक्षण व्यय	34524.27	34678.08	34259.01
6	सीआईएसएफ तथा अन्य सुरक्षा	5592.50	5648.35	5253.91
7	चिकित्सा	3570.42	2764.10	3123.94
8	मूल्यहास	15122.76	15942.40	14789.19
9	अन्य व्यय	2429.53	2577.02	2136.53
	कुल	104611.45	100737.92	98927.53

निम्नलिखित कारणों से पिछले वर्ष की तुलना में परिचालन व्यय में रु. 1810.39 लाख (1.83%) की वृद्धि हुई:-

- नए अनुबंध दिए जाने के कारण रखरखाव ड्रेजिंग पर व्यय में 626.58 लाख रुपये की वृद्धि हुई।
- परिचालन एवं रखरखाव व्यय में 419.07 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, जिसके कारण हैं:
 1. कांडला में अतिरिक्त क्राफ्टों के किराये और टूना में समुद्री सेवाओं के लिए नए अनुबंध के पुरस्कार के कारण क्राफ्टों के किराया शुल्क में 607.33 लाख रुपये की वृद्धि हुई।
 2. वाहनों के किराया प्रभार में 101.47 लाख रुपये की वृद्धि हुई।
 3. ईंधन और बिजली पर व्यय में क्रमशः 1093.99 लाख रुपये और 35.96 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

उपरोक्त वृद्धि उपकरण, क्राफ्ट, अवसंरचना एवं जल प्रभार के मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय में 1419.70 लाख रुपये की कमी से संतुलित किया गया।

- वर्ष 2024-25 के दौरान अतिरिक्त सीआईएसएफ कार्मिकों की तैनाती लागत और निजी सुरक्षा की तैनाती में वृद्धि के कारण सुरक्षा व्यय में 394.44 लाख रुपये की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के कारण मूल्यहास व्यय में 1153.21 लाख रुपये की वृद्धि हुई।
- अन्य व्ययों में 440.50 लाख रुपये की वृद्धि मुख्यतः बंदरगाह संपत्तियों के बीमा प्रीमियम में वृद्धि और विभिन्न आयोजनों के आयोजन पर अन्य विविध आकस्मिक व्यय के कारण हुई।
- पिछले वर्ष की तुलना में कुल वेतन-मजदूरी व्यय में 508.27 लाख रुपये की कमी आई है। वेतन संशोधन के कारण 2024-25 में हुई वृद्धि को ओवरटाइम व्यय में कमी और परिसंपत्तियों के पूंजीकरण पर ओवरहेड्स के लिए 1153.09 लाख रुपये के अतिरिक्त समायोजन द्वारा संतुलित किया गया है।
- उपरोक्त वृद्धि को चिकित्सा व्यय, भंडार व्यय, कार्यालय और प्रशासनिक व्यय में हुई कमी के साथ प्रतिसंतुलित किया गया।

2.3 Non-Operating Income - The major sources of non-operating income are:

(Rs. in lakhs)

SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2024-25	ACTUAL 2024-25	ACTUAL 2023-24
1	Interest on investment	35000.00	39482.39	30970.53
2	Interest on advance to staff	73.75	50.07	74.23
3	Income tax refund	0.00	6676.70	7104.48
4	Prior Period Income	217.85	(16868.82)	12825.87
5	Overhead Income (Supervision of Pipeline)	245.50	1081.07	1094.65
6	Other receipts and penalties	611.50	1628.06	9039.29
	Total	36148.60	32049.46	61109.05

The overall F&M income has decreased by Rs. 29059.60 lakhs as compared to the previous year mainly due to:

- Decrease in prior period income by Rs.29694.69 lakhs which is due to:
 - Adjustment of proportionate estate rentals of Rs. 7884.56 lakhs received in advance in 2023-24 in compliance of audit observation.
 - Adjustment of estate rentals of Rs. 8682.04 lakhs booked against debtors in previous years.
 - Reduction in receipt of prior period income (old land dues) as compared to 2023-24.
- Other receipts had increased in 2023-24 by Rs.7311.93 lakhs due to sale of Duty Scripts.

The above decrease is offset by increase in interest on investment by Rs.8511.86 lakhs due to increase in rate of interest and investible surplus.

2.4 Non-Operating Expenditure - The finance & miscellaneous expenditure comprises the following major items.

(Rs. in lakhs)

SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2024-25	ACTUAL 2024-25	ACTUAL 2023-24
1	Contribution to Pension	10000.00	9657.00	4219.00
2	Contribution to Gratuity	1500.00	1297.22	0.00
3	Welfare expenditure	180.70	230.00	114.26
4	Contribution to CSR	2641.00	2641.00	2149.00
5	Contribution to Leave Encashment	600.00	1295.10	920.89
6	Contribution to NPS	577.40	533.95	523.64
7	Technical Advisory Fees & Others	1138.31	1547.99	2640.33
8	Prior Period & other expenditures	7114.50	8382.45	3781.18
	Total	23751.91	25584.71	14348.30

The F&M expenditure has increased by Rs. 11236.41 lakhs as compared to the previous year, on account of:

2.3 गैर परिचालन आय - गैर-परिचालन आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन. 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2023-24
1	निवेश पर ब्याज	35000.00	39482.39	30970.53
2	स्टाफ के अग्रिम पर ब्याज	73.75	50.07	74.23
3	आयकर रिफंड	0.00	6676.70	7104.48
4	पूर्व अवधि आय	217.85	(16868.82)	12825.87
5	उपरिशीर्ष आय (पाइपलाइन का पर्यवेक्षण)	245.50	1081.07	1094.65
6	अन्य प्राप्तियां तथा शास्तियां	611.50	1628.06	9039.29
	कुल	36148.60	32049.46	61109.05

निम्नलिखित कारणों से पिछले वर्ष की तुलना में सकल वित्त एवं विविध आय में 29059.60 लाख रुपये की कमी आई है:-

- पूर्व अवधि की आय में 29694.69 लाख रुपये की कमी आई, जिसके निम्नलिखित कारण हैं:
 - लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण के अनुपालन में वर्ष 2023-24 में अग्रिम रूप से प्राप्त 7884.56 लाख रुपये के आनुपातिक संपदा किराये का समायोजन।
 - पिछले वर्षों में देनदारों के सामने दर्ज 8682.04 लाख रुपये के संपदा किराये का समायोजन।
 - वर्ष 2023-24 की तुलना में पूर्व अवधि की आय (पुरानी भूमि बकाया) की प्राप्ति में कमी।
- वर्ष 2023-24 में ड्यूटी स्क्रिप्ट की बिक्री के कारण अन्य प्राप्तियों में 7311.93 लाख रुपये तक वृद्धि हुई। उपरोक्त कमी को ब्याज दर और निवेश योग्य अधिशेष में वृद्धि के कारण निवेश पर ब्याज में 8511.86 लाख रुपये की वृद्धि के साथ प्रतिसंतुलित किया गया।

2.4 गैर परिचालन व्यय- वित्त तथा विविध व्यय में निम्नलिखित प्रमुख मदें समाविष्ट हैं:-

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन. 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2023-24
1	पेंशन में अंशदान	10000.00	9657.00	4219.00
2	उपदान में अंशदान	1500.00	1297.22	0.00
3	कल्याणकारी व्यय	180.70	230.00	114.26
4	सीएसआर में अंशदान	2641.00	2641.00	2149.00
5	अवकाश नकदीकरण में अंशदान	600.00	1295.10	920.89
6	एनपीएस में अंशदान	577.40	533.95	523.64
7	तकनीकी परामर्शी शुल्क एवं अन्य	1138.31	1547.99	2640.33
8	पूर्व अवधि तथा अन्य व्यय	7114.50	8382.45	3781.18
	कुल	23751.91	25584.71	14348.30

निम्नलिखित कारणों से पिछले वर्ष की तुलना में वित्त तथा विविध व्यय में 11236.41 लाख रुपये की वृद्धि हुई है:-

- Increase in contribution to Pension Trust by Rs.5438.00 lakhs, Leave Encashment Fund by Rs.374.21 lakhs and Contribution of Rs. 1297.22 to Gratuity Fund based on Actuarial Valuation Report.
- Increase in contribution to CSR Fund by Rs. 492.00 lakhs.
- Welfare expenditure has increased by Rs.115.74 lakhs.
- Increase in prior period and other expenditure by Rs. 4601.27 lakhs mainly due to payment of wage revision arrears of Rs. 3065.63 lakhs, increase of Rs.193.15 lakhs in prior period expenditure including depreciation, Corporate Environment Expenses (CER) of Rs.566.17 lakhs, Ex-gratia on VRS by Rs. 229.21 lakhs, GST of Rs. 1513.32 lakhs paid on demand which is offset mainly by decrease in loss on disposal of assets by Rs. 1115.01 lakhs and in other expenditure.

The profit before tax for the current year, thus, stands at Rs.187728.42 lakhs as against Rs. 197148.25 lakhs of previous year.

2.5 The provision for income tax for current year comes to Rs 61486.50 lakhs, as against of Rs. 63678.88 lakhs of last year. Income Tax refunds of prior period amounting to Rs.39489.43 lakhs has been adjusted against the Income Tax demands of prior period amounting to Rs.21113.05 lakhs. Hence, there is net profit after tax of Rs.144618.30 lakhs as against Rs.132055.81 lakhs during previous year.

2.6 The appropriation of Rs. 19323.93 lakhs made to the following reserves and funds as under:

(Rs. in lakhs)

1	Capital Reserve - Profit on disposal of Capital Asset	48.84
2	Two 3% MPC reserves	19275.09
	Total	19323.93

3. Financial Position:

The financial position of the Port Authority is tabulated below: -

(Rs. in lakhs)

A.	LIABILITIES	ACTUAL 2024-25	ACTUAL 2023-24
a)	Capital Reserve	385566.84	385518.00
b)	Revenue Reserve	667182.55	520748.41
d)	Capital debt	0.00	0.00
e)	Current Liability & Provisions	716646.97	651990.66
	Total Liability	1769396.36	1558257.07
B.	ASSETS		
a)	Fixed asset less depreciation	352549.91	313722.14
b)	Capital work in progress	114638.93	97343.62
c)	Investment	609962.66	472143.62
d)	Current asset	685348.63	667247.45
	Total Asset	1762500.13	1550456.82
C.	Working capital	(31298.34)	15256.78
D.	Capital employed	321251.57	328978.92
E.	Net Worth	1052749.39	906266.41
F.	ROR on Capital employed	39.30%	40.57%
G.	Operating ratio	35.72%	39.68%
H.	Cost per tonne	63.45	70.12

- पेंशन ट्रस्ट अंशदान में 5438.00 लाख रुपये की वृद्धि, अवकाश नकदीकरण निधि में 374.21 लाख रुपये की वृद्धि और बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर उपदान निधि में 1297.22 रुपये का अंशदान।
- सीएसआर निधि अंशदान में 492.00 लाख रुपये की वृद्धि।
- कल्याणकारी व्यय में 115.74 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।
- पूर्व अवधि और अन्य व्यय में 4601.27 लाख रुपये की वृद्धि मुख्य रूप से वेतन संशोधन बकाया के रूप में 3065.63 लाख रुपये का भुगतान, मूल्यहास सहित पूर्व अवधि के व्यय में 193.15 लाख रुपये की वृद्धि, कॉर्पोरेट पर्यावरण व्यय (सीईआर) 566.17 लाख रुपये, वीआरएस पर अनुग्रह राशि 229.21 लाख रुपये, जीएसटी 1513.32 लाख रुपये के मांग पर भुगतान किया, जिसको मुख्य रूप से परिसंपत्तियों के निपटान पर हुई हानि रुपये 1115.01 लाख की कमी तथा अन्य व्यय के साथ प्रतिसंतुलित किया गया।

इस प्रकार, पिछले वर्ष के 197148.25 लाख रुपये की तुलना में चालू वर्ष हेतु कर-पूर्व लाभ 187728.42 लाख रुपये रहा।

2.5 गत वर्ष के रु. 63678.88 लाख की तुलना में चालू वर्ष के लिए आयकर प्रावधान रु. 61486.50 लाख रहा। पूर्व अवधि के 39489.43 लाख रुपये के आयकर रिफंड को पूर्व अवधि के रु. 21113.05 लाख के आयकर मांग के साथ समायोजित किया गया है। इस प्रकार, पिछले वर्ष के 132055.81 लाख रुपये की तुलना में कर पश्चात शुद्ध लाभ 144618.30 लाख रुपये है।

2.6 निम्नलिखित आरक्षितियों तथा निधियों में रु 19323.93 लाख का विनियोजन किया गया है:-

(लाख रु. में)

1	पूँजीगत परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ	48.84
2	दो 3% एम.पी.सी. आरक्षितियां	19275.09
	कुल	19323.93

3. वित्तीय स्थिति:

पतन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति नीचे सारणीबद्ध है:-

(लाख रु. में)

क.	देयताएं	वास्तविक आंकड़े 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2023-24
क)	पूँजीगत आरक्षित	385566.84	385518.00
ख)	राजस्व आरक्षित	667182.55	520748.41
ग)	पूँजीगत ऋण	0.00	0.00
घ)	चालू देयता तथा प्रावधान	716646.97	651990.66
	कुल देयता	1769396.36	1558257.07
ख.	परिसंपत्तियां		
क)	स्थायी परिसंपत्ति मूल्यहास घटाकर	352549.91	313722.14
ख)	चालू पूँजीगत कार्य	114638.93	97343.62
ग)	निवेश	609962.66	472143.62
घ)	चालू परिसंपत्ति	685348.63	667247.45
	कुल परिसंपत्ति	1762500.13	1550456.82
ग.	कार्यशील पूँजी	(31298.34)	15256.78
घ.	नियोजित पूँजी	321251.57	328978.92
ड.	शुद्ध मूल्य	1052749.39	906266.41
च.	नियोजित पूँजी पर आर ओ आर	39.30%	40.57%
छ.	परिचालन अनुपात	35.72%	39.68%
ज.	प्रतिटन लागत	63.45	70.12

4. Capital Expenditure:

The capital expenditure incurred on plan and non-plan work is shown below: -

(Rs. in lakhs)				
SR. NO.	PARTICULARS	R.E. 2024-25	ACTUAL 2024-25	ACTUAL 2023-24
1	Construction/Strengthening of Berth	3693.93	4287.19	9570.23
2	Procurement of Craft/Equipment	23528.15	22871.80	5203.41
3	Rail & Road connectivity	20314.77	22692.91	14837.46
4	Green Energy Project	0.00	0.00	0.00
5	Smart Industrial Port City	373.00	199.49	4.89
6	RO-RO/RO-Pax Projects	1126.00	205.23	1486.55
7	Sagarmala schemes	1110.00	171.75	2435.34
8	Other Works above 5 crores	32765.90	24170.54	41552.51
9	Other Works up-to 5 crores	3079.60	2152.77	1705.99
	Total	85991.35	76751.67	76796.38

The capital expenditure has been funded out from the internal resources of the Port and Financial assistance under Sagarmala programme towards "Dredging in Approach channel, turning circle, Berth pocket and surrounding of landing Pontoon etc @ Ghogha RO-RO Terminal, Gujarat", "Construction of RO-RO ROPAX ferry at Muldwarka, "Construction of RO-RO ROPAX ferry at Hazira". The Work-in progress, amounting to Rs. 59167.28 lakhs has been capitalized during the year.

योजनाबद्ध तथा गैरयोजनाबद्ध कार्य पर हुआ पूंजीगत व्यय नीचे दर्शाया गया है :-

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	परिशोधित प्राक्कलन. 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2024-25	वास्तविक आंकड़े 2023-24
1	घाट का निर्माण/सुदृढ़ीकरण	3693.93	4287.19	9570.23
2	जलयान/ उपकरण की खरीद	23528.15	22871.80	5203.41
3	रेल और सड़क संयोजन	20314.77	22692.91	14837.46
4	हरित ऊर्जा परियोजना	0.00	0.00	0.00
5	स्मार्ट औद्योगिक पोर्ट शहर	373.00	199.49	4.89
6	रो-रो/रो-पैक्स परियोजना	1126.00	205.23	1486.55
7	सागरमाला योजना	1110.00	171.75	2435.34
8	5 करोड़ से अधिक के अन्य कार्य	32765.90	24170.54	41552.51
9	रु. 5 करोड़ तक के अन्य कार्य	3079.60	2152.77	1705.99
	कुल	85991.35	76751.67	76796.38

सागरमाला कार्यक्रम के तहत गुजरात में घोघा रो-रो टर्मिनल के आसपास, "एप्रोच चैनल, टर्निंग सर्कल, बर्थ पॉकेट और लैंडिंग पॉटून आदि के आसपास ड्रेजिंग", "मूल द्वार का में रो-रो रोपेक्स फेरी का निर्माण," "हजीरा में रो-रो रोपेक्स फेरी" के लिए पूंजीगत व्यय की धनराशि पत्तन के आन्तरिक संसाधनों और वित्तीय पोषण से वित्तपोषित की गई है। वर्ष के दौरान रु. 59167.28 लाख की राशि चालू कार्य में पूंजीकृत की गई।

// 1 //

DEENDAYAL PORT AUTHORITY
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2025

(Rs. In lakhs)

	Sch. No.	As at 31st March, 2025			As at 31st March, 2024		
SOURCES OF FUNDS							
RESERVES AND SURPLUS	1						
Capital reserve			385566.84			385518.00	
Revenue reserves			622197.79			465962.35	
Statutory reserves			44984.76			23844.98	
Infrastructure reserve			0.00	1052749.39		30941.08	906266.41
LOAN FUNDS	2						
Loans				0.00			0.00
TOTAL				1052749.39			906266.41
APPLICATION OF FUNDS							
FIXED CAPITAL ASSETS	3						
Gross block		515950.75			459397.01		
Less Depreciation provision		163290.64	352660.12		145582.64	313814.37	
Add: Capital work in progress			114528.73	467188.85		97251.39	411065.75
INVESTMENTS	4						
General Fund investment			609962.66			472143.62	
Leave Encashment Fund Investment (LIC)			6896.23	616858.88		7800.25	479943.87
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	5						
Current assets							
i) Accrued interest			23228.56			18640.40	
ii) Inventories			90.63			54.16	
iii) Sundry debtors			60024.47			63884.36	
iv) Cash and bank balances			24489.52			20770.90	
v) Provident fund investments			28303.00			28900.00	
			136136.18			132249.81	
LOANS, ADVANCES & DEBIT BALANCES	6						
iv) Advances & debit balance		100505.59			115818.77		
vi) Deposits		5261.86			965.38		
vii) Advance tax, Demand & TDS		443444.99	549212.45		418213.49	534997.63	
			685348.63			667247.45	
			716646.97			651990.66	
LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	7						
NET CURRENT ASSETS				(31298.34)			15256.78
TOTAL				1052749.39			906266.41


CHAIRPERSON
DEENDAYAL PORT AUTHORITY


FA & CAO
DEENDAYAL PORT AUTHORITY

// 1 //

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

दिनांक 31 मार्च, 2025 को तुलनपत्र

(रु. लाख में)

	अनुसूची संख्या	दिनांक 31 मार्च, 2025 को			दिनांक 31 मार्च, 2024 को		
<u>निधि के स्रोत</u>							
आरक्षित तथा अधिशेष	1						
पूँजीगत आरक्षित			385566.84			385518.00	
राजस्व आरक्षित			622197.79			465962.35	
सांविधिक आरक्षित			44984.76			23844.98	
अवसंरचनात्मक आरक्षित			0.00	1052749.39		30941.08	906266.41
<u>ऋण निधियाँ</u>	2						
ऋण				0.00			0.00
कुल				1052749.39			906266.41
<u>निधियों का प्रयोग</u>							
<u>स्थायी पूँजीगत परिसंपत्तियाँ</u>	3						
सकल ब्लॉक		515950.75			459397.01		
घटायें : मूल्यहास प्रावधान		163290.64	352660.12		145582.64	313814.37	
जोड़ें : चालू पूँजीगत कार्य			114528.73	467188.85		97251.39	411065.75
<u>निवेश</u>	4						
सामान्य निधि निवेश			609962.66			472143.62	
अवकाश नकदीकरण निधि निवेश (एलआईसी)			6896.23	616858.88		7800.25	479943.87
<u>चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम</u>	5						
<u>चालू परिसंपत्तियाँ</u>							
i) प्रोद्भूत ब्याज			23228.56			18640.40	
ii) वस्तु-सूची			90.63			54.16	
iii) विविध देनदार			60024.47			63884.36	
iv) नकदी और बैंक शेष			24489.52			20770.90	
v) भविष्य निधि निवेश			28303.00			28900.00	
			136136.18			132249.81	
<u>ऋण, अग्रिम तथा नामे शेष</u>	6						
iv) अग्रिम तथा नामे शेष		100505.59			115818.77		
vi) जमा राशि		5261.86			965.38		
vii) अग्रिम कर, मांग तथा टी.डी.एस.		443444.99	549212.45		418213.49	534997.63	
			685348.63			667247.45	
<u>घटायें: चालू देयताएं तथा प्रावधान</u>	7		716646.97			651990.66	
<u>शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ</u>				-31298.34			15256.78
कुल				1052749.39			906266.41

अध्यक्ष
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

वि. स. और मु. ले. अधिकारी
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

DEENDAYAL PORT AUTHORITY							
SCHEDULE TO BALANCE SHEET				ANNUAL ACCOUNTS 2024-25			
SCHEDULE 1 - RESERVES & SURPLUS							
(Rs. In lakhs)							
Reserves & Surplus	Capital Reserve	Capital Assets Re- placement Reserve	Infra- structure Reserve	General Reserve	Employees Welfare Fund	3% Reserve for Replacement Re- habilitation & Modernisation	3% Reserve for Development Re- payment of Loans & Contingencies
Balance as on 1st April, 2024	385518.00	2000.00	30941.08	463961.85	0.50	11838.75	12006.23
Add/Less: Transfer from Revenue Account				156235.45		9637.55	9637.55
Transfer from other Funds & Reserves					39.05		
Receipts (Interest)						925.79	938.89
Capital Receipts	48.84						
Total	385566.84	2000.00	30941.08	620197.29	39.55	22402.09	22582.67
Less:							
Transfer to other Reserves & Funds			30941.082				
Capital Reserve							
Other transfers					39.05		
Total	0.00	0.00	30941.08	0.00	39.05	0.00	0.00
Balance as on 31st March,2025	385566.84	2000.00	0.00	620197.29	0.50	22402.09	22582.67

SCHEDULE 2 - LOAN FUNDS		
(Rs. in lakhs)		
Particulars	As on 31.3.2025	As on 31.3.2024
Secured Loan against the pledge of F.D.R.	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण							
तुलनपत्र की अनुसूची				वार्षिक लेखा 2024-25			
अनुसूची - 1 आरक्षितियां तथा अधिशेष							
(रु. लाख में)							
आरक्षितियां तथा अधिशेष	पूँजीगत आरक्षिति	पूँजीगत परिसंपत्तियां प्रतिस्थापन आरक्षिति	अवसंरचना आरक्षिति	सामान्य आरक्षिति	कर्मचारी कल्याण निधि	प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण हेतु 3% आरक्षिति	आकस्मिकताओं, ऋण वापसी और विकास के लिए 3% आरक्षिति
1 अप्रैल, 2024 को जमा शेष	385518.00	2000.00	30941.08	463961.85	0.50	11838.75	12006.23
जोड़ें/घटाएं: अंतरण				156235.45		9637.55	9637.55
राजस्व लेखा से							
अन्य निधियों और आरक्षितियों से अंतरण					39.05		
प्राप्तियां (ब्याज)						925.79	938.89
पूँजीगत प्राप्तियां	48.84						
कुल	385566.84	2000.00	30941.08	620197.29	39.55	22402.09	22582.67
घटाएं :							
अन्य निधियों और आरक्षितियों में अंतरण			30941.082				
पूँजीगत आरक्षिति							
अन्य अंतरण					39.05		
कुलयोग	0.00	0.00	30941.08	0.00	39.05	0.00	0.00
31 मार्च 2025 को जमा शेष	385566.84	2000.00	0.00	620197.29	0.50	22402.09	22582.67

अनुसूची 2 - ऋण निधियां		
(रु. लाखों में)		
विवरण	31.3.2025 को	31.3.2024 को
एफडीआर को गिरवी रखकर सुरक्षित ऋण	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00

DEENDAYAL PORT AUTHORITY

SCHEDULE TO BALANCE SHEET

ANNUAL ACCOUNTS 2024-25

SCHEDULE 3 - FIXED CAPITAL ASSETS

(Rs. In lakhs)

Particulars	Gross Block				Depreciation				Net Block	
	As on 1st April 2024	Additions	Deletions	As on 31st March. 2025	As on 1st April 2024	Deletions	Additions	As on 31st March, 2025	As on 1st April 2024	As on 31st March. 2025
Land	25895.90	8634.17	0.00	34530.07					25895.90	34530.07
Capital Dredging	49380.82	0.00	0.00	49380.82	34154.63	0.00	1868.85	36023.48	15226.19	13357.34
Buildings, Sheds and Other Structures	42604.44	4294.36	84.74	46814.05	12063.24	74.94	1343.42	13331.71	30541.20	33482.34
Wharves, Roads & Boundaries	138650.53	25602.26	103.48	164149.32	31712.93	6.84	5406.69	37112.78	106937.60	127036.53
Floating Crafts	13376.39	574.32	0.00	13950.71	5335.43	0.00	624.74	5960.18	8040.96	7990.54
Railway & Rolling Stock	34174.76	0.00	0.00	34174.76	7962.74	0.00	1499.44	9462.17	26212.02	24712.58
Docks, Sea Walls, Piers Navigational Aids	93194.27	145.44	2030.30	91309.41	19412.12	28.88	2108.38	21491.62	73782.16	69817.80
Cranes & Vehicles	22717.53	19844.49	171.05	42390.97	14739.69	154.11	3667.38	18252.95	7977.83	24138.01
Plant & Machinery	20065.81	0.00	0.69	20065.12	7574.30	0.00	1011.65	8585.95	12491.51	11479.17
Installations of Water, Electricity, Telecom, Fire Fighting	17924.36	72.08	197.71	17798.74	11366.12	173.85	638.10	11830.37	6558.24	5968.37
Oil Pipeline	1319.96	0.00	43.38	1276.58	1261.44	24.00	1.97	1239.41	58.52	37.17
Gross Block	459304.77	59167.13	2631.35	515840.55	145582.64	462.62	18170.62	163290.64	313722.14	352549.91
Asset Held for disposal	92.23	17.97	0.00	110.20					92.23	110.20
Capital Works in Progress	97251.39	115916.31	99148.33	114528.73					97251.39	114528.73

Note: 1) The value of the assets is shown at original cost.

2) The total depreciation of Rs. 18170.62 lakhs addition during the year includes arrear depreciation of Rs. 2225.45 lakhs , which is charged to prior period expense.

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

तुलनपत्र की अनुसूची

वार्षिक लेखा 2024-25

अनुसूची - 3 स्थायी पूंजीगत परिसंपत्तियाँ

(रु. लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2024 को	अनुवृद्धि	विलोपन	31 मार्च 2025 को	1 अप्रैल 2024 को	विलोपन	अनुवृद्धि	31 मार्च 2025 को	1 अप्रैल 2024 को	31 मार्च 2025 को
भूमि	25895.90	8634.17	0.00	34530.07					25895.90	34530.07
पूंजीगत निकर्षण .	49380.82	0.00	0.00	49380.82	34154.63	0.00	1868.85	36023.48	15226.19	13357.34
भवन, शेड तथा अन्य अवसंरचना	42604.44	4294.36	84.74	46814.05	12063.24	74.94	1343.42	13331.71	30541.20	33482.34
भरणघाट, सड़क तथा बाउंडरी	138650.53	25602.26	103.48	164149.32	31712.93	6.84	5406.69	37112.78	106937.60	127036.53
प्लावी जलयान	13376.39	574.32	0.00	13950.71	5335.43	0.00	624.74	5960.18	8040.96	7990.54
रेलवे एवं रोलिंग स्टॉक	34174.76	0.00	0.00	34174.76	7962.74	0.00	1499.44	9462.17	26212.02	24712.58
गोदी, समुद्र भित्ति, प्रस्तंभ नौचालन सहायक युक्तियाँ	93194.27	145.44	2030.30	91309.41	19412.12	28.88	2108.38	21491.62	73782.16	69817.80
क्रेन तथा वाहन	22717.53	19844.49	171.05	42390.97	14739.69	154.11	3667.38	18252.95	7977.83	24138.01
संयंत्र और मशीनरी	20065.81	0.00	0.69	20065.12	7574.30	0.00	1011.65	8585.95	12491.51	11479.17
जल, विद्युत, दूरसंचार, अग्निशमन का संस्थापन	17924.36	72.08	197.71	17798.74	11366.12	173.85	638.10	11830.37	6558.24	5968.37
तेल पाइपलाइन	1319.96	0.00	43.38	1276.58	1261.44	24.00	1.97	1239.41	58.52	37.17
सकल ब्लॉक	459304.77	59167.13	2631.35	515840.55	145582.64	462.62	18170.62	163290.64	313722.14	352549.91
निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति	92.23	17.97	0.00	110.20					92.23	110.20
चालू पूंजीगत कार्य	97251.39	115916.31	99148.33	114528.73					97251.39	114528.73

टिप्पणी: 1) परिसंपत्तियों के मूल्य को मूल लागत में दर्शाया गया है।

2) वर्ष के दौरान रु.18170.62 लाख के कुल मूल्यहास में रु. 2225.45 लाख का बकाया मूल्यहास शामिल है, जिसे पूर्व अवधि व्यय में प्रभारित किया गया है।

DEENDAYAL PORT AUTHORITY						
SCHEDULE TO BALANCE SHEET			ANNUAL ACCOUNTS 2024-25			
SCHEDULE 4 - INVESTMENTS						
(Rs. In lakhs)						
Type of Investment	Capital Assets Replacement Reserve	Statutory Reserves	Infrastructure Reserve	General Reserve	Total as on 31/3/2025	Investments as on 31/03/2024
Long Term Investments						
Term Deposits with Banks	2000	28642.71		532321.83	562964.54	425145.51
Equity Participation with M/s. India Ports Rail Corporation Ltd.-(Un-quoted)				720.00	720.00	720.00
Equity Participation with M/s. KRCL--(Un-quoted)				20046.00	20046.00	20046.00
Equity Participation with M/s. DCI Ltd. (Quoted)				25704.52	25704.52	25704.52
Equity Participation with Petronet -(Un-quoted)				500.00	500.00	500.00
Bonds in other PSUs/Long term deposits & Shares in SRC-(Un-quoted)				27.60	27.60	27.60
Total Investments (A)	2000.00	28642.71	0.00	579319.95	609962.66	472143.63
Leave Encashment Fund Investment (LIC) (B)					6896.23	7800.25
TOTAL (A) +(B)					616858.89	479943.88

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण						
तुलनपत्र की अनुसूची			वार्षिक लेखा 2024-25			
अनुसूची 4 - निवेश						
(रु. लाख में)						
निवेश का प्रकार	पूँजीगत परिसंपत्ति प्रतिस्थापन आरक्षिति	सांविधिक आरक्षिति	अवसंरचना आरक्षिति	सामान्य आरक्षिति	दि. 31/3/2025 को कुल	दिनांक 31/03/2024 को निवेश
दीर्घावधि निवेश						
बैंकों में सावधि जमा	2000	28642.71		532321.83	562964.54	425145.51
मैसर्स इंडिया पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में साम्य भागीदारी (बिना उद्धृत)				720.00	720.00	720.00
मैसर्स केआरसीएल में साम्य भागीदारी (बिना उद्धृत)				20046.00	20046.00	20046.00
मैसर्स डीसीआई लि. (उद्धृत) में साम्य भागीदारी				25704.52	25704.52	25704.52
पेट्रोनेट में साम्य भागीदारी (बिना उद्धृत)				500.00	500.00	500.00
अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में बंधपत्र/दीर्घावधि जमा राशि तथा एसआरसी में शेयर्स (बिना उद्धृत)				27.60	27.60	27.60
कुल निवेश (क)	2000.00	28642.71	0.00	579319.95	609962.66	472143.63
अवकाश नकदीकरण निधि निवेश (एलआईसी) (ख)					6896.23	7800.25
कुल (क) + (ख)					616858.89	479943.88

DEENDAYAL PORT AUTHORITY				
SCHEDULE TO BALANCE SHEET			ANNUAL ACCOUNTS 2024-25	
SCHEDULE 5 - CURRENT ASSETS				
A. Current Assets			(Rs. In lakhs)	
Particulars		As on 31-3-2025	As on 31-3-2024	
Accrued Interest:				
Accrued interest on General Fund Investments		21960.34	17654.90	
Accrued interest on Swap Investments		13.32	13.32	
Accrued interest on Provident Fund Investments		1254.90	972.18	
Total		23228.56	18640.40	
Sundry Debtors:				
-More than six month		41926.81	38485.64	
a) Government		172.82	1670.40	
b) Non-Government		41753.98	36815.24	
-Less than six month		18097.66	25398.72	
a) Government		805.92	289.40	
b) Non-Government		17291.75	25109.32	
Total		60024.47	63884.36	
Cash & Bank Balances with Scheduled Banks:				
<u>Balances with Banks:</u>		8139.68	7753.34	
EZ Card Balance		0.18	0.18	
Total		8139.86	7753.52	
<u>Short Term Investment with Bank</u>				
-Statutory Reserve		16342.05	3814.81	
-Infrastructure Reserve		0.00	9195.47	
Total		16342.05	13010.28	
Cash on hand & in transit				
Imprest Account with Officers		7.61	7.10	
Total		7.61	7.10	
Investment of Provident Fund		28303.00	28900.00	
Total		28303.00	28900.00	
Inventories:				
Particulars	Main Store	Marine Store	Workshop Store	Total
Opening balance as on 1.4.2024	39.45	12.26	2.46	54.16
Add : Purchases during the year	97.45	459.35	0.00	556.80
Less : Issues during the year	86.16	434.16	0.00	520.33
Closing balance as on 31.3.2025	50.74	37.44	2.46	90.63
Total Current Assets			136136.18	132249.82

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण				
तुलनपत्र की अनुसूची			वार्षिक लेखा 2024-25	
अनुसूची 5 - चालू परिसंपत्तियां				
क. चालू परिसंपत्तियां			(रु. लाख में)	
विवरण		दि. 31/3/2025	दि. 31/03/2024	
		को	को	
प्रोदभूत ब्याज:				
सामान्य निधि निवेशों पर प्रोदभूत ब्याज		21960.34	17654.90	
स्वैप निवेशों पर प्रोदभूत ब्याज		13.32	13.32	
भविष्य निधि निवेशों पर प्रोदभूत ब्याज		1254.90	972.18	
कुल		23228.56	18640.40	
विविध देनदार:				
-छ: महीने से अधिक		41926.81	38485.64	
क) सरकारी		172.82	1670.40	
ख) गैर-सरकारी		41753.98	36815.24	
-छ: महीने से कम		18097.66	25398.72	
क) सरकारी		805.92	289.40	
ख) गैर-सरकारी		17291.75	25109.32	
कुल		60024.47	63884.36	
अनुसूचित बैंकों के पास नकद और बैंक शेष:				
बैंकों के पास शेष:		8139.68	7753.34	
ई.ज़ी कार्ड शेष		0.18	0.18	
कुल		8139.86	7753.52	
बैंक में अल्पकालिक निवेश				
-सांविधिक आरक्षिति		16342.05	3814.81	
अवसंरचनात्मक आरक्षिति		0.00	9195.47	
कुल		16342.05	13010.28	
रोकड हाथ में एवं मार्गस्थ में				
अधिकारियों के पास अग्रदाय निधि खाता		7.61	7.10	
कुल		7.61	7.10	
भविष्य निधि का निवेश		28303.00	28900.00	
कुल		28303.00	28900.00	
वस्तुसूची:				
विवरण	मुख्य भंडार	समुद्री भंडार	कार्यशाला भंडार	कुल
दिनांक 1.4.2024 को अथशेष	39.45	12.26	2.46	54.16
जोड़ें: वर्ष के दौरान क्रय	97.45	459.35	0.00	556.80
घटाए: वर्ष के दौरान जारी	86.16	434.16	0.00	520.33
दिनांक 31.3.2025 को इतिशेष	50.74	37.44	2.46	90.63
कुल चालू परिसंपत्तियां			136136.18	132249.82

DEENDAYAL PORT AUTHORITY				
SCHEDULE TO BALANCE SHEET		ANNUAL ACCOUNTS 2024-25		
SCHEDULE 6 - LOANS, ADVANCES & DEBIT BALANCES				
(Rs. In lakhs)				
Particulars	Opening Balance as on 1.4.2024	Addition	Deletion	Closing Balance as on 31.3.2025
Advances & Debit Balances:				
Marriage Advance	139.43	103.54	128.57	114.40
Conveyance Advance	151.70	46.55	66.80	131.44
House Building Advance	371.14	30.94	106.38	295.70
Festival Advance	628.17	1065.64	927.59	766.22
Computer Advance	11.93	1.61	2.98	10.56
Service Tax Recoverable	7101.09	0.00	0.00	7101.09
GST Recoverable	6899.20	0.00	0.00	6899.20
Pre-Paid Expenses	402.08	487.67	392.13	497.63
Loan to DCI	3600.00	0.00	0.00	3600.00
Advance to Suppliers, Contractor & Others	96514.04	119568.23	134992.93	81089.35
Total	115818.77	121304.19	136617.36	100505.59
Deposits				
Deposits with other Organisation	226.39	10.93	0.00	237.32
GST Input	738.99	19050.13	14764.58	5024.54
Total	965.38	19061.06	14764.58	5261.86
Income Tax				
Advance tax, TDS, Demand and Refund	418213.49	118254.15	93022.65	443444.99
Total	418213.49	118254.15	93022.65	443444.99
Total Advances & Debit Balances	534997.63	258619.40	244404.59	549212.45

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण				
तुलनपत्र की अनुसूची		वार्षिक लेखा 2024-25		
अनुसूची 6 - ऋण, अग्रिम और नामे शेष				
(रु. लाख में)				
विवरण	दिनांक 1.4.2024 को अथशेष	अनुवृद्धि	विलोपन	दिनांक 31.3.2025 को इतिशेष
अग्रिम और नामे शेष				
विवाह अग्रिम	139.43	103.54	128.57	114.40
वाहन अग्रिम	151.70	46.55	66.80	131.44
गृह निर्माण अग्रिम	371.14	30.94	106.38	295.70
त्योहार अग्रिम	628.17	1065.64	927.59	766.22
कंप्यूटर अग्रिम	11.93	1.61	2.98	10.56
सेवा कर वसूली योग्य	7101.09	0.00	0.00	7101.09
जीएसटी वसूली योग्य	6899.20	0.00	0.00	6899.20
पूर्वदत्त व्यय	402.08	487.67	392.13	497.63
डीसीआई को ऋण	3600.00	0.00	0.00	3600.00
आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य को अग्रिम	96514.04	119568.23	134992.93	81089.35
कुल	115818.77	121304.19	136617.36	100505.59
जमा राशि				
अन्य संगठनों के पास जमा राशि	226.39	10.93	0.00	237.32
जीएसटी इनपुट	738.99	19050.13	14764.58	5024.54
कुल	965.38	19061.06	14764.58	5261.86
आयकर				
अग्रिम कर, टीडीएस, मांग तथा प्रतिदाय	418213.49	118254.15	93022.65	443444.99
कुल	418213.49	118254.15	93022.65	443444.99
कुल अग्रिम और जमा शेष	534997.63	258619.40	244404.59	549212.45

DEENDAYAL PORT AUTHORITY		
SCHEDULE TO BALANCE SHEET	ANNUAL ACCOUNTS 2024-25	
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	(Rs. In lakhs)	
Particulars	As at 31.3.2025	As at 31.3.2024
<u>Current Liabilities</u>		
Salaries & wages payable	470.69	1074.76
Creditors for Stores	2777.27	503.56
Accrued Expenses	40725.71	30996.61
<u>Miscellaneous Creditors & Credit Balances</u>		
Income Tax - TDS from employees	329.90	263.14
Income Tax - TDS from others	547.21	462.35
Society, Associations, Club and Union Recovery	174.12	39.98
Integrated Goods and Services Tax	741.73	119.98
Central Goods and Services Tax	2966.42	1918.00
State Goods and Service Tax	2445.19	1918.00
Professional Tax	55.10	55.05
Provision for Income Tax	499377.91	483032.33
Provision for contriution to KPTSS	12156.69	7449.69
Others	400.29	421.82
	519194.55	495680.33
Unadjusted Sales Proceeds of Capital Assets & Unclaimed Goods	2288.99	2264.49
Deposits from Merchants, Contractors & Others	96641.11	68335.44
KPT Employee Insurance	2.09	2.02
HBA Special Benefit Scheme	174.54	171.74
Leave Encashment Fund	6896.24	7800.25
Provisions for diminution in investments	527.60	527.60
Provisions for diminution in interest (PF)	13.32	13.32
Provisions for Bad Debts	470.50	470.50
Provision for Slow & Non Moving items of stores	55.52	55.52
Provision for Contribution to Gratuity Fund	1297.22	0.00
New Pension Scheme	125.74	71.64
Provident fund	30065.21	30853.47
Fund for Corporate Social Responsibility	5079.12	3327.85
CSR fund National Maritime Heritage Complex Lothal (NMHC)	51.90	51.90
Provision for Deferred Tax Liability	9789.67	9789.67
Total	716646.97	651990.66

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण		
तुलनपत्र की अनुसूची	वार्षिक लेखा 2024-25	
अनुसूची 7 - चालू देयताएँ तथा प्रावधान		
(रु. लाख में)		
विवरण	दि. 31.3.2025 तक	दि. 31.3.2024 तक
चालू देयताएँ :		
देय वेतन तथा मजदूरी	470.69	1074.76
भंडार संबंधी लेनदार	2777.27	503.56
प्रोद्भूत व्यय	40725.71	30996.61
विविध लेनदार तथा जमा शेष राशि		
आयकर - कर्मचारियों से टीडीएस	329.90	263.14
आयकर - अन्यों से टीडीएस	547.21	462.35
सोसायटी, एसोसिएशन , क्लब तथा यूनियन संबंधी वसूली	174.12	39.98
एकीकृत माल तथा सेवाकर	741.73	119.98
केंद्रीय माल तथा सेवाकर	2966.42	1918.00
राज्य माल तथा सेवाकर	2445.19	1918.00
व्यवसाय कर	55.10	55.05
आयकर के लिए प्रावधान	499377.91	483032.33
केपीटीएसएस में अंशदान के लिए प्रावधान	12156.69	7449.69
अन्य	400.29	421.82
	519194.55	495680.33
पूंजीगत परिसंपत्ति तथा अदावाकृत माल के असमायोजित विक्रय आगम	2288.99	2264.49
व्यापारियों, ठेकेदारों तथा अन्यों की जमाराशि	96641.11	68335.44
कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी बीमा	2.09	2.02
गृह निर्माण अग्रिम विशेष लाभ योजना	174.54	171.74
अवकाश नकदीकरण निधि	6896.24	7800.25
निवेश में कमी हेतु प्रावधान	527.60	527.60
ब्याज में कमी के प्रावधान (पीएफ)	13.32	13.32
अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान	470.50	470.50
धीमे और अचल भंडार मदों के लिए प्रावधान	55.52	55.52
उपदान निधि में अंशदान का प्रावधान	1297.22	0.00
नयी पेंशन योजना	125.74	71.64
भविष्य निधि	30065.21	30853.47
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व हेतु निधि	5079.12	3327.85
राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल (एनएमएचसी) के लिए सीएसआर निधि	51.90	51.90
आस्थगित कर देयता संबंधी प्रावधान	9789.67	9789.67
कुल	716646.97	651990.66

// 8 // DEENDAYAL PORT AUTHORITY PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR 2024-25 (Rs. In lakhs)			
Particulars	Schedule No.	Current Year 2024-25	Previous Year 2023-24
Income			
Cargo Handling & Storage Charges	I	98153.11	86700.59
Port & Dock Charges	II	146793.54	127091.39
Railway Earnings	III	579.56	613.90
Estate Rentals	IV	36475.39	34909.16
Total Operating Income		282001.60	249315.03
Expenditure			
Cargo Handling & Storage	V	31819.22	30330.73
Port & Dock Facilities	VI	37078.76	36555.93
Railway Workings	VII	1489.72	1513.97
Rentable Land & Buildings	VIII	5465.15	6112.51
Management & General Administration	IX	24885.08	24414.39
Total Operating Expenditure		100737.92	98927.53
Operating Surplus / Deficit:		181263.68	150387.51
Add: Finance & Miscellaneous Income	X	32049.46	61109.05
Less: Finance & Miscellaneous Expenditure	XI	25584.72	14348.30
Profit Before Tax		187728.42	197148.25
Income Tax for the year		61486.50	63678.88
Profit after Tax		126241.92	133469.37
Add :-			
Income Tax Refunds for the prior period		39489.43	64900.61
Less :-			
Income Tax for the prior period		21113.05	66314.18
Amount Available for Appropriation		144618.30	132055.81
Profit on disposal of Capital Assets	X	48.84	283.61
Contribution to Reserve for Replacement, Rehabilitation & Modernisation of Assets	1	9637.55	9869.37
Contribution to Reserve for Development, Repayment & Contingencies	1	9637.55	9869.37
Total Appropriations		19323.93	20022.35
Balance transferred to General Reserve		125294.37	112033.46


CHAIRPERSON
DEENDAYAL PORT AUTHORITY


FA & CAO
DEENDAYAL PORT AUTHORITY

दीनदयाल पतन प्राधिकरण वर्ष 2024-25 का लाभ तथा हानि लेखा (रु. लाख में)			
विवरण	अनुसूची संख्या	चालू वर्ष 2024-25	गत वर्ष 2023-24
आय			
नौभार प्रहस्तन तथा भंडारण प्रभार	I	98153.11	86700.59
पोर्ट तथा गोदी प्रभार	II	146793.54	127091.39
रेलवे अर्जन	III	579.56	613.90
सम्पदा किराये	IV	36475.39	34909.16
कुल परिचालन आय		282001.60	249315.03
व्यय			
नौभार प्रहस्तन तथा भंडारण	V	31819.22	30330.73
पोर्ट तथा गोदी सुविधाएँ	VI	37078.76	36555.93
रेलवे कामकाज	VII	1489.72	1513.97
किराये योग्य भूमि तथा भवन	VIII	5465.15	6112.51
प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन	IX	24885.08	24414.39
कुल परिचालन व्यय		100737.92	98927.53
परिचालन अधिशेष / घाटा :		181263.68	150387.51
जोड़ें : वित्त तथा विविध आय	X	32049.46	61109.05
घटायें : वित्त तथा विविध व्यय	XI	25584.72	14348.30
कर-पूर्व लाभ		187728.42	197148.25
वर्ष के लिए आयकर		61486.50	63678.88
कर-पश्चात लाभ		126241.92	133469.37
जोड़ें			
पिछली अवधि के लिए आयकर रिफंड		39489.43	64900.61
घटायें:-			
पिछली अवधि के लिए आयकर		21113.05	66314.18
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि		144618.30	132055.81
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ	X	48.84	283.61
परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि में अंशदान	1	9637.55	9869.37
विकास, पुनर्भुगतान और आकस्मिकताओं हेतु आरक्षित निधि में अंशदान	1	9637.55	9869.37
कुल विनियोजन		19323.93	20022.35
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित शेष राशि		125294.37	112033.46

DEENDAYAL PORT AUTHORITY SCHEDULE TO PROFIT & LOSS ACCOUNT OPERATING INCOME (Rs. In lakhs)		
Particulars	Current Year 2024-25	Previous Year 2023-24
<u>Schedule - I</u>		
<u>Cargo Handling & Storage Charges</u>	<u>76195.25</u>	<u>64658.90</u>
Handling & Storage Charges	41382.24	32713.29
Warehousing Fees	569.98	509.66
POL Handling Charges	25945.71	24994.21
Demurrage Fees	1249.74	552.08
Weighment Charges	632.94	548.32
Entry Permit Fees	66.51	81.46
Collection charges of Fertilizer Baging Plant	534.40	728.93
Revenue share for operating Mobile Harbour Crane	998.69	1076.46
Royalty on Stevedoring and Shorehandling Activity	4484.30	3223.67
Miscellaneous handling income	330.75	230.82
<u>Royalty Income from BOT</u>	<u>21957.86</u>	<u>22041.69</u>
Nayara Energy Limited	10946.02	10659.03
Tuna Port - M/s. Adani Kandla Bulk Terminal	7243.58	7792.93
Container Terminal Kandla - M/s. KICTPL	2928.91	2927.38
Barge Jetty - M/s. IFFCO Kisan	839.34	662.35
Total	98153.11	86700.59
<u>Schedule - II</u>		
<u>Port & Dock Charges</u>		
Towage & Mooring Fees	14115.73	14028.45
Berth Hire Charges	28002.14	20207.76
Pilotage Fees	76208.69	67533.78
Port Dues	27725.25	24824.98
Drydocking Charges	741.63	317.08
Lighterage charges at OTB and Other Receipts	0.10	179.35
Total	146793.54	127091.39
<u>Schedule - III</u>		
Terminal Charges for Railway Rakes	579.56	613.90
Total	579.56	613.90
<u>Schedule - IV</u>		
<u>Estate Rentals</u>		
Township Land Rentals	113.60	178.85
Freehold Conversion Fees	228.81	466.04
Rent from Lands	33011.03	30600.32
Rent from Buildings, Sheds & Godowns	204.88	247.94
Premium on Leased Land	258.48	253.18
Water Charges	3.39	30.56
Electricity Charges	2340.28	2473.32
Transfer Fees (Gandhidham Land)	28.43	29.17
Mortgage Charges - SRC	1.34	2.89
Transfer Fees - SRC	37.88	48.11
Other Miscellaneous Income (Kandla Land)	203.81	489.55
Other Miscellaneous Income (Gandhidham Land)	43.46	89.25
Total	36475.39	34909.16
Total Operating Income	282001.60	249315.03

<div>दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण</div> <div>लाभ तथा हानि लेखा की अनुसूची</div> <div>परिचालन आय</div> <div>(रु. लाख में)</div>		
विवरण	चालू वर्ष 2024-25	गत वर्ष 2023-24
<u>अनुसूची - I</u>		
<u>नौभार प्रहस्तन तथा भंडार प्रभार</u>	<u>76195.25</u>	<u>64658.90</u>
प्रहस्तन तथा भंडारण प्रभार	41382.24	32713.29
भाण्डागार शुल्क	569.98	509.66
पी.ओ.एल. प्रहस्तन प्रभार	25945.71	24994.21
विलंब शुल्क	1249.74	552.08
भारण प्रभार	632.94	548.32
प्रविष्टि अनुज्ञप्ति शुल्क	66.51	81.46
उर्वरक बैगिंग संयंत्र के संग्रह प्रभार	534.40	728.93
मोबाइल हार्बर क्रेन के संचालन के लिए राजस्व हिस्सेदारी	998.69	1076.46
स्टीवडोरिंग और तटीय प्रहस्तन गतिविधि पर रॉयल्टी	4484.30	3223.67
विविध प्रहस्तन आय	330.75	230.82
<u>बीओटी से राजस्व आय</u>	<u>21957.86</u>	<u>22041.69</u>
नायरा एनर्जी लिमिटेड	10946.02	10659.03
तूणा पोर्ट - मैसर्स अदानी कंडला बल्क टर्मिनल	7243.58	7792.93
कंटेनर टर्मिनल कंडला - मैसर्स के.आई.सी.टी.पी.एल	2928.91	2927.38
बार्ज जेट्टी - मैसर्स इफको किसान	839.34	662.35
कुल	98153.11	86700.59
<u>अनुसूची - II</u>		
<u>पोर्ट और गोदी शुल्क</u>		
टोइंग और मूरिंग शुल्क	14115.73	14028.45
बर्थ किराया शुल्क	28002.14	20207.76
पायलट शुल्क	76208.69	67533.78
पोर्ट बकाया	27725.25	24824.98
शुल्क गोदीकरण प्रभार	741.63	317.08
ओटीबी पर लाइटरेज प्रभार तथा अन्य प्राप्तियां	0.10	179.35
कुल	146793.54	127091.39
<u>अनुसूची - III</u>		
रेलवे रिक के लिए टर्मिनल प्रभार	579.56	613.90
कुल	579.56	613.90
<u>अनुसूची - IV</u>		
<u>सम्पदा किराये</u>		
नगरक्षेत्र भूमि से किराया	113.60	178.85
फ्री होल्ड संपरिवर्तन-शुल्क	228.81	466.04
भूमि से किराया	33011.03	30600.32
भवनों, शेडों तथा गोदामों से किराया	204.88	247.94
पट्टाकृत भूमि पर प्रीमियम	258.48	253.18
जल संबंधी प्रभार	3.39	30.56
बिजली शुल्क	2340.28	2473.32
स्थानांतरण शुल्क (गांधीधाम भूमि)	28.43	29.17
बंधक शुल्क - एसआरसी	1.34	2.89
स्थानांतरण शुल्क - एसआरसी	37.88	48.11
अन्य विविध आय (कंडला भूमि)	203.81	489.55
अन्य विविध आय (गांधीधाम भूमि)	43.46	89.25
कुल	36475.39	34909.16
कुल परिचालन आय	282001.60	249315.03

DEENDAYAL PORT AUTHORITY SCHEDULE TO PROFIT & LOSS ACCOUNT OPERATING EXPENDITURE		
Particulars	Current Year 2024-25	Previous Year 2023-24 (Rs. In lakh)
<u>Schedule - V</u>		
<u>Cargo Handling & Storage</u>		
Handling & Storage of General Cargo at Sheds & Wharves	13221.35	13633.30
Warehousing	11.56	40.98
Operation & Maintenance of Cranes	3853.64	3836.09
POL Handling Expenses	571.51	730.45
Expenditure on General Facilities (Jetties, Sanitation, Elect., etc.)	3951.05	3219.85
Administration & General Expenses	542.34	590.67
Depreciation	9667.76	8279.39
Total	31819.22	30330.73
<u>Schedule - VI</u>		
<u>Port & Dock Facilities</u>		
Berthing & Mooring	2062.47	2499.42
Pilotage & Towing	16569.52	15846.93
Dry Docking Expenses	161.50	121.21
Fire Fighting	693.07	788.08
Dredging & Marine Survey	12857.84	12202.45
Expenditure on 11th & 12th Cargo Berth	64.25	25.48
Operation & Maintenance of Navigational Aids	300.02	425.94
Salvage & Underwater Repairs	108.38	35.79
Maintenance of Docks, Harbour Walls & Marine Structures	3.17	0.00
Administration & General Expenses	1442.67	1586.42
Depreciation	2815.87	3024.22
Total	37078.76	36555.93
<u>Schedule - VII</u>		
<u>RAILWAY WORKINGS</u>		
Maintenance of Yards & Sidings	9.67	33.03
Depreciation	1480.05	1480.94
Total	1489.72	1513.97
<u>Schedule - VIII</u>		
<u>Rentable Lands & Buildings</u>		
Estate Maintenance	3638.94	4330.03
Administration & General Expenses	808.51	775.00
Depreciation	1017.70	1007.48
Total	5465.15	6112.51
<u>Schedule - IX</u>		
<u>Management & General Administration</u>		
Management & Secretarial Expenses	10941.05	10503.42
Accounting & Auditing	3219.09	2699.98
Legal	635.49	536.23
Medical Expenses	3561.42	3847.12
Store Keeping	205.42	295.05
Expenditure on Head Office Bldg. & Telephone	537.51	608.75
Engineering & Workshop Overheads	5025.21	5129.65
Sundry Expenses	3.14	10.98
Depreciation	756.75	783.22
Total	24885.08	24414.39
Total Operating Expenditure	100737.92	98927.53

<div>दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण</div> <div>लाभ तथा हानि लेखा की अनुसूची</div> <div>परिचालन व्यय</div> <div>(रु. लाख में)</div>		
विवरण	चालू वर्ष 2024-25	गत वर्ष 2023-24
<u>अनुसूची - V</u>		
<u>नौभार प्रहस्तन तथा भंडारण</u>		
शेड और घाटों पर सामान्य कार्गो की हैंडलिंग और भंडारण	13221.35	13633.30
भांडागार	11.56	40.98
क्रेनों का परिचालन तथा अनुरक्षण	3853.64	3836.09
पीओएल प्रहस्तन व्यय	571.51	730.45
सामान्य सुविधाओं पर व्यय (घाट, स्वच्छता, विद्युत, सड़क, आदि)	3951.05	3219.85
प्रशासन तथा सामान्य व्यय	542.34	590.67
मूल्यहास	9667.76	8279.39
कुल	31819.22	30330.73
<u>अनुसूची - VI</u>		
<u>पोर्ट तथा गोदी सुविधाएं:</u>		
बर्थिंग तथा नौबंध	2062.47	2499.42
पायलटेज एवं टोईंग	16569.52	15846.93
शुष्क गोदीकरण व्यय	161.50	121.21
अग्निशमन	693.07	788.08
निकर्षण तथा समुद्री सर्वेक्षण	12857.84	12202.45
नौभार घाट सं. 11 तथा 12 संबंधी व्यय	64.25	25.48
नौसंचालन सहायक युक्तियों का परिचालन तथा अनुरक्षण	300.02	425.94
निस्तारण तथा जलगत मरम्मत	108.38	35.79
गोदी, पोताश्रय भित्तियों और समुद्री अवसंरचना का अनुरक्षण	3.17	0.00
प्रशासन तथा सामान्य व्यय	1442.67	1586.42
मूल्यहास	2815.87	3024.22
कुल	37078.76	36555.93
<u>अनुसूची - VII</u>		
<u>रेलवे का कामकाज</u>		
याई तथा पार्श्विकाओं का अनुरक्षण	9.67	33.03
मूल्यहास	1480.05	1480.94
कुल	1489.72	1513.97
<u>अनुसूची - VIII</u>		
<u>किराये योग्य भूमि तथा भवन</u>		
संपदा अनुरक्षण	3638.94	4330.03
प्रशासन तथा सामान्य व्यय	808.51	775.00
मूल्यहास	1017.70	1007.48
कुल	5465.15	6112.51
<u>अनुसूची -IX</u>		
<u>प्रबंधन तथा सामान्य प्रशासन</u>		
प्रबंधन एवं सचिवीय व्यय	10941.05	10503.42
लेखांकन तथा लेखा परीक्षा	3219.09	2699.98
विधिक	635.49	536.23
चिकित्सा व्यय	3561.42	3847.12
भंडार अनुरक्षण	205.42	295.05
प्रधान कार्यालय भवन तथा टेलिफोन पर व्यय	537.51	608.75
अभियांत्रिकी तथा कार्यशाला उपरिव्यय	5025.21	5129.65
विविध व्यय	3.14	10.98
मूल्यहास	756.75	783.22
कुल	24885.08	24414.39
कुल परिचालन व्यय	100737.92	98927.53

DEENDAYAL PORT AUTHORITY		
SCHEDULE TO PROFIT & LOSS ACCOUNT		
(Rs. In lakh)		
Particulars	Current Year 2024-25	Previous Year 2023-24
<u>Schedule - X</u>		
<u>Finance & Miscellaneous Income</u>		
Interest on General Fund Investments	39482.39	30970.53
Interest on Staff Advances & delayed Payments	50.07	74.23
Profit on Sale of Capital Asset	48.84	283.61
Sale of Unserviceable Materials	113.33	138.93
Lapsed & Forfeited Deposits	9.02	326.44
Sale of Unclaimed Goods	0.00	0.14
Testing Fees	39.49	23.77
Interest on refund of Income Tax	6676.70	7104.48
Supervision Charges on laying of pipeline & Overhead Income	1081.07	1094.65
Permit & License	77.36	44.31
Fire Fighting Charges	25.21	75.44
Sale of Documents	18.50	21.83
Vehicle Hire Charges	0.13	0.17
Income from Collection for OPC	209.52	66.53
Medical Charges from Outsiders	0.45	1.68
Other Receipts	1086.21	8056.45
Prior Period Income	(16868.82)	12825.87
Total F&M Income	32049.46	61109.05
Total Income	314051.06	310424.09
<u>Schedule - XI</u>		
<u>Finance & Miscellaneous Expenditure</u>		
Bank & Commission Charges	5.50	52.97
Interest on Delayed Payments	163.78	0.89
Kendriya Vidhayalaya Expenses	66.98	62.32
GST expenses	1513.32	0.00
Loss on Sale of Assets	30.03	1145.04
Gratuity to Daily Rated /Prorata Gratuity Payment	22.61	17.88
Contribution to Gratuity Fund	1297.22	0.00
Contribution to Pension Fund-For GAP Funding	9657.00	4219.00
Prorata Pension Contribution to deputationist	67.26	52.92
Exgratia on Special V.R.S. Scheme	229.21	0.00
Retirement Travelling Allowance	43.33	33.67
Contribution to New Pension Scheme	533.95	523.64
Contribution to Leave Encashment Fund	1295.10	920.89
Misc. Expenditure	1547.99	2640.33
Welfare Expense	230.00	114.26
Contribution to Corporate Social Responsibility	2641.00	2149.00
Wage Revision Dues	3065.63	0.00
CER Expenses	566.18	0.00
Prior Period Expenditure	2608.64	2415.49
Total F & M Expenditure	25584.72	14348.30
Total Expenditure	126322.64	113275.83
Surplus before Tax	187728.42	197148.25
Income Tax (See Note No.B (1) of Notes on Accounts)	61486.50	63678.88
Net Surplus after Tax	126241.92	133469.37
Income Tax for the prior period (net after adjustment against demand) Ref.pg.8	18376.37	.(1413.56)
Amount Available for Appropriation	144618.30	132055.81

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण लाभ तथा हानि लेखों की अनुसूची		
	(रु. लाख में)	
विवरण	चालू वर्ष 2024-25	गत वर्ष 2023-24
अनुसूची - X		
वित्त तथा विविध आय		
सामान्य निधि निवेशों पर ब्याज	39482.39	30970.53
कर्मचारियों को अग्रिम तथा विलंबित भुगतान पर ब्याज	50.07	74.23
पूँजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ	48.84	283.61
अनुपयोगी सामग्रियों का विक्रय	113.33	138.93
व्यपगत तथा समपहत जमा राशि	9.02	326.44
अदावाकृत सामान की बिक्री	0.00	0.14
परीक्षण शुल्क	39.49	23.77
आयकर वापसी पर ब्याज	6676.70	7104.48
पाइपलाइन बिछाने और ओवरहेड पर पर्यवेक्षण शुल्क आय	1081.07	1094.65
अनुज्ञप्ति तथा परमिट	77.36	44.31
अग्निशमन प्रभार	25.21	75.44
दस्तावेजों का विक्रय	18.50	21.83
वाहन भाड़ा प्रभार	0.13	0.17
ओपीसी हेतु संग्रहण से आय	209.52	66.53
बाहरी व्यक्तियों से चिकित्सा प्रभार	0.45	1.68
अन्य प्राप्तियां	1086.21	8056.45
पूर्व अवधि की आय	(16868.82)	12825.87
कुल वित्त तथा विविध आय	32049.46	61109.05
कुल आय	314051.06	310424.09
अनुसूची - XI		
वित्त तथा विविध व्यय		
बैंक एवं कमीशन शुल्क	5.50	52.97
विलंबित भुगतान पर ब्याज	163.78	0.89
केन्द्रीय विद्यालय व्यय	66.98	62.32
जीएसटी व्यय	1513.32	0.00
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	30.03	1145.04
डेली रेटेड हेतु उपदान/यथानुपात उपदान भुगतान	22.61	17.88
उपदान निधि में अंशदान	1297.22	0.00
पेंशन निधि में अंशदान-जीएपी निधि के लिए	9657.00	4219.00
प्रतिनियुक्तिवादियों के लिए यथानुपात पेंशन अंशदान	67.26	52.92
विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर अनुग्रह राशि	229.21	0.00
सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	43.33	33.67
नई पेंशन योजना में अंशदान	533.95	523.64
अवकाश नकदीकरण निधि में अंशदान	1295.10	920.89
विविध व्यय	1547.99	2640.33
कल्याण व्यय	230.00	114.26
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में अंशदान	2641.00	2149.00
वेतन संशोधन बकाया	3065.63	0.00
सीईआर व्यय	566.18	0.00
पूर्व अवधि व्यय	2608.64	2415.49
कुल वित्त तथा अनुरक्षण व्यय	25584.72	14348.30
कुल व्यय	126322.64	113275.83
कर पूर्व अधिशेष	187728.42	197148.25
आयकर (लेखा पर टिप्पणियों की टिप्पणी सं. ख (1) देखें)	61486.50	63678.88
कर पश्चात शुद्ध अधिशेष	126241.92	133469.37
पूर्व अवधि के लिए आयकर (मांग के समक्ष समायोजन के बाद शुद्ध) संदर्भ पृष्ठ 8	18376.37	.(1413.56)
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	144618.30	132055.81

DEENDAYAL PORT AUTHORITY		
SCHEDULE TO PROFIT & LOSS ACCOUNT		(Rs. In lakh)
Particulars	Current Year 2024-25	Previous Year 2023-24
<u>Schedule - XII</u>		
<u>A) Salaries & Wages</u>		
Salaries & Wages	20044.12	20518.44
Overtime	2745.09	3084.23
Stipend to Trainees	502.48	196.44
Productivity Linked Reward	237.64	232.77
Leave Travel Concession	23.93	29.64
Salaries & Wages Total	23553.25	24061.51
<u>B) Stores</u>		
Stores (Uniform)	0.00	93.28
Stores (Operation)	10.30	9.79
Stores (Repairs & Maintenance)	869.78	835.87
Stores Total	880.08	938.94
<u>C) Office & Administrative Expenses</u>		
Communication	42.64	45.24
Travelling Expenses	129.54	128.34
Transport Facilities for Employees	211.48	258.04
Furniture, Office Equipment, Etc.	95.42	8.60
Stationery	7.55	13.72
Advertisement & Publicity	263.98	257.97
Legal, Arbitration & Professional Fees	779.60	711.08
Rent, Rates & Taxes	36.77	39.31
Audit Fees and Accounting Expenses	45.00	45.00
Tax Audit Fees and Other Professional Charges	136.32	103.27
Contribution & Subscription	532.77	956.57
Office Equipment Maintenance	0.22	2.22
Entertainment	6.71	15.05
Office & Administrative Expenses Total	2288.01	2584.43
<u>D) Operation & Maintenance Expenses</u>		
Power	2113.90	2077.94
Fuel	8705.48	7611.48
Maintenance Dredging	12406.64	11780.06
R&M of Equipment, Craft, Infrastructure Facilities	10567.03	11910.46
Hire Charges of Vehicles	961.18	859.71
Hire of Crafts	11637.92	11030.59
Water Charges	692.58	768.84
Operation & Maintenance Expenses Total	47084.72	46039.08
<u>E) Security Expenses</u>		
Expenditure on CISF	5134.47	4831.96
Police & Other Security Agencies	513.88	421.95
Security Expenses Total	5648.35	5253.91
<u>F) Medical Expenses</u>		
Fees to visiting Doctors	110.14	105.51
Stores (Medical)	24.26	25.69
Medicines to Employees	325.28	424.10
Charges Paid to Outside Hospitals (Employees)	415.67	829.21
Medical exp of reitred employees	1721.09	1604.29
Other Medical Expenses	167.65	135.14
Medical Expenses Total	2764.10	3123.94
<u>G) Depreciation</u>	15942.40	14789.19
<u>(H) Other Expenses</u> - AMC for EDP	111.28	155.32
Printing & Publishing	10.73	7.63
Insurance	1437.62	1210.49
Training, Sports, Contingencies, Departmental Charges, et	1017.39	763.09
Other Expenses Total	2577.02	2136.53
Total Operating Expenses	100737.92	98927.53

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण		
लाभ तथा हानि लेखों की अनुसूची		(रु. लाख में)
विवरण	चालू वर्ष 2024-25	गत वर्ष 2023-24
अनुसूची - XII		
क) वेतन तथा मजदूरी		
वेतन तथा मजदूरी	20044.12	20518.44
समयोपरि	2745.09	3084.23
प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तिका	502.48	196.44
उत्पादकतायुक्त पुरस्कार	237.64	232.77
अवकाश यात्रा रियायत	23.93	29.64
वेतन तथा मजदूरी कुल	23553.25	24061.51
ख) भंडार		
भंडार सामग्री (यूनिफॉर्म)	0.00	93.28
भंडार सामग्री (प्रचालन)	10.30	9.79
भंडार सामग्री (मरम्मत तथा अनुरक्षण)	869.78	835.87
भंडार कुल	880.08	938.94
ग) कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय		
संचार	42.64	45.24
यात्रा व्यय	129.54	128.34
कर्मचारियों के लिए परिवहन सुविधाएं	211.48	258.04
फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, आदि	95.42	8.60
लेखन सामग्री	7.55	13.72
विज्ञापन एवं प्रचार	263.98	257.97
विधिक, मध्यस्थ तथा व्यवसायिक शुल्क	779.60	711.08
किराया, दरें तथा कर	36.77	39.31
लेखा परीक्षा शुल्क और लेखांकन व्यय	45.00	45.00
कर लेखा परीक्षा शुल्क और अन्य पेशेवर प्रभार	136.32	103.27
अंशदान एवं अभिदान	532.77	956.57
कार्यालयीन उपकरणों का अनुरक्षण	0.22	2.22
मनोरंजन	6.71	15.05
कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय कुल	2288.01	2584.43
घ) परिचालन तथा अनुरक्षण व्यय		
बिजली	2113.90	2077.94
ईंधन	8705.48	7611.48
अनुरक्षण निकर्षण	12406.64	11780.06
उपकरण, जलयान एवं अवसरंचनात्मक सुविधाओं की मरम्मत और अनुरक्षण	10567.03	11910.46
वाहनों का भाड़ा प्रभार	961.18	859.71
जलयानों का भाड़ा	11637.92	11030.59
जल प्रभार	692.58	768.84
परिचालन तथा अनुरक्षण व्यय कुल	47084.72	46039.08
च) सुरक्षा व्यय		
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से संबंधित व्यय	5134.47	4831.96
पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसी	513.88	421.95
सुरक्षा व्यय कुल	5648.35	5253.91
छ) चिकित्सा व्यय		
विजिटिंग डॉक्टरों का शुल्क	110.14	105.51
भंडार सामग्री (चिकित्सा)	24.26	25.69
कर्मचारियों की दवाईयां	325.28	424.10
बाहरी अस्पतालों को संदत प्रभार (कर्मचारी)	415.67	829.21
सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय	1721.09	1604.29
अन्य चिकित्सा व्यय	167.65	135.14
चिकित्सा व्यय कुल	2764.10	3123.94
ज) मूल्यहास	15942.40	14789.19
(झ) अन्य व्यय - ईडीपी हेतु ए.एम.सी.	111.28	155.32
मुद्रण तथा प्रकाशन	10.73	7.63
बीमा	1437.62	1210.49
प्रशिक्षण, खेलकूद, आकस्मिकताएं, विभागीय प्रभार इत्यादि	1017.39	763.09
अन्य व्यय कुल	2577.02	2136.53
कुल परिचालन व्यय	100737.92	98927.53

DEENDAYAL PORT AUTHORITY		
SCHEDULE TO BALANCE SHEET	ANNUAL ACCOUNTS 2024-25	
CASH FLOW		
	(Rs. In lakhs)	
Particulars	As at 31.3.2025	As at 31.3.2024
<u>A. CASH FLOW OPERATING ACTIVITIES</u>		
Net Surplus / Loss	144618.30	132055.81
<u>ADJUSTMENT FOR</u>		
Extra Ordinary Item		
Depreciation	18170.62	17577.03
Profit / Loss on Sale of Asses (Net)	18.81	-861.44
Deferred Income		
Interest on Investment	-39482.39	-30970.53
Interest on loan	163.78	0.89
Operating Profit / Loss before Working Capital changes	123489.13	117801.76
<u>WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS</u>		
Inventories	-36.47	4.21
Sundry Debtors	3859.89	-6361.23
Accrued interest / Advances & Debit Balances	-18802.97	-132826.27
Current Liabilities & Provisions	64656.31	126204.54
Total Working Capital Adjustments	49676.75	-12978.75
Net Cash Flow from Operating Activities	173165.87	104823.01
<u>B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</u>		
Sale of Fixed Assets	24.50	609.03
Plan & Non-Plan Expenditure (Excl. Interest Capitalised to WIP)	-74742.21	-73912.24
Investments	-137819.04	-381498.50
Interest on investment	41347.06	33458.08
Total Cash Flow from investing Activities	-171189.68	-421343.63
<u>C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</u>		
Grants Received	1906.21	1102.00
Loans Availed / Repaid	0.00	0.00
Interest on Loans (Incl. Interest Capialised to WIP)	-163.78	-0.89
Total Cash Flow from Financing Activities	1742.43	1101.11
D. CASH / INVESTMENT (A+B+C)	3718.62	-315419.51
OPENING BALANCE OF CASH	20770.90	336190.41
CLOSING BALANCE OF CASH	24489.52	20770.90
INCREASE / (DECREASE)	3718.62	-315419.51

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण		
तुलनपत्र की अनुसूची	वार्षिक लेखा 2024-25	
नकदी प्रवाह		
	(रु. लाख में)	
विवरण	दिनांक 31.3.2025 को	दिनांक 31.3.2024 को
क. रोकड़ प्रवाह परिचालन गतिविधियां		
शुद्ध अधिशेष/हानि	144618.30	132055.81
निम्नलिखित हेतु समायोजन		
असाधारण मद		
मूल्यहास	18170.62	17577.03
परिसंपत्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि (शुद्ध)	18.81	-861.44
आस्थगित आय		
निवेश पर ब्याज	-39482.39	-30970.53
ऋण पर ब्याज	163.78	0.89
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पूर्व परिचालन लाभ/हानि	123489.13	117801.76
कार्यशील पूंजी संबंधी समायोजन		
वस्तु-सूची	-36.47	4.21
विविध देनदार	3859.89	-6361.23
प्रोदभूत ब्याज/अग्रिम एवं जमा शेष	-18802.97	-132826.27
चालू देयता एवं प्रावधान	64656.31	126204.54
कुल कार्यशील पूंजी संबंधी समायोजन	49676.75	-12978.75
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	173165.87	104823.01
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	24.50	609.03
योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय (डब्ल्युआईपी के पूंजीकृत ब्याज को छोड़कर)	-74742.21	-73912.24
निवेश	-137819.04	-381498.50
निवेश पर ब्याज	41347.06	33458.08
कुल निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-171189.68	-421343.63
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान	1906.21	1102.00
लिया गया/चुकाया गया ऋण	0.00	0.00
ऋण पर ब्याज (डब्ल्युआईपी में पूंजीकृत ब्याज सहित)	-163.78	-0.89
वित्तीय गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह	1742.43	1101.11
घ. नकद/निवेश (क+ख+ग)	3718.62	-315419.51
नकदी का अथशेष	20770.90	336190.41
नकदी का इतिशेष	24489.52	20770.90
वृद्धि/(कमी)	3718.62	-315419.51

Summary of significant accounting policies for the year ended 31 March 2025

1. NATURE OF PRINCIPAL ACTIVITIES

Deendayal Port Authority (referred to as “DPA”) is a Major Port under the The Major Port Authorities Act, 2021 (erstwhile Major Port Trust Act, 1963) functioning under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. DPA has an offshore oil terminal at Vadinar. DPA is primarily providing marine and cargo related services

2. GENERAL INFORMATION AND STATEMENT OF COMPLIANCE

DPA has its Administrative Office at Gandhidham Kutch

The financial statements of DPA have been prepared based on the revised accounting policy as set out in the recommendation of the Billimoria Committee Report and approved by the Ministry of Shipping vide its communication bearing reference No.PR-20021/2/98-PG dated 6th November 2002 and implemented with effect from the year 2003-04. The recommendations are based on the directions issued by the Ministry from time to time on various issues like rates of depreciation, useful life of assets etc.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. ACCOUNTING CONCEPTS

The financial statements have been prepared using the significant accounting policies and measurement bases summarised below. These were used throughout all periods presented in the financial statements. The accounts are prepared on historical cost concept based on accrual method of accounting as a going concern. The figures shown in the accounts are in lakhs and figures of the previous year have been regrouped / reclassified wherever necessary to conform to this year classification.

B. REVENUE RECOGNITION

REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognised on completed service method. Operating Revenue is measured based on the rates of various services specified in the Scale of Rates approved by the TAMP from time to time, which is the consideration, adjusted for variable considerations, if any, as specified in the contract with the customer. Revenue also excludes taxes collected from customers.

DIVIDEND INCOME

Dividend on units/shares is accounted for when the dividend is actually received.

C. FIXED ASSETS & DEPRECIATION

Recognition

Fixed Assets are stated at Original Cost of acquisition plus other incidental expenses of the same. The cost of any software purchased initially along with the computer hardware is being capitalized along with the cost of the hardware. Fixed Assets under construction are categorized as Capital Work in Progress.

Repair and maintenance costs are recognised in statement of profit and loss as incurred.

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

1. प्रमुख गतिविधियों का स्वरूप

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ("डीपीए" के रूप में संदर्भित) महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (पूर्व में महापत्तन न्यास अधिनियम 1963) के तहत भारत सरकार पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग, मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक महापत्तन है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का वाडीनार में एक अपतट तेल टर्मिनल है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण मुख्य रूप से समुद्री एवं नौभार से जुड़ी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

2. सामान्य जानकारी तथा अनुपालन का विवरण

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का प्रशासनिक कार्यालय गांधीधाम कच्छ में अवस्थित है।

बिलिमोरिया समिति की रिपोर्ट की सिफारिश में यथानिर्धारित संशोधित लेखांकन नीति के आधार पर दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है और दिनांक 6 नवंबर 2002 के पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र संदर्भ सं. पीआर-20021/2/98-पीजी द्वारा अनुमोदित तथा वर्ष 2003-04 से कार्यान्वित हुआ। ये सिफारिशें मंत्रालय द्वारा समय-समय पर मूल्यहास की दरों, परिसंपत्तियों के उपयोगकाल आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर जारी निदेशों पर आधारित हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

क. लेखांकन अवधारणाएँ

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का उपयोग कर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं और माप संबंधी आधार का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में इनका उपयोग किया गया था। चलन के रूप में लेखांकन प्रौद्योगिकी पद्धति पर आधारित ऐतिहासिक लागत की अवधारणा पर लेखे तैयार किए गए हैं, लेखों में दर्शाए गए आंकड़े लाखों में हैं और पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप, जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

ख. राजस्व मान्यता

राजस्व मान्यता

राजस्व को संपूरित सेवा पद्धति पर मान्यता प्राप्त है। परिचालन राजस्व को समय-समय पर टैम्प द्वारा अनुमोदित दरमान में विनिर्दिष्ट विविध सेवा-दरों के आधार पर मापा जाता है, जो कि एक विवेचन है और ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध में यथा विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय विवेचन, यदि कोई हो तो, समायोजित किया जाता है। ग्राहकों से संग्रहित करों को राजस्व में शामिल नहीं किया गया है।

लाभांश आय

वास्तविक लाभांश प्राप्त होने पर यूनिटों/शेयरों पर लाभांश को लेखित किया जाता है।

ग. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यहास

मान्यता

स्थायी परिसंपत्तियां को अधिग्रहण की मूल लागत तथा उसके प्रासंगिक खर्चों पर दर्शाया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ शुरू में खरीदे गए किसी भी सॉफ्टवेयर की लागत को हार्डवेयर की लागत के साथ-साथ पूंजीकृत किया जा रहा है। निर्माणाधीन स्थायी परिसंपत्तियां को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मरम्मत और अनुरक्षण की लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अनुवर्ती माप (मूल्यहास)

Subsequent measurement (depreciation)

Depreciation on Fixed Assets is charged on straight line method based on the useful life & scrap value of the assets fixed by the Ministry of Shipping vide its communication bearing reference **No.PR-24021/28/98-PG dated 20.08.1998** or based on the useful life fixed by the concerned Department and is applied consistently so far.

The depreciation on assets put to use for less than 30 days are provided with no depreciation and assets put to use for less than 180 days are provided with half the depreciation and assets in use for 180 days or more are provided full depreciation.

The residual values, useful lives and method of depreciation of property, plant and equipment are reviewed only when the directions are received in this regard from the Ministry.

De-recognition

An item of Fixed Asset and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on de-recognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is recognised in the statement of profit and loss when the asset is derecognised.

D. FOREIGN CURRENCY

Functional and presentation currency

The financial statements are presented in INR, which is also the functional currency of DPA. All dollar denominated rates are converted into equivalent Indian Rupees at the market buying rate notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its associates or any other Public Sector banks as may be specified from time to time, on the date of entry of vessel into the port limits. Payments made in Foreign Currency are accounted for at the rate prevailing on the date of transaction.

E. FINANCIAL INSTRUMENTS

INVESTMENTS

Long term Investments are valued at Cost. Long term investment are investment made for a period of more than one year. Investment have been classified in the financial statement as current and long term investment as per the provision contained in Common Framework of Financial Reporting (CFFR) by Major Ports. The investments consist of PSU Bonds, Equity participation and Term deposits with Banks. All investments are non-trade investments. Interest on investments and deposits is recognized on time basis. The interest earned/accrued on the investment of the Statutory Reserves is being credited directly to the respective reserves.

F. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

A provision is recognized when the DPA has a present obligation as a result of past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions determined based on the best estimate required to settle the obligation at the reporting date. These estimates are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. Contingent liabilities are disclosed by way of note unless the possibility of outflow is remote.

अनुवर्ती माप (मूल्यहास)

स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या पीआर-24021/28/98-पीजी दिनांक 20.08.1998 के माध्यम से निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोग-अवधि तथा स्क्रेप मूल्य पर आधारित सीधी रेखांकन पद्धति अथवा संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित उपयोग-अवधि पर प्रभारित किया जाता है और अब तक लगातार लागू किया गया है।

30 दिनों से कम समय हेतु उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को बिना मूल्यहास के उपबंधित किया जाता है और 180 दिनों से कम समय हेतु उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों पर आधा मूल्यहास उपबंधित किया जाता है और 180 दिनों या उससे अधिक समय हेतु उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों पर पूर्ण मूल्यहास उपबंधित किया जाता है।

मंत्रालय से इस संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर ही संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यहास से संबंधित अवशिष्ट मूल्य, उपयोग-अवधि और पद्धति की समीक्षा की जाती है।

मान्यता-निरसन

स्थायी परिसंपत्तियों की मद और प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को निपटान अथवा जहां इसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, की मान्यता निरस्त की जाती है। परिसंपत्तियों की मान्यता-निरसन होने पर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (सकल निपटान मुनाफा और परिसंपत्तियों से संबंधित वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को लाभ व हानि-विवरण में मान्यता प्राप्त है।

घ. विदेशी मुद्रा

कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की कार्यचालन मुद्रा भी है। पोर्ट सीमा में जलयानों की प्रविष्टि की तारीख पर, जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हो, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगियों अथवा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अधिसूचित बाजार खरीद दर पर सभी डॉलर मूल्यवर्ग की दरों को भारतीय रुपयों के समरूप परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतानों को लेन-देन की तारीख से प्रचलित दर पर लेखित किया जाता है।

च. वित्तीय उपकरण

निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं। दीर्घावधि निवेश एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किया गया निवेश है। महापत्तनों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढांचे (सीएफएफआर) में निहित प्रावधान के अनुसार वित्तीय विवरण में निवेश को चालू और दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन निवेशों में पीएसयू बांड, इक्विटी भागीदारी और बैंकों में दीर्घावधि जमा शामिल हैं। सभी निवेश गैर-व्यापारिक निवेश हैं। निवेशों और जमा पर ब्याज को समयावधि आधार पर मान्य किए जाते हैं। सांविधिक आरक्षित संबंधी निवेश पर अर्जित/प्रोद्भूत ब्याज को सीधे संबंधित आरक्षित में जमा किया जा रहा है।

छ. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

पिछली स्थितियों के परिणामस्वरूप दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वर्तमान कार्य-बाध्यता होने पर प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यह संभव है कि कार्य-बाध्यता का समाधान करने हेतु आर्थिक लाभ से जुड़े संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा और कार्य-बाध्यता की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। रिपोर्टिंग तिथि पर कार्य-बाध्यता का निपटान करने हेतु अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर प्रावधानों का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन अनुमानों की समीक्षा की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने हेतु समायोजित किया जाता है। जब तक बहिर्गमन की संभावना दूरस्थ न हो तब तक आकस्मिक देयताओं को टिप्पणी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।

G. GOVERNMENT GRANT

Government grants are recognized where there is reasonable assurance that the grant will be received and all attached conditions will be complied with. DPA follows capital approach for accounting grants received by it and accordingly the amounts of grants received for an asset is reduced from the cost of such asset. Accordingly, the cost of such asset is reflected in the financial statements after reducing the related grant. Depreciation is provided on such reduced value

H. LEASES

Operating leases are considered as Revenue in nature and accordingly receipts and payments are accounted. However, one-time non-refundable upfront Premium received from lessees are apportioned over the period of lease.

I. INVENTORIES

The Weighted Average Method is adopted for valuation of inventory and no depreciation policy has been adopted by the Port on the stores items

J. INCOME TAX

DPA claims exemption of its entire income under Section 11-13 of the Income Tax Act, 1961 while filing the Income Tax return. Being the issue is pending before Hon'ble ITAT since AY 2009-10 and recent judicial pronouncement w.r.t eligibility exemption u/s 11-13 of the Act, following procedure is adopted:

- Registration u/s 12AA has been obtained from the Income Tax Department.
- Income Tax provided / Paid is claimed as expenditure on a conservative and consistency basis during FY 2023-24.
- The entire income tax paid is / will be claimed as refund in the Income Tax Return.
- The receipt of Income Tax refund is / will be reckoned as income in the year of receipt.

Further to above, *The Finance Act, 2023 has inserted Section 10 [46A] and being* Deendayal Port Authority is a Authority constituted by or under a Central Act, it has applied to claim exemption u/s 10(46A) of the Act to Central Board of Direct Taxes on 31.03.2025 for AY 2025-26 which is still under consideration with the Competent Authorities.

In view of such recently introduced provisions of the Law, the above referred procedure for claiming exemption u/s 11-13 of the IT Act will be reviewed by the Management at the time of filing of Income Tax Return.

K. CASH AND BANK BALANCES.

Cash comprises cash on hand and demand deposits i.e. balances held with banks for unrestrictive use. Cash equivalents are short term, highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. All the Bank Accounts operated by DPA are in Scheduled Banks.

ज. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को मान्यता दी जाती है जहाँ यथोचित आश्वासन मिलता हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण इसके द्वारा प्राप्त लेखांकन अनुदान के लिए पूंजीगत दृष्टिकोण अपनाता है और तदनुसार परिसंपत्ति के लिए प्राप्त अनुदान की मात्रा ऐसी परिसंपत्ति की लागत से कम हो जाती है। तदनुसार, संबंधित अनुदान को कम करने के बाद वित्तीय विवरणों में ऐसी परिसंपत्ति की लागत प्रतिबिंबित होती है। ऐसे घटे हुए मूल्य पर मूल्यहास उपबंधित किया जाता है।

झ. पट्टा

प्रचालन पट्टों को राजस्व-प्रकृति की तरह माना जाता है और तदनुसार प्राप्तियों और संदायों को लेखित किया जाता है। तथापि, पट्टों से प्राप्त एकबारगी अप्रतिदाय अग्रिम किस्त को पट्टा-अवधि में विभाजित किया जाता है।

ट. वस्तुसूची

वस्तुसूची के मूल्यांकन हेतु भारित औसत पद्धति अपनाई जाती है और पोर्ट द्वारा भंडारण मदों पर कोई मूल्यहास नीति नहीं अपनाई गई है।

ठ. आयकर

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने आयकर रिटर्न भरते समय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11-13 के तहत अपनी आय में छूट का दावा प्रस्तुत किया है, चूँकि यह मामला निर्धारण वर्ष 2009-10 से माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष लंबित है और अधिनियम की धारा 11-13 के अंतर्गत पात्रता छूट के संबंध में हाल ही में न्यायिक निर्णय हुआ है, जिसमें निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- आयकर विभाग से धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिए गए/भुगतान किए गए आयकर को रूढ़िवादी और सुसंगत आधार पर व्यय के रूप में दावा किया गया है।
- आयकर रिटर्न में भुगतान किया गया संपूर्ण आयकर रिफंड के रूप में दावा किया गया है/किया जाएगा।
- आयकर रिफंड की प्राप्ति को प्राप्ति वर्ष में आय के रूप में गिना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, **वित्तीय अधिनियम, 2023 में धारा 10 [46ए]** को शामिल किया गया है और चूंकि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत गठित प्राधिकरण है, इसने 31.03.2025 को निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए अधिनियम की धारा 10(46ए) के तहत छूट का दावा करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवेदन किया है, जो अभी भी सक्षम प्राधिकारियों के पास विचाराधीन है।

वर्तमान में शुरू किए गए विधि के प्रावधानों के मद्देनजर, आयकर अधिनियम की धारा 11-13 के तहत छूट का दावा करने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया की समीक्षा आयकर रिटर्न भरते समय प्रबंधन द्वारा की जाएगी।

ड. नकद एवं बैंक में जमा शेष

नकद में हाथ में मौजूद नकद और मांग जमा, अर्थात् बैंकों में अप्रतिबंधित उपयोग के लिए रखी गई शेष राशि शामिल है। नकद समतुल्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश होते हैं जिन्हें आसानी से नकद राशि में परिवर्तित किया जा सकता है और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है। डीपीए द्वारा संचालित सभी बैंक खाते अनुसूचित बैंकों में हैं।

L. POST-EMPLOYMENT BENEFITS AND SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS.

Defined benefit plans

The pension & gratuity payable to the employees of DPA recruited prior to 01-01-2004 is defined and based on the Salary of the employee at the time of retirement and length of service. DPA has created separate Trusts for Pension and Gratuity to meet the defined benefit obligations. Every year necessary contribution is made to build the corpus of these funds based on the Actuarial Valuation done by LIC of India. The corpus fund is invested with LIC of India. The pension and gratuity payments of the year have been made from the respective Trust accounts

Similarly, Leave Encashment Fund has been constituted for meeting the encashment liability with effect from 2017-18. Every year necessary contribution is being made to build the corpus of the fund based on actuarial valuation done by LIC of India as per AS-15. Based on the above valuation, the liability is recognised in accounts and necessary amount deposited with LIC Group Leave Encashment Scheme subject to a minimum contribution to the extent of actual expenditure incurred during the previous year. The payment of leave encashment availed by the employees is being made by LIC of India from the corpus of this fund.

Consequent upon the formation of Superannuation & Gratuity Fund Trusts as separate entities the financial statements of these Trusts are excluded from the Financial Statements of Deendayal Port Trust and presented separately

Short-term employee benefits

Short term benefits comprise of employee costs such as salaries, bonus etc. accrued in the year in which the associated service are rendered by employees.

Defined contribution plans

DPA's share of contribution to New Pension Scheme (TIER-I) is made to the NPS trust every month.

Other benefits

Voluntary /Special Voluntary retirement expenses are charged to statement of profit and loss in the year of its incurrence.

M. Miscellaneous.

(a) All Sundry Debtors are considered good and hence no provision is made for bad debts as per Government Letter No. PR-20021/2/98-PG dated 6/11/2002. **The matter is being taken up with CAG to formulate a uniform policy in this regard by Ministry vide letter No. PD-21015/1/2017-PD-IV/327607 dated 04/05/2018.**

Pending clarification from Government of India and to comply with the CAG remarks, DPA framed a policy as under: -

(I) No provision is being made for Debts due from a Government undertaking irrespective of any time limit.

ढ. नियोजनोत्तर हितलाभ एवं अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ

परिभाषित हितलाभ योजनाएँ

दिनांक 01-01-2004 से पूर्व भर्ती हुए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को देय पेंशन और उपदान को सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन और सेवा-अवधि पर परिभाषित और आधारित है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने परिभाषित लाभ संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए पेंशन और उपदान हेतु अलग न्यास बनाए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इन निधि-कोष के निर्माण में प्रति वर्ष आवश्यक अंशदान दिया जाता है। इस कोष-निधि का निवेश भारतीय जीवन बीमा निगम में किया जाता है। इस वर्ष के पेंशन और उपदान का भुगतान संबंधित न्यास के खातों से किया गया है।

इसी प्रकार 2017-18 से प्रभावी नकदीकरण देयता की पूर्ति करने हेतु अवकाश नकदीकरण निधि का गठन किया गया है। एस-15 के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कोष के निर्माण में प्रति वर्ष आवश्यक अंशदान दिया जा रहा है। उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर, देयता लेखा में स्वीकृत किया जाता है और गत वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय की सीमा तक न्यूनतम अंशदान के अधीन आवश्यक राशि भारतीय जीवन बीमा निगम सामूहिक अवकाश नकदीकरण योजना में जमा की गई। कर्मचारियों द्वारा लिए गए अवकाश नकदीकरण का भुगतान इसी निधि-कोष से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

सेवानिवृत्ति और उपदान निधि हेतु अलग-अलग संस्थाओं के रूप में न्यासों का गठन किए जाने के परिणामस्वरूप, इन न्यासों के वित्तीय विवरणों को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों से निकाल दिया गया है और इन्हें अलग से प्रस्तुत किया गया है।

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में शामिल वेतन, बोनस आदि जैसी कर्मचारियों की लागत उस वर्ष प्रोद्भूत होती है जिस वर्ष में कर्मचारियों द्वारा संबद्ध सेवा प्रदान की जाती है।

परिभाषित अंशदान योजनाएँ

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की नई पेंशन योजना (सोपान-I) का अंश प्रतिमाह एनपीएस ट्रस्ट में जमा किया जाता है।

अन्य लाभ

स्वैच्छिक/विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति व्ययों को उसके भार-ग्रहण वर्ष में लाभ व हानि संबंधी विवरण में प्रभारित किया जाता है।

प. विविध

(क) सभी विविध देनदारों को उत्तम माना जाता है और इसलिए सरकार के पत्र क्रमांक पीआर-20021/2/98-पीजी दिनांक 6/11/2002 के अनुसार अशोध्य ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मंत्रालय के पत्र क्रमांक पीडी-21015/1/2017- पीडी-IV/327607 दिनांक 04/05/2018 के द्वारा इस संबंध में एक समान नीति तैयार करने के लिए नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के समक्ष यह मामला उठाया जा रहा है।

भारत सरकार के पास लंबित स्पष्टीकरण और नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का अनुपालन करने हेतु दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार एक नीति बनाई : -

(I) किसी भी समय-सीमा के निरपेक्ष किसी सरकारी उपक्रम से बकाया ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

(ii) No Provision is being made for Debts recognized in books relating to PPP & other projects in the case of on-going litigation in any Court, Arbitration and other forums.

(iii) Provision is being made for the un-identifiable amounts lying in accounts for more than 5 years based on the estimate made by respective department

(b) Disputed claims & interest on delayed payments are recognized on receipt basis in view of the uncertainty involved in ultimate realization.

(c) Dredging expenditure incurred for maintaining existing levels of depth and width are charged to Revenue, while expenditure incurred on achieving additional depth is treated as Capital in nature.

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS 2024-25.

A. Notes pertaining to Balance Sheet Items.

1. Reserves & Surplus

(a) Capital reserve represents the amounts appropriated towards creation of capital assets and other capital receipts. In view of sufficient balance, further appropriations to Capital Reserve has been discontinued from F.Y 2023-24.

(b) Ministry of Shipping vide letter No. PG-F-15/76 dated 22/09/1976 has directed the creation of the following reserves: -

(i) 3 percent of Capital Employed to Replacement, Rehabilitation & Modernisation.

(ii) 3 percent of Capital Employed towards Development, Repayment and Contingencies.

Accordingly, these reserves are being operated accordingly since then. Capital employed has been taken as "Net Capital Block Plus Working Capital." (Working Capital is Current Assets Minus Current liabilities) as defined in Ministry of Shipping's letter No. PG-F-15/76 dated 22/09/1976

(c) "Capital Assets Replacement Reserve" has been created for the purpose of meeting the gap between historical and replacement cost of assets in compliance of Ministry's directions issued vide letter No. PGF/53/78 dated 29/06/1979 with a ceiling of Rs. 2000 lakhs.

(d) As per TAMP guidelines for tariff fixation, at least 50% of royalty / revenue share should be maintained in an escrow account for the purpose of creation and / or modernization of Port infrastructural facilities within a period of 5 years. Accordingly, Port has complied with the TAMP guidelines until financial year 2014-15. However, the new guidelines i.e. "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts 2015" issued by TAMP which came into effect from 13th January, 2015 are not mandating on setting aside such amount. Hence, from F.Y 2015-16 onwards no such appropriation has been carried out towards infrastructure Reserve and the balance in infrastructure Reserve as on 31.03.2024 i.e. Rs. 309.41 crore has been written back to General Reserves.

(ii) किसी न्यायालय, मध्यस्थता और अन्य फोरम पर चल रही मुकदमेबाजी के मामले में पीपीपी तथा अन्य परियोजनाओं से जुड़ी बहियों में स्वीकृत ऋण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

(iii) संबंधित विभाग द्वारा किए गए प्राक्कलन के आधार पर 5 वर्षों से अधिक समय तक खातों में पड़ी गैर-चिन्हित योग्य राशि के लिए प्रावधान किया जा रहा है।

(ख) समग्र राशि की प्राप्ति में शामिल अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्राप्ति के आधार पर विलंबित भुगतानों पर विवादित दावों और ब्याज को स्वीकृति दी जाती है।

(ग) गहराई और चौड़ाई के वर्तमान स्तरों को कायम रखने हेतु किए गए निकर्षण-व्यय को राजस्व में प्रभारित किया जाता है, जबकि अतिरिक्त हासिल करने पर किए गए व्यय को पूंजी के रूप में माना जाता है।

वर्ष 2024-25 के लेखाओं के भाग के रूप में टिप्पणियां

क. तुलन-पत्र मदों से संबंधित टिप्पणियां

1. आरक्षित एवं अधिशेष

(क) पूंजी आरक्षित, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन और अन्य पूंजीगत प्राप्तियों के लिए विनियोजित राशियों को दर्शाती है। पर्याप्त शेष राशि को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2023-24 से पूंजी आरक्षित निधि में आगे के विनियोजन बंद कर दिए गए हैं।

(ख) पोत परिवहन मंत्रालय ने पत्र संख्या पीजी-एफ-15/76 दिनांक 22/09/1976 द्वारा निम्नलिखित आरक्षितों का सृजन करने हेतु निर्देश दिए हैं:-

(i) पूंजी का 3 प्रतिशत प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण में नियोजित।

(ii) पूंजी का 3 प्रतिशत विकास, पुनर्भुगतान और आकस्मिकताओं के मददे नियोजित।

तदनुसार, तभी से इन आरक्षितियों का संचालन किया जा रहा है। नियोजित पूंजी को "सकल पूंजीगत ब्लॉक के साथ कार्यचालन पूंजी" के रूप में लिया गया है। (कार्यचालन पूंजी चालू परिसंपत्तियां घटाकर चालू देयताएं हैं) जैसा कि पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र क्रमांक पीजी-एफ-15/76 दिनांक 22/09/1976 में परिभाषित किया गया है।

(ग) "पूंजीगत परिसंपत्तियां प्रतिस्थापन आरक्षित" को मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में पत्र सं. पीजीएफ/53/78 दिनांक 29/06/1979 द्वारा रु 2000 लाख की उच्चतम सीमा सहित जारी परिसंपत्तियों के ऐतिहासिक एवं प्रतिस्थापन लागत के बीच के अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

(घ) टैरिफ निर्धारण हेतु टीएमपी दिशानिर्देशों के अनुसार, 5 वर्ष की अवधि के भीतर पोर्ट अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन और/या आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कम से कम 50% रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी को एस्क्रो खाते में रखा जाना चाहिए। तदनुसार, पत्तन ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक टीएमपी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। लेकिन टीएमपी द्वारा जारी नए दिशानिर्देश अर्थात् "महापत्तन न्यासों के लिए टैरिफ निर्धारण नीति 2015", जो 13 जनवरी, 2015 से प्रभावी है, ऐसी राशि को अलग से रखने का आदेश नहीं दिया गया। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाद से अवसंरचना आरक्षित के लिए ऐसा कोई विनियोजन नहीं किया गया है और अवसंरचना आरक्षित में 31.03.2024 तक शेष राशि अर्थात् 309.41 करोड़ रुपये को सामान्य आरक्षित में वापस लिख दिया गया है।

2. Fixed Assets

(a) Furniture is charged under the Revenue heads.

(b) New Minor Works i.e. works costing less than Rs. One lakh are charged under Revenue heads.

3. Investments

(a) Equity participation with KRCL, Petronet V.K. Ltd., SRC Ltd., IPRCL are un-quoted investments. The investments of M/s. SRC Ltd. includes two shares, not listed of Rs. 2000. During F.Y 2023-24 the Kutch Railway Company Limited allotted Right Shares and accordingly an amount of Rs. 148.36 crores had been paid for acquisition for such Right Shares.

(b) The equity investment of Rs. 500 lakhs, made in Petronet V. K. Ltd has eroded due to negative net worth of Petronet V K Ltd. and the company has become sick. A provision of Rs. 500 lakhs have been made during the year 2015-16 towards diminution in the value with the approval as approved by the Board vide Resolution No. 152 of 12/02/2016.

(c) During the year 2018-19, DPA had invested an amount of Rs. 25704.52 lakhs in acquiring 50,40,101 Nos. of equity shares of Dredging Corporation of India @ Rs. 510 per share in accordance with the Shareholder Agreement dated 8th March 2019. The shares are listed on Recognized Stock Exchanges and closing price as on 31/03/2025 is Rs. 546.20 per share on National Stock Exchange of India.

(d) DPA has filed court case for recovery of the principal amount of investment together with interest due in respect of the following PSU. This investment has been swapped with the investment of General Provident Fund in the past with the approval of the Board.

The present status of above investments is as under:

Investment in MPSIDC

Name of PSU	Present Principal (Rs in Lacs)	Present Status and Remarks
Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation	27.60	The matter is pending with High Court, Jabalpur. Hearings have been conducted on the following dates: 27/06/2022, 21/07/2022, 27/08/2022, 01/09/2022, 12/09/2022, 03/11/2022, 17/01/2023 as informed by the Advocate and the matter is scheduled for final hearing.

(e) Out of total investment in FDRs, following FDRs have been pledged:

-With High Court of Gujarat for ABGKCTL Litigation - Rs. 25900.00 lakhs Litigation as on 31.03.2025.

2. स्थायी परिसंपत्तियां

(क) फर्नीचर को राजस्व शीर्षों के तहत प्रभारित किया जाता है।

(ख) नये लघु कार्यों अर्थात् रुपए एक लाख से कम लागत वाले कार्यों को राजस्व शीर्षों के तहत प्रभारित किया जाता है।

3. निवेश

(क) केआरसीएल, पेट्रोनेट वी. के. लिमिटेड, एसआरसी लिमिटेड, आईपीआरसीएल के साथ इक्विटी सहभागिता अनुद्धृत निवेश हैं। मैसर्स एसआरसी लिमिटेड के निवेश में दो शेयर रु. 2000 सूचीबद्ध नहीं हैं, शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड ने राइट शेयर आबंटित किए और तदनुसार ऐसे राइट शेयरों के अधिग्रहण के लिए 148.36 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

(ख) पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड की नकारात्मक शुद्ध संपत्ति के कारण पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड में किया गया रु. 500 लाख का इक्विटी निवेश घट गया है और कंपनी रुग्ण हो गई है। मूल्य में हुई कमी के मददे वर्ष 2015-16 के दौरान रु.500 लाख के किए गए प्रावधान बोर्ड के संकल्प सं. 152 दिनांक 12/02/2016 के द्वारा अनुमोदित है।

(ग) वर्ष 2018-19 के दौरान दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने शेयरधारक समझौता दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार रु. 510 प्रति शेयर की दर से ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 50,40,101 इक्विटी शेयर अर्जित करते हुए रु. 25704.52 लाख की राशि का निवेश किया था। ये शेयर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं और भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दिनांक 31/03/2025 तक बंद-भाव प्रति शेयर रु. 546.20 है।

(घ) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में निवेश की गई मूल राशि और देय ब्याज की वसूली के लिए अदालत में मामला दायर किया है। इस निवेश को बोर्ड के अनुमोदन से पूर्व में सामान्य भविष्य निधि के निवेश के रूप में बदल दिया गया है।

यथोक्त निवेशों की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

एमपीएसआईडीसी में निवेश

सार्वजनिक उपक्रम का नाम	मूल निवेश (रु लाखों में)	वर्तमान स्थिति एवं टिप्पणियां
मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	27.60	यह मामला उच्च न्यायालय, जबलपुर में लंबित है। इसकी सुनवाई निम्नलिखित तिथियों पर हुई है: 27/06/2022, 21/07/2022, 27/08/2022, 01/09/2022, 12/09/2022, 03/11/2022, 17/01/2023 जैसा कि अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है। मामला अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित है।

(च) एफडीआर में कुल निवेश में से निम्नलिखित एफडीआर गिरवी रखे गए हैं:

-एबीजीकेसीटीएल मुकदमेबाजी के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के साथ - 31.03.2025 तक मुकदमेबाजी के लिए रु. 25900.00 लाख ।

4. CURRENT ASSETS.

DPA has provided a loan for a sum of Rs. 36 Crs. to Dredging Corporation of India Ltd on 1st November, 2022 on the following repayment terms and conditions:

- (a) Repayment period: The said loan will be repaid in 5 yearly instalments after completion of moratorium period. The said loan shall be recovered in instalments as stated above from the monthly running invoices raised by DCI.
- (b) Interest: Interest will be paid annually including moratorium period of 3 years from the date of drawal of loan.
- (c) Rate of Interest: Interest is payable @ SBI's 3 year's MCLR prevailing as on the date of the release of loan amount and spread at the rate of 0.2%
- (d) Moratorium period: 3 years from the date of disbursement of the said loan.

Other terms & conditions:

- (a) In addition, the borrower will provide comfort letter from other ports having dredging contract with the borrower. However, if there is no contract with a particular port, then comfort letter in this regard will be obtained and submitted by the borrower from the port after obtaining the contract from the particular port. In addition, the borrower will provide corporate guarantee in this regard.

5. CAPITAL DEBT.

The Port Trust was formulated under MPT Act, 1963 on 29.02.1964. Under the provisions of the MPT Act an amount of Rs.161162478 was determined as initial capital debt which was exhibited in the balance sheet as capital debt. During the year 2020-21 matter was taken up with Ministry and a committee was constituted by Ministry to examine the premature repayment of Government loan including capital debt to DPT. Based on the recommendations by the committee, capital debt has been treated as Capital reserve.

5. [A] CONTINGENT LIABILITIES

The amount claimed by following entities mentioned below from DPA being subject matter of pending litigation is contingent: -

Sr. No	Name of Entity	Amount (in Lakhs)	Case No.	Status
01	M/s. ABGKCTL	320 Crs Claimed by ABGKCTL, 110 Crs claimed by lenders	Under arbitration	<ul style="list-style-type: none"> The Arbitration process is ongoing, cross examination of witness of ABGKCTL and lenders have been completed. Currently, the witnesses of DPA are examined. Mr. Srinivas ex Deputy Conservator has been examined and his testimony has been completed. The Ports next witness Mr. Mithesh Vora CA (M/shah & Co.) has been cross examined and it was completed in the month of March. Currently, Ms. Dabke, FA& CAO (JNPA) is to be the Next Port Witness and he is to be examined. The Next date of Hearing is on 20.06.2025 held at Mumbai.

4. चालू परिसंपत्तियाँ

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने 1 नवंबर, 2022 को ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को निम्नलिखित पुनर्भुगतान नियमों और शर्तों के तहत रु. 36 करोड़ का ऋण दिया है:

(क) पुनर्भुगतान अवधि: उक्त ऋण का पुनर्भुगतान स्थगन अवधि पूरी होने के बाद 5 वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। उक्त ऋण की वसूली डीसीआई द्वारा जारी मासिक चालू चालानों से ऊपर बताए अनुसार किश्तों में की जाएगी।

(ख) ब्याज: ऋण आहरण की तिथि से 3 वर्ष की स्थगन अवधि सहित ब्याज का भुगतान वार्षिक रूप से किया जाएगा।

(ग) ब्याज दर: ऋण राशि जारी होने की तिथि से एसबीआई की विद्यमान 3 वर्षीय एमसीएलआर और 0.2% की दर से ब्याज देय है।

(घ) ऋण स्थगन अवधि: उक्त ऋण के वितरण की तिथि से 3 वर्ष तक।

अन्य नियम एवं शर्तें:

(क) इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता को उन अन्य पत्तनों से प्राप्त कंफर्ट पत्र भी प्रस्तुत करना होगा जिनके साथ उधारकर्ता का ड्रेजिंग अनुबंध है। लेकिन यदि किसी विशेष पत्तन के साथ कोई अनुबंध नहीं है, तो उधारकर्ता को उस पत्तन से अनुबंध प्राप्त करने के बाद, इस संबंध में कंफर्ट पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता को इस संबंध में कॉर्पोरेट गारंटी भी देनी होगी।

5. पूंजीगत ऋण

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत 29.02.1964 को पोर्ट ट्रस्ट का गठन किया गया। महापत्तन न्यास अधिनियम के प्रावधानों के तहत, रु.161162478/- की राशि प्रारंभिक पूंजी ऋण के रूप में निर्धारित की गई थी, जिसे तुलन पत्र में पूंजी ऋण के रूप में दर्शाया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान मंत्रालय के समक्ष मामला उठाया गया और डीपीटी को पूंजीगत ऋण सहित सरकारी ऋण की किए गए समयपूर्व पुनर्भुगतान की जांच के लिए मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर, पूंजीगत ऋण को पूंजी आरक्षित निधि माना गया है।

5. [क] आकस्मिक देयताएँ

दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण से लंबित मुकदमे के मामले में नीचे उल्लिखित संस्थाओं द्वारा किए गए दावे की राशि आकस्मिक है: -

क्रम सं.	संस्था का नाम	राशि (लाख रुपयों में)	मामला सं.	स्थिति
01	मैसर्स एबीजीकेसीटीएल	एबीजीकेसीटीएल द्वारा 320 करोड़ का दावा किया गया, ऋणदाताओं द्वारा 110 करोड़ का दावा किया गया	मध्यस्थता के अधीन	<ul style="list-style-type: none"> मध्यस्थता प्रक्रिया जारी है, एबीजीकेसीटीएल और ऋणदाताओं के गवाहों की प्रतिपरीक्षा पूरी हो चुकी है। वर्तमान में, डीपीए के गवाहों की प्रतिपरीक्षा चल रही है। पूर्व उप संरक्षक श्रीनिवास से पूछताछ हो चुकी है और उनकी गवाही पूरी हो गई है। पत्तन के अगले गवाह श्री मिथेश वोरा सीए (मैसर्स शाह एंड कंपनी) की प्रतिपरीक्षा हो चुकी है और यह मार्च महीने में पूरी हो गई है। वर्तमान में, सुश्री दखिया वि.स एवं मु. ले. अधिकारी (जेएनपीए) अगली पत्तन की ओर से गवाह होंगी जिनसे पूछताछ की जानी है। अगली सुनवाई 20.06.2025 को मुंबई में होगी।

02	Jaisu Shipping Co. Pvt. Ltd.	11911	CMA no. 116 of 2016	DPA has filed suit for recovery of Rs. 5707 lakhs and party had counter claim of Rs. 11911 lakhs. The matter is in hearing stage.
03	Doongursee Salt Works	8086	Spl C.S. No. 5 of 2014	The compensation of Rs. 8086.40 towards eviction from salt land was claimed by the party before the district court. The matter is dismissed. Plaintiff's prayer wasn't allowed and returned. A new suit Comm CS. No.3 of 2022 has been filed in the local district court at Gandhidham.
04	Bhumi Kwang	17509	Arbitration Completed, Execution Petition was filed in the local court at Gandhidham.	The Arbitration proceedings have been successfully concluded, with the award passed in favor of Deendayal Port Authority (DPA). Following this, an execution petition has been duly prepared and filed before the competent local court at Gandhidham for enforcement of the Award.
05	PSLIPL	Rs.1711	CMA no. 21 of 2017	<ul style="list-style-type: none"> Arbitration Tribunal pronounced the award. DPA has challenged the award before the commercial court. Matter is pending adjudication. PSL Ltd. (parent Company of PSLIPPL) under section 10 of insolvency and bankruptcy code 2016 has filed an application before the NCLT, wherein the Adjudicating Authority declared a moratorium for the purpose referred in section 14 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 on 15.02.2019. Thereafter on 11.09.2020, the Hon'ble NCLT passed an order of Liquidation, thereby cessation of the order of Moratorium passed earlier. The form C containing the port's claim has been admitted provisionally. The Insolvency specialist is in the process of filing an application before the Adjudicating Authority. The matter is presently under adjudication before the National Company Law Tribunal (NCLT), with hearing actively in hearing actively in progress.

02	जैशु शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	11911	2016 का सी.एम.ए. सं. 116	डीपीए ने रु. 5707 लाख की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है और पार्टी ने रु. 11911 लाख का प्रतिदावा किया है। यह मामला सुनवाई के चरण में है।
03	डुंगरसी सॉल्ट वर्क्स	8086	2014 का विशेष सी.एस. सं. 5	पार्टी ने नमक भूमि से निष्कासन के लिए 8086.40 रुपये के मुआवजे का दावा जिला न्यायालय में किया था। यह मामला खारिज कर दिया गया। वादी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई और उसे वापस कर दिया गया। गांधीधाम स्थित स्थानीय जिला न्यायालय में एक नया मुकदमा, 2022 का वाणिज्यिक सी.एस. सं. 3 दायर किया गया है।
04	भूमि क्वान्ग	17509	मध्यस्थता पूरी हुई, गांधीधाम की स्थानीय अदालत में निष्पादन याचिका दायर की गई।	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (डीपीए) के पक्ष में निर्णय पारित करने के साथ मध्यस्थता कार्यवाही सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। इसके बाद, निर्णय प्रवर्तन हेतु गांधीधाम स्थित सक्षम स्थानीय न्यायालय में एक निष्पादन याचिका विधिवत तैयार कर दायर की गई है।
05	पीएसएलआईपीएल	रु.1711	2017 का सी.एम.ए. सं. 21	<ul style="list-style-type: none"> मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने निर्णय सुनाया। डीपीए ने वाणिज्यिक न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी है। यह मामला अभी न्यायिक निर्णय के लिए लंबित है। पीएसएल लिमिटेड (पीएसएलआईपीपीएल की मूल कंपनी) ने दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 10 के तहत एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने 15.02.2019 को दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 14 में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए स्थगन की घोषणा की है। इसके बाद 11.09.2020 को माननीय एनसीएलटी ने परिसमापन का आदेश पारित किया, जिससे पहले पारित अधिस्थगन का आदेश समाप्त हो गया। पत्तन के दावे वाले फॉर्म सी को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। दिवालियापन विशेषज्ञ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने हेतु प्रक्रियाधीन है। यह मामला वर्तमान में राष्ट्रीय कानून न्यायाधिकरण कंपनी (एनसीएलटी) के समक्ष विचाराधीन है, तथा इस पर सक्रिय रूप से सुनवाई चालु है।

06	J.R.E. Infra.	176963	Under Arbitration	Arbitration is going on and is on the final stages. All the disputes are pending adjudication.
07	Frost International	29800	Under Arbitration	Cross examination of witness is completed. Last meeting was held on 07/12/2021.
08	M/s. V. K Patel	14.32	CMA 102/2017	An arbitration award dated 31.07.2000 by Shri L.G.Vanjani, Addl. Chief Eng. held DPA liable to pay Rs. 5,35,734/- with interest. The award was initially challenged in the wrong forum by Advocate K.S.Joshi and later redirected to District Court, Gandhidham, as per the High Court's order. It was argued that interest on bills was beyond the arbitration's scope, but the District Judge rejected this argument. Since the issue of differential interest was not properly considered, it is suggested that the matter be challenged before the Hon'ble High Court of Gujarat.
09	Chandanani Gope Tirathdas	1.66	CMA 83/2017	A letter dated 19/05/2022 has been sent to the firm for their consent to refer the matter to CSC. No reply has been received as of today.
10	Gammon India Ltd.	364	Spl. Ex. 178/2017	As per order of the Hon'ble High Court passed in First Appeal No. 589 of 2015, the amount of Rs. 3,57,43,230/- has already been deposited in the District Court, Gandhidham on 01.08.2016. A letter dated 23/05/2022 has been sent to the firm for their consent to refer the matter to CSC. No reply has been received as of today.

06	जे.आर.ई. इन्फ्रा	176963	मध्यस्थता के अधीन	मध्यस्थता चालु है और अंतिम चरण में है। सभी विवाद अभी न्यायिक निर्णय के लिए लंबित हैं।
07	फ्रॉस्ट इंटरनेशनल	29800	मध्यस्थता के अधीन	गवाहों की प्रतिपरीक्षा पूरी हो गई है। पिछली बैठक 07/12/2021 को हुई थी।
08	मैसर्स वी.के. पटेल	14.32	सी.एम.ए. सं. 102/2017	श्री एल.जी.वंजानी, अपर मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 31.07.2000 को दिए गए मध्यस्थता निर्णय में डीपीए को ब्याज सहित 5,35,734/- रुपये का भुगतान करने का उत्तरदायी ठहराया गया। इस फैसले को शुरू में अधिवक्ता के.एस. जोशी द्वारा गलत मंच पर चुनौती दी गई थी और बाद में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इसे जिला न्यायालय, गांधीधाम में भेज दिया गया। यह तर्क दिया गया कि बिलों पर ब्याज मध्यस्थता के दायरे से बाहर है, लेकिन जिला न्यायाधीश ने इस तर्क को खारिज कर दिया। चूंकि अंतर संबंधी ब्याज के मुद्दे पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि इस मामले को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाए।
09	चांदनानी गोप तीरथदारस	1.66	सी.एम.ए. 83/2017	इस मामले को सीएससी को संदर्भित करने के लिए फर्म को उनकी सहमति हेतु दिनांक 19/05/2022 को एक पत्र भेजा गया है। जिसका आज तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
10	गैमॉन इंडिया लिमिटेड	364	विशेष ई.एक्स. 178/2017	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2015 के प्रथम अपील संख्या 589 में पारित आदेश के अनुसार, रु. 3,57,43,230/- की राशि जिला न्यायालय, गांधीधाम में 01.08.2016 को जमा कर दी गई। इस मामले को सीएससी को संदर्भित करने हेतु फर्म की सहमति हेतु दिनांक 23/05/2022 को एक पत्र भेजा गया। जिसका आज तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

11	M/s Sunshrey Associates	1.81	CMA 81/2017	A letter dated 19/05/2022 has been sent to Sunshrey associates for their consent to refer the matter to CSC. The letter was returned back undelivered.
12	Shri Shantilal Patel	11.25	CMA 104/2017	A letter dated 17/05/2022 has been sent to the firm for their consent to refer the matter to CSC. No reply has been received as of today.
13	DBM arbitration (Bundar Basin and SNA Jetty)	Rs.27crs	Under arbitration	Cross examination of witnesses with regards to Bundar Basin issue is over. Cross examination of DPA witness with regards to SNA jetty is currently in process.
14	M/s. Khurana	138.79	CMA 69 to 73/2017	A letter dated 19/05/2022 has been sent to firm's associates for their consent to refer the matter to CSC. M/s Khurana didn't approve and stated that they would prefer the verdict of the court. The matter has been decided in favor of M/s Khurana. The Port has filed an appeal and deposited the award amount as instructed by the H.C. of Gujarat.
15	M/s RAS	183.90 crs		The DPA has filed an application Under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 to a limited extent for those claims of the DPA which are disallowed. Presently, The Appeal and Execution petition is in hearing stage in the Court of Gandhidham.

11	मैसर्स सनश्रे एसोसिएट्स	1.81	सी.एम.ए. 81/2017	इस मामले को सीएससी को संदर्भित करने की सहमति के लिए सनश्रे एसोसिएट्स को दिनांक 19/05/2022 को एक पत्र भेजा गया। पत्र डिलीवर हुए बिना वापस आ गया।
12	श्री शांतिलाल पटेल	11.25	सी.एम.ए. 104/2017	इस मामले को सीएससी को भेजने के लिए फर्म को उनकी सहमति हेतु दिनांक 17/05/2022 को एक पत्र भेजा गया। जिसका आज तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
13	डीबीएम मध्यस्थता (बंदर बेसिन और एसएनए जेटी)	रु.27 करोड़	मध्यस्थता के अधीन	बंदर बेसिन मुद्दे के संबंध में गवाहों से प्रतिपरीक्षा पूरी हो गई है। एसएनए जेटी के संबंध में डीपीए के गवाह से प्रतिपरीक्षा अभी प्रक्रिया में है।
14	मैसर्स खुराना	138.79	सी.एम.ए. 69 से 73/2017	फर्म के सहयोगियों को दिनांक 19/05/2022 को एक पत्र भेजकर मामले को सीएससी को भेजने की सहमति मांगी गई है। मैसर्स खुराना ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि वे न्यायालय के फैसले को प्राथमिकता देंगे। इस मामले का निर्णय मैसर्स खुराना के पक्ष में आया है। इसके संबंध में पोर्ट ने अपील दायर की है और गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पंचाट राशि जमा कर दिया है।
15	मैसर्स आर.ए.एस	183.90 करोड़		मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत डीपीए ने उन दावों के लिए, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, उनके संदर्भ में सीमित सीमा के अंदर एक आवेदन किया है। वर्तमान में, गांधीधाम न्यायालय में अपील एवं निष्पादन याचिका सुनवाई के चरण पर है।

[B] Notes pertaining to Profit & Loss Account

1) The income tax for current year is provided for **Rs.61486.50** lakhs. Further, prior period provision of Rs.21112.78 lakhs has been made to reconcile the Tax Assets and Liabilities.

2) A provision of Rs. 237.63 lakhs have been made for PLR for the year 2024-25 considering the amount of Rs. 15,000/- per employee.

3) A provision of Rs. 45.00 lakhs have been made for CAG Audit Fees for the year 2024-25 considering the actual fees of the year 2023-24.

6. DISPUTED DUES**A. Dues from PPP/BOT Operators****(i) Name of PPP Operator: RAS Infraport Ltd - Erstwhile operator of 13th Cargo Berth**

Nature of Dues	Brief of Dispute	Amount Not Recognized in books
Royalty/ LF/ Port Charges / Penalty/ Goodwill etc.	<ul style="list-style-type: none"> • License Agreement terminated by DPA on 29/09/2017. • Physical Possession of Berth taken over by DPA and commercial operation started by DPA on 05.11.2017 • Claim of Rs. 244044.75 Lakhs made by DPA before the Arbitral Tribunal formed as per the terms of the License Agreement. Which was revised in affidavit by Rs. 244449.40 Lakhs • Indian Consortium members are impleaded in the arbitration proceedings. 	<p>(a) Amount of Rs. 244449.40 lakhs claimed by DPA except Rs.9209.46 lakhs already recognized in the past</p> <p>(b)Initial amount claimed by the DPA of Rs. 244449.40 lakhs which includes outstanding dues and future claim. Subsequently, during the final argument in Oct, 2020 as directed by the Tribunal damages towards future claims was discounted with discounting factor @ 11%.</p> <p>After applying discounting factor claim amount stands to Rs.112703.14 lakhs.</p> <p>(C) Counter Claim of Rs. 185687.11 lakhs made by the BOT Operator which has instead been shown as Contingent Liability</p>

[ख] लाभ एवं हानि खाते से संबंधित टिप्पणियाँ

1) चालू वर्ष में आयकर हेतु रु. 61486.50 लाख दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्व अवधि के लिए रु. 21112.78 लाख का प्रावधान कर-परिसंपत्तियों और देयताओं के संयोजन हेतु किया गया है।

2) वर्ष 2024-25 के लिए प्रति कर्मचारी रु. 15,000/- की राशि को ध्यान में रखते हुए पीएलआर हेतु रु. 237.63 लाख का प्रावधान किया गया है।

3) वर्ष 2023-24 की वास्तविक फीस को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-25 के लिए महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा फीस के लिए 45.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

6. विवादित बकाया राशि

क. पीपीपी/बीओटी प्रचालकों से बकाया

(i) पीपीपी प्रचालक का नाम: रास इन्फ्रापोर्ट लिमिटेड - 13वें नौभारघाट के पूर्व प्रचालक

बकाया का प्रकार	विवाद का संक्षिप्त विवरण	राशि जिन्हें बहियों में मान्यता नहीं दी गई
रॉयल्टी/ एलएफ/ पत्तन प्रभार/ शास्ति/साख इत्यादि	<ul style="list-style-type: none"> दिनांक 29/09/2017 को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति करार समाप्त किया गया। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा घाट का भौतिक कब्जा लिया गया और दिनांक 05.11.2017 से प्रचालन कार्य का प्रारंभ किया गया। अनुज्ञप्ति करार की शर्तों के अनुसार गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा रु. 244044.75 लाख का दावा किया गया जिसे हलफनामे में संशोधित कर रु. 244449.40 लाख किया गया। संघ के भारतीय सदस्यों को मध्यस्थता की कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया है। 	<p>(क) पहले ही स्वीकृत रु. 9209.46 लाख की राशि को छोड़कर दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा रु. 244449.40 लाख की राशि का दावा किया गया।</p> <p>(ख) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा रु. 244449.40 लाख का प्रारंभिक दावा किया गया। जिसमें बकाया देय और भविष्य के दावे शामिल हैं। तदनुसार, अक्टूबर 2020 में अंतिम सुनवाई में न्यायाधिकरण द्वारा भविष्य दावों के बारे में दिए गए निर्देशों पर 11% छूट के साथ दावे में कमी की गई।</p> <p>छूट को विनियोजित करने के बाद दावा राशि रु. 112703.14 लाख हो गई।</p> <p>(ग) बीओटी प्रचालक द्वारा रु. 185687.11 लाख का प्रतिदावा किया गया जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।</p>

Present Status

- a) The order of the Tribunal on interim application (u/s 17) has been challenged in the commercial court.
- b) Interim Award of Arbitration Tribunal, amount 183,90,04,471 (90% of Debt due) along with interest w.e.f. 29.09.2017 till dated of payment was Challenge by DPA. Board of DPA in its meeting held on 16.12.2020 approved the payment of Rs.183,90,04,471.00 (i.e. 90% of the debt due) along with the interest @ 6.73% (as against the interest payable as per Article 17.5 of Concession Agreement & Tribunal Order dated 18.08.2019) to the Lenders, from the date of taking over the terminal by DPA in accordance with Article 17.1(b) of the Concession Agreement. On 31.12.2020, Rs 224,21,73,201 (Rs 183,90,04,471.6-90% of Debt Due + Rs 40,31,68,729.40 interest @ 6.73 % paid to the Lenders.
- c) DPA has taken control and physical possession of the assets of this Berth and entry is made in the books of accounts of DPA to take over the assets of this Berth in accordance with the advice in the report dated 01.03.2021 of M/s. Sundaram & Narayan, CA, appointed for advice on capitalization of assets of 13th& 15th Cargo Berth.
- d) Final arguments completed in February, 2022.
- e) Arbitration Tribunal pronounced the Award on 16.06.23. As per the Award, the issue related to Royalty, License fee and Liquidated Damages for failing to meet Performance Standard were decided in favour of DPA. The Tribunal by observing that DPA has already paid 90% debt due to the lenders, held that the matter was already been decided nothing addition aspects in this regard needs to be examined.
- f) On 17.07.2023 M/s RAS and their Indian Consortium Members have filed two separate Special Civil Applications before the Hon'ble High court of Gujarat broadly to:
- quash and set aside the Arbitration Award;
 - to stay the operation and implementation of the Arbitration Award;
 - order or direction restraining the Arbitration Tribunal from proceeding further and deciding the application dated 04.07.2023 filed by DPA;
 - to stay further proceedings in the arbitration between DPA & RAS. The matter is pending adjudication.
 -
- g) On 25.10.2023, M/s RAS and their Indian Consortium members have filed two separate Applications u/s 34 of Arbitration & Conciliation Act before the Commercial Court, Gandhidham with the following prayer:
- to quash and set-aside the impugned award passed by the Arbitral Tribunal and to allow the claims of the Applicants-RAS Infraport Private Limited and dismiss the counter-claims of the Respondent-DPT.
- h) On 27.10.2023, DPA have challenged the Arbitral Award u/s 34 of Arbitration & Conciliation Act before the Additional District Judge, Gandhidham with the following prayer:
- to admit the appeal.

वर्तमान स्थिति

- क) अंतरिम आवेदन (धारा 17 के तहत) पर न्यायाधिकरण के आदेश को वाणिज्यिक अदालत में चुनौती दी गई है।
- ख) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.09.2017 से भुगतान की तिथि तक के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अंतरिम पंचाट की राशि रु. 183,90,04,471 ब्याज सहित (बकाया ऋण का 90%) को चुनौती दी गई। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड ने दिनांक 16.12.2020 की बैठक में छूट करार के अनुच्छेद 17.1 (ख) अनुसार दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा टर्मिनल के अधिग्रहण की तारीख से ऋणदाताओं को (छूट संबंधी करार एवं न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 18.09.19 के अनुच्छेद 17.5 के अनुसार देय ब्याज के विरुद्ध) 6.73% की दर से ब्याज सहित रु. 183,90,04,471.00 (अर्थात् बकाया ऋण का 90%) के भुगतान का अनुमोदन दिया। दिनांक 31.12.2020 को रु. 224,21,73,201 (रु.183,90,04,471.6 - 90% बकाया ऋण + 6.73 % की दर से रु. 40,31,68,729.40 ब्याज) का भुगतान ऋणदाताओं को किया।
- ग) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने मैसर्स सुंदरम और नारायण, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्हें 13वें और 15वें नौभार घाट की परिसंपत्तियों के पूंजीकरण पर परामर्श के लिए नियुक्त किया गया था, की दिनांक 01.03.2021 की रिपोर्ट में दी गई सलाह के क्रम में, इस घाट की संपत्ति पर नियंत्रण और भौतिक कब्जा कर लिया है और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की खाता बही में प्रविष्टि कर दी गई है।
- घ) अंतिम दलीलें फरवरी, 2022 में पूरी हुईं।
- च) मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 16.06.23 को निर्णय सुनाया। निर्णय के अनुसार, रॉयल्टी, अनुज्ञप्ति शुल्क और प्रदर्शन मानक को पूरा न करने के लिए परिसमाप्ति क्षति से संबंधित मुद्दे प्राधिकरण के पक्ष में तय किए गए। न्यायाधिकरण ने यह देखते हुए कि प्राधिकरण ने पहले ही ऋणदाताओं को 90% ऋण का भुगतान कर दिया है, यह माना कि मामले का पहले ही निर्णय हो चुका है, इस संबंध में किसी अतिरिक्त पहलू की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।
- छ) दिनांक 17.07.2023 को मैसर्स रास और उनके संघ के भारतीय सदस्यों ने गुजरात के माननीय के उच्चन्यायालय के समक्ष दो अलग-अलग विशेष सिविल आवेदन दाखिल किए, जिनका मुख्य उद्देश्य है:
- मध्यस्थता पंचाट को रद्द करना;
 - मध्यस्थता पंचाट के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगाना;
 - मध्यस्थता न्यायाधिकरण को प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत दिनांक 04.07.2023 के आवेदन पर निर्णय लेने से रोकने का आदेश या निर्देश देना;
 - प्राधिकरण और रास के बीच मध्यस्थता में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाना। मामला निर्णय के लिए लंबित है।
- ज) दिनांक 25.10.2023 को मैसर्स रास और उनके संघ के भारतीय सदस्यों ने वाणिज्यिक न्यायालय, गांधीधाम के समक्ष मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत दो अलग-अलग आवेदन निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दर्ज किए हैं:
- मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित निर्णय को रद्द किया जाए और आवेदक-रास इंप्रापोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के दावों को स्वीकार किया जाए तथा प्रतिवादी-डीपीटी के प्रतिदावों को खारिज किया जाए।
- झ) दि. 27.10.2023 को, दी.प.प्रा ने अपर जिला न्यायाधीश, गांधीधाम के समक्ष निम्नलिखित प्रार्थना के साथ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पंचाट को चुनौती दी है:
- अपील स्वीकार करना।

- The record of Arbitral Proceedings disposed off on 16/06/2023 and correction allowed on 27/07/2023 by Hon'ble Lt. Arbitration Tribunal be called for.
 - the award passed by the learned Hon'ble Arbitrators dated 16/06/2023 and corrected Award dated 27/07/2023 be set aside partly to the extent disallowed / rejected in the Award and or the matter be remanded back to the Ld. Arbitral Tribunal to decide the Issues or Arbitration be reconstituted to decide the said Issues.
- i) The Issues that were not allowed by Arbitral Tribunal are;
- Payment of licence fee (from Signing of Agreement) and Royalty (from CoD) till 2014;
 - Payment of interest, penal interest and service tax on the licence fee and Royalty;
 - Claim for compensation, damages, loss of revenue and/or reimbursement of cost made towards SBI Caps;
 - Liquidated Damages for failing to fulfil the conditions precedent by M/s RAS.
- j) On 05.11.2023, Sr. counsel furnished the legal opinion along with clarification for the points raised by DPA. Based on the said Opinion, the amount recoverable from M/s RAS has been worked out.
- k) DPA filed the Execution Petition before the Court of Hon'ble Additional District Judge, Gandhidham on 07.11.2023 to enforce & execute the Arbitration Award with other prayers which includes;
- deposit the amount of Rs.130,90,13,063.33 with further interest till its actual realization;
 - Distress Warrant for the attachment of all the moveable and immovable properties of the judgment debtors and to sell the same to recover the amount;
 - To issue an order of injunction restraining the Judgment Debtor from selling, alienating, encumbering, transferring or dealing with any of its movable and immovable properties and assets.
 - that an order of injunction be passed restraining the judgment debtor from operating its Bank without keeping aside the amount of the decretal dues.
 - An order requiring the Directors of the of the Judgement Debtor to make an affidavit disclosing the particulars of the assets of the judgment debtor so that award can be satisfied.
- l) On 14.05.2024, the DPA filed their reply to the Petitions (COMM CMA Nos. 3/2023 & 2/2023) separately filed by M/s RAS and their Indian Consortium members, u/s 34 of the A&C Act, in the District Court before the Additional District Judge, Gandhidham. The *lis* are pending.
- m) The draft of Amendment Application (to the Petition earlier filed by the DPA on 27.10.2023 u/s 34 of the A&C Act for partly setting aside findings on issue to the extent the counter claims that have not been allowed by the arbitral tribunal) was submitted by the Transaction Advisor to the DPA.
- n) On 01.08.2024, the DPA filed an Application for Amendment of Pleadings in COMM CMA No. 4/2023 to challenge that the arbitral tribunal has not considered the evidence affidavits, documents, annexures and computation tables for the monies outstanding against the Applicant and said submissions filed by the DPA during the course of arbitral proceedings, in the proper perspective. This Application pertains to claims which are recoverable towards –

- दि. 16/06/2023 को निपटाए गए और 27/07/2023 को मा. मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा सुधारित मध्यस्थता पंचाट का रिकॉर्ड मंगवाया जाए।
 - दिनांक 16/06/2023 को अनुभवी माननीय मध्यस्थों द्वारा पारित निर्णय और दिनांक 27/07/2023 के संशोधित निर्णय को अस्वीकृत /खारिज किए जाने तक आंशिक रूप से रोककर रखा जाए तथा/ या मामले के मुद्दों को तय करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया जाए या उक्त मुद्दों को तय करने के लिए मध्यस्थता का पुनर्गठन किया जाए।
- ट) मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जिन मुद्दों की अनुमति नहीं दी गई वे हैं;
- वर्ष 2014 तक अनुज्ञप्ति शुल्क (समझौते पर हस्ताक्षर के समय से) और रॉयल्टी (आरंभ की तिथि से) का भुगतान;
 - अनुज्ञप्ति शुल्क और रॉयल्टी पर ब्याज, दंडात्मक ब्याज और सेवा कर का भुगतान;
 - एसबीआई कैपिटल्स से मुआवजे, क्षति, राजस्व की हानि और/या लागत की प्रतिपूर्ति का दावा;
 - मैसर्स रास द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहने के कारण परिसमाप्त क्षतिपूर्ति।
- ठ) 05.11.2023 को, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्राधिकरण द्वारा उठाए गए बिंदुओं के स्पष्टीकरण के साथ कानूनी राय प्रस्तुत की। उक्त राय के आधार पर, मैसर्स रास से वसूली योग्य राशि की गणना की गई है।
- ड) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने अन्य अनुरोधों के साथ 07.11.2023 को मध्यस्थता पंचाट को लागू और निष्पादित करने के लिए माननीय अपर जिला न्यायाधीश, गांधीधाम की अदालत के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें निम्नलिखित अनुरोध भी शामिल हैं;
- वास्तविक वसूली तक रु.130,90,13,063.33 की राशि को ब्याज सहित जमा करना;
 - निर्णीत ऋणी की सभी चल और अचल संपत्तियों की कुर्की और राशि की वसूली के लिए उसे बेचने हेतु अभिहरण अधिपत्र देना;
 - निर्णीत ऋणी को उसकी किसी भी चल तथा अचल संपत्ति और परिसंपत्ति को बेचने, पृथक करने, ऋण अधीन करने, हस्तांतरित करने या उससे लेन-देन करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करना;
 - निर्णीत ऋणी को अवनति बकाया की राशि अलग रखे बिना अपने बैंक का संचालन करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करना।
 - निर्णीत ऋणी के निदेशकों को निर्णीत ऋणी की परिसंपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया जाए ताकि निर्णयों को पूर्ण किया जा सके।
- ढ) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने 14.05.2024 को, मैसर्स रास और संघ के भारतीय सदस्यों द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत अलग-अलग दायर याचिकाओं (वाणिज्यिक सीएमए सं. 3/2023 और 2/2023) पर जिला न्यायालय में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गांधीधाम के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया। इसकी सूची लंबित हैं।
- ण) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के कार्यव्यवहार सलाहकार द्वारा संशोधन आवेदन का प्रारूप (डीपीए द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत 27.10.2023 को पूर्व में दायर याचिका के लिए, जिसमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति नहीं दिए गए प्रतिदावों की सीमा तक मुद्दे पर निष्कर्षों को आंशिक रूप से रद्द करने की बात कही गई थी) प्रस्तुत किया गया।
- त) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने 01.08.2024 को, वाणिज्यिक सीएमए सं. 4/2023 की याचिकाओं में संशोधन हेतु एक आवेदन दायर किया, जिसमें यह बताया गया है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने आवेदक के विरुद्ध बकाया धनराशि और मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान डीपीए द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्तुतियों के साक्ष्य, हलफनामों, दस्तावेज, अनुलग्नक और गणना तालिकाओं पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है। यह आवेदन उन दावों से संबंधित है जो वसूली योग्य हैं-

- Outstanding License Fee for the period 03.12.2009 to 25.08.2014 and Interest on License Fee for the period 03.12.2009 to 05.02.2018
- Service Tax on License Fee for the period 15.03.2016 to 29.09.2017 & Penal interest on Service Tax for the period 03.12.2009 to 05.02.2018
- Royalty for the period Feb.2013 to July 2014 and Interest on Royalty for the period 07.03.2013 to 29.09.2017
- Service Tax/GST on royalty for the period Feb 2013 to Sep 2017 and Penal Interest on Service Tax for the period Feb.2016 to 29.09.2017
- Liquidated Damages due to delay in Condition Precedent including Interest on Liquidated Damages for the period 07.12.2012 to 05.feb.2018
- Liquidated Damages for shortfall in performance for the period July 2017 to Sep 2017
- proportionate agreed share for carrying out replacement cost which includes remuneration, service tax thereon & out of pocket expenses and interest for the period 11.12.2015 to 05.02.2018
- Future Claims:
 - Compensating towards loss of earnings for License Fee from 30 Sep 2017 to 14 march 2041
 - Loss of Royalty for the period from 1st Jul 2017 to 14 March 2041 towards Cargo handling charges, berth hire charges storage charges & misc charges
 - Compensation towards port dues and pilotage from 30 Sep 2017 till 14 March 2041
 - Loss of Goodwill and Defamation

The rate of interest as allowed by the Arbitral Tribunal for the amounts allowed by way of their Award is 12% pa from the date of filing of the Counter Claim, i.e. 26.08.2017 till payment by the Claimant (M/s RAS Infraport Pvt. Ltd.) or realization. Therefore, in addition to the aforementioned claims, the claim of rate of interest has also been sought to be allowed as per the Concessionaire Agreement, i.e. SBI PLR+ 2%, as prayed during arbitral proceedings by the DPA in their Statement of Defence and Counter-Claim.

That the following amounts are due and outstanding against the Applicant herein:

S. N.	Description	Period for which due	Total outstanding (inclusive of Principal, Interest, Service tax, Interest / penal interest on ST) INR
1	Total Outstanding LF and Water Front	03-12-2009 to 25-08-2014	29,04,61,894.13
2	Total Outstanding on Royalty	18.02.2013 to 29.09.2017	69,87,87,300.00
3	Total Outstanding on Liquidated Damages in CP	07.12.2012 to 5 Feb 2018	85,02,313.08.08

- 03.12.2009 से 25.08.2014 की अवधि के लिए बकाया अनुज्ञप्ति शुल्क और 03.12.2009 से 05.02.2018 की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क पर ब्याज।
- 15.03.2016 से 29.09.2017 की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क पर सेवा कर और 03.12.2009 से 05.02.2018 की अवधि के लिए सेवा कर पर दंडात्मक ब्याज।
- फरवरी 2013 से जुलाई 2014 की अवधि के लिए राजस्व और 07.03.2013 से 29.09.2017 की अवधि के लिए राजस्व पर ब्याज
- फरवरी 2013 से सितंबर 2017 की अवधि के लिए राजस्व पर सेवा कर/जीएसटी और फरवरी 2016 से 29.09.2017 की अवधि के लिए सेवा कर पर दंडात्मक ब्याज।
- 07.12.2012 से 05 फरवरी 2018 की अवधि के लिए पूर्ववर्ती शर्त के तहत देरी के कारण हुई परिसमाप्त क्षति के कारण ब्याज सहित परिसमाप्त क्षति।
- जुलाई 2017 से सितंबर 2017 की अवधि के लिए निष्पादन में कमी के लिए परिसमाप्त क्षति।
- 11.12.2015 से 05.02.2018 की अवधि के लिए प्रतिस्थापन लागत के लिए आनुपातिक सहमत हिस्सा, जिसमें पारिश्रमिक, उस पर सेवाकर और बाह्य खर्च और ब्याज शामिल है।
- भविष्य में किए जाने वाले दावे:
- 30 सितंबर 2017 से 14 मार्च 2041 तक अनुज्ञप्ति शुल्क से हुई आय की हानि की प्रतिपूर्ति।
- 1 जुलाई 2017 से 14 मार्च 2041 तक की अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग शुल्क, बर्थ किराया शुल्क, भंडारण शुल्क और विविध शुल्कों पर राजस्व की हानि
- 30 सितंबर 2017 से 14 मार्च 2041 तक पोर्ट शुल्क और पायलटेज के लिए मुआवज़ा।
- साख और मान-सम्मान की हानि।

पंचाट द्वारा किए गए निर्णय के माध्यम से स्वीकृत राशि के लिए ब्याज की दर प्रतिदावा दाखिल करने की तिथि अर्थात् 26.08.2017 से लेकर दावेदार (मैसर्स आरएएस इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा भुगतान या वसूली तक 12% प्रतिवर्ष है। इसलिए, उपर्युक्त दावों के अतिरिक्त, रियायतग्राही समझौते के अनुसार ब्याज दर का दावा भी स्वीकृत करने की मांग की गई है, अर्थात् एसबीआई पीएलआर+ 2%, जैसा कि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने बचाव और प्रति-दावे के वक्तव्य में मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अनुरोध किया गया। आवेदक के विरुद्ध निम्नलिखित राशियां देय एवं बकाया हैं:

क्रम सं.	विवरण	देय अवधि	कुल बकाया (मूलधन, ब्याज, सेवाकर, ब्याज/सेवाकर पर दंडात्मक ब्याज सहित) रु. में
1	अनुज्ञप्ति शुल्क और वाटर फ्रंट पर कुल बकाया	03-12-2009 से 25-08-2014	29,04,61,894.13
2	राजस्व पर कुल बकाया	18.02.2013 to 29.09.2017	69,87,87,300.00
3	सी.पी. में परिसमाप्त क्षतियों पर कुल बकाया	07.12.2012 से 5 फरवरी 2018	85,02,313.08.08

4	Total Outstanding on Liquidated Damages in Performance Standards	July 2017 to Sep 2017	2,30,08,486.74
5	Half of remuneration to ASG for taking legal opinion regarding dispute on date of LF	24-Apr-2013 to 29-Sep-2017	5,595.95
6	Replacement Cost remuneration	11.12.2015 to 5 Feb 2018	21,27,624.00
7	Total Outstanding (A)		1,02,28,93,211.90
8	Future Claims (B)	30th September 2017 till 14th March 2024	22,67,43,96,883.73
9	Total Outstanding (C)= A+ B		23,69,72,90,097.63

However, reply to the Principal Petition and Amendment Application has been filed by M/s RAS on 24.09.2024. The *lis* is pending.

o) In Execution Petition No. 118 of 2023, the Decree Holder (DPA) filed an affidavit on 13.08.2024 before the Additional District Judge, Gandhidham, seeking directions under Order 21 Rule 41 of the CPC for the Judgment Debtor, RAS Infra Pvt. Ltd., to disclose on affidavit the names and addresses of directors involved with DPA during the project and details of all movable and immovable properties under its control. On 4 March 2025, the Fourth Additional District Judge, Gandhidham, partly allowed the application and directed the Judgment Debtors (JD) to declare on oath their movable and immovable assets; no order was passed as to costs.

p) On 3 May 2025, DPA filed an application to initiate contempt proceedings against the directors of consortium members of RAS for non-compliance with the court's order dated 5 March 2025. In that order, the Fourth Additional District Judge, Gandhidham, had directed all judgment debtors—RAS and its consortium members (Sainath, Regal, Alpha, Rivera)—to file declarations on oath regarding their movable and immovable properties. However, only JD No. 1 complied, while JD Nos. 2 to 5 failed to do so, prompting the contempt application.

(ii) Name of PPP Operator: JRE Ltd - Erstwhile operator of 15th Cargo Berth

Nature of Dues	Brief of Dispute	Amount Not Recognized in books of Accounts	Present Status
Royalty/ LF/ Port Charges/ Penalty/ Goodwill etc.	<ul style="list-style-type: none"> License Agreement terminated by DPA on 29/09/2017 	(a) Amount of Rs. 246602.14 lakhs except to the extent of Rs.3529.90 lakhs already booked (b) Initial amount claimed by DPA of Rs. 2466.02 Cr. Which was revised in affidavit as Rs. 2405.47 Cr. During the final argument in September, 2020, as directed by Tribunal DPA's claim was discounted with	Arbitration Proceedings are going on. a) DPA has taken control and physical possession of the assets of this Berth and entry is made in the books of accounts of DPA to take over the assets of this Berth in accordance with the advice in the report dated 01.03.2021 of M/s. Sundaram & Narayan,

4	प्रदर्शन मानकों में परिसमाप्त क्षतियों पर कुल बकाया	जुलाई 2017 से सितंबर 2017	2,30,08,486.74
5	एलएफ की तिथि पर विवाद के संबंध में कानूनी राय लेने के लिए एसजी को पारिश्रमिक का आधा हिस्सा	24-अप्रैल-2013 से 29-सितंबर-2017	5,595.95
6	प्रतिस्थापन लागत पारिश्रमिक	11.12.2015 से 5 फरवरी 2018	21,27,624.00
7	कुल बकाया (क)		1,02,28,93,211.90
8	भविष्य के दावे (ख)	30 सितंबर 2017 से 14 मार्च 2024 तक	22,67,43,96,883.73
9	कुल बकाया (ग)= क+ ख		23,69,72,90,097.63

हालाँकि, मैसर्स आरएस द्वारा मुख्य याचिका और संशोधन आवेदन का जवाब 24.09.2024 को दाखिल कर दिया गया है। इसकी सूची लंबित है।

थ) निष्पादन याचिका संख्या 118/2023 में, डिक्री धारक (दीनदयाल पतन प्राधिकरण) ने 13.08.2024 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गांधीधाम के समक्ष एक शपथ-पत्र दायर किया, जिसमें न्यायिक देनदार, आरएस इंप्रा प्राइवेट लिमिटेड के लिए सीपीसी के आदेश 21 नियम 41 के तहत निर्देश मांगे गए, कि वे शपथ-पत्र में परियोजना के दौरान दीनदयाल पतन प्राधिकरण से जुड़े निदेशकों के नाम तथा पते और इसके नियंत्रण में सभी चल और अचल संपत्तियों का विवरण बताएं। 4 मार्च 2025 को, गांधीधाम के चौथे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और न्यायिक देनदारों को शपथपत्र पर अपनी चल और अचल संपत्ति घोषित करने का निर्देश दिया; लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

द) 3 मई 2025 को, दीनदयाल पतन प्राधिकरण ने आरएस के कंसोर्टियम सदस्यों के निदेशकों के खिलाफ अदालत का आदेश, दि. 5 मार्च 2025 का पालन न करने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने हेतु एक आवेदन दायर किया। उसी क्रम में, गांधीधाम के चौथे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने सभी न्यायिक देनदारों—आरएस और उसके कंसोर्टियम सदस्यों (साईनाथ, रीगल, अल्फा, रिवेरा)—को अपनी चल और अचल संपत्तियों के बारे में शपथपत्र में दाखिल करने का निर्देश दिया। परंतु, मात्र न्यायिक देनदार 1 ने ही इसका पालन किया, जबकि न्यायिक देनदार 2 से 5 तक ऐसा करने में विफल रहे, जिसके कारण अवमानना याचिका दायर की गई।

(ii) पीपीपी परिचालक का नाम: जेआरई लिमिटेड - 15वें नौभारघाट का पूर्व प्रचालक

बकाया का प्रकार	विवाद का संक्षिप्त विवरण	राशि जिन्हें बहियों में मान्यता नहीं दी गई	वर्तमान स्थिति
रॉयल्टी/ एलएफ/ पतन प्रभार/ शास्ति/ साख इत्यादि	• दिनांक 29/09/2017 को दीनदयाल पतन प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्ति करार समाप्त किया गया।	(क) रु.3529.90 लाख को छोड़कर रु. 246602.14 लाख की राशि खाते में लिखी जा चुकी है। (ख) सितंबर 2020 में हुई अंतिम बहस के दौरान	मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है। क) दीनदयाल पतन प्राधिकरण ने मैसर्स सुंदरम और नारायण, चार्टर्ड अकाउंटेंट की दिनांक 01.03.2021 की रिपोर्ट में दी गई सलाह के

		<p>discounting factor @ 9.44% & 6.39% and worked out to (i) Rs. 68684.76 Lakhs & (ii) Rs.92331.91 Lakhs respectively.</p> <p>After applying discounting factor @ 9.44% & 6.39%, claim amount are as 1130.86 Cr & 1367.33 Cr respectively</p> <p>(c) Counter claim of Rs. 176963.49 lakhs made by the BOT Operator which has instead been shown as Contingent Liability</p>	<p>CA, appointed for advice on capitalization of assets of 13th & 15th Cargo Berth.</p> <p>b) Final Arguments completed by both the parties in December, 2020. Parties have made written submission on oral argument by May, 2021. Before pronouncement of the award by the Arbitration Tribunal, presiding Arbitrator died in March, 2022.</p> <p>c) On 02.05.2022, JUSTICE D. K. JAIN (Fmr. Judge, Supreme Court of India)-appointed as Presiding Arbitrator and accordingly the Arbitration tribunal is re-constituted. The matter was being heard by the re-constituted Tribunal from 27.07.22. Final arguments by claimant (DPA) had been completed and final arguments by respondent (JRE) had been started.</p> <p>d) On 11.08.2023, Mr. Justice J.M. Panchal, one of the Members of the Tribunal (Co-arbitrator on behalf of DPA) informed the Tribunal that he has decided to recuse himself from the present arbitral proceedings</p> <p>e) On the advice of Port Advocate DPA has nominated Shri M.R. Shah as a Co-arbitrator on behalf of DPA in place of J.M. Panchal. M/s JRE</p>
--	--	--	---

		<p>दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा रु. 2466.02 करोड़ दावा किया गया जिसे हलफनामों में संशोधित कर रु. 2405.47 करोड़ किया जैसा न्यायाधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया था। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के दावे पर 9.44% और 6.39% की छूट दी गई, तदनुसार छूट भाज्य नियोजित करते हुए (i) रु. 68684.76 लाख और (ii) रु. 92331.91 लाख क्रमशः, पर 9.44% और 6.39% के छूट भाज्य के बाद दावा राशि रु.1130.86 करोड़ और 1367.33 करोड़ क्रमशः हो गई।</p> <p>(ग) बीओटी प्रचालक द्वारा रु. 176963.49 लाख का प्रति दावा किया गया जो आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।</p>	<p>अनुक्रम में जिन्हें 13वें और 15वें नौभार घाट की परिसंपत्तियों के पूंजीकरण पर परामर्श के लिए नियुक्त किया गया था इस घाट की संपत्ति पर नियंत्रण और भौतिक कब्जा कर लिया है और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की खाता बही में प्रविष्टि कर दी गई हैं।</p> <p>ख) दिसंबर 2020 में दोनों पक्षकारों द्वारा अंतिम बहस पूरी कर ली गई। पक्षकारों ने मई 2021 के मौखिक बयान पर लिखित उत्तर दे दिया है न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय सुनाए जाने से पूर्व पीठासीन मध्यस्थक का मार्च 2022 में निधन हो गया।</p> <p>ग) दि. 02.05.2022 को न्यायमूर्ति डी. के. जैन (पूर्व न्यायाधीश, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय) को पीठासीन मध्यस्थ नियुक्त किया गया तथा तदनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण का पुनर्गठन किया गया। मामले की सुनवाई पुनर्गठित न्यायाधिकरण द्वारा 27.07.22 से की जा रही थी। दावेदार (प्राधिकरण) द्वारा अंतिम दलीलें पूरी कर ली गई तथा प्रतिवादी (जेआरई) द्वारा अंतिम दलीलें शुरू कर दी गई थीं।</p> <p>घ) 11.08.2023 को, न्यायमूर्ति जे.एम. पंचाल, न्यायाधिकरण के सदस्यों में से एक (प्राधिकरण की ओर से सह-मध्यस्थ) ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि उन्होंने वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही से खुद को अलग करने का फैसला किया है।</p>
--	--	--	--

			<p>disputed the domination of Justice M.R. Shah objected this appointment and initiated the litigation</p> <p>f) Shri M.R. Shah as a Co-arbitrator on behalf of DPA has withdrawn his consent to act as an arbitrator.</p> <p>g) Following the withdrawal of the previously nominated arbitrator, the DPA obtained consent from Hon'ble Justice L. Nageswara Rao (Retd.) on 16.02.2024 for appointment to the reconstituted Arbitral Tribunal. By Procedural Order No. 1 dated 24.06.2024, the Tribunal was formally reconstituted.</p> <p>h) It was noted by the Tribunal that its current mandate, as extended by the Additional District Judge, Gandhidham, is set to expire on 30.06.2025. The parties were directed to take timely steps to obtain an extension of the Tribunal's mandate and to place the court order on record.</p> <p>i) As scheduled, the Tribunal shall assemble on 19.08.2025.</p> <p>j) After completion of the final arguments, the Tribunal will proclaim the Award.</p>
--	--	--	--

			<p>च) पतन अधिवक्ता की सलाह पर प्राधिकरण ने जे.एम. पंचाल के स्थान पर श्री एम.आर. शाह को प्राधिकरण की ओर से सह-मध्यस्थ के रूप में नामित किया है। मैसर्स जेआरई ने न्यायमूर्ति एम.आर.शाह की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है और मुकदमा शुरू किया।</p> <p>छ) प्राधिकरण की ओर से सह-मध्यस्थ श्री एम.आर. शाह ने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने हेतु अपनी सहमति वापस ले ली है।</p> <p>ज) पूर्व में नामित मध्यस्थ का नाम वापस लेने के बाद, डीपीए ने पुनर्गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण में नियुक्ति के लिए माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव (सेवानिवृत्त) से 16.02.2024 को सहमति प्राप्त की। प्रक्रियात्मक आदेश सं. 1 दिनांक 24.06.2024 द्वारा, न्यायाधिकरण का औपचारिक रूप से पुनर्गठन किया गया।</p> <p>झ) न्यायाधिकरण ने संज्ञान में लिया कि गांधीधाम के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित उसका वर्तमान अधिदेश 30.06.2025 को समाप्त होने वाला है। पक्षों को न्यायाधिकरण के अधिदेश का विस्तार प्राप्त करने और न्यायालय के आदेश को अभिलेख में दर्ज कराने के लिए समय पर कदम उठाने का निर्देश दिया गया।</p> <p>न) दि. 19.08.2025 को न्यायाधिकरण निर्धारित समयानुसार एकत्रित होगा।</p> <p>प) अंतिम बहस पूरी होने के बाद न्यायाधिकरण निर्णय की घोषणा करेगा।</p>
--	--	--	---

(iii) Name of BOT Operator: M/s CETL (formerly VLTL)

Nature of Dues	Nature of Dues	Amount Not Recognized in books of Accounts	Present Status
License Fee	The PPP operator has objected to the rates of LF revised along with revision of SOR Kandla Land	The PPP operator has objected to the rates of LF revised along with revision of SOR Kandla Land	<p>1) The Board in its meeting held on 11/9/2020 had resolved that, "The rate of Rs.203.38/m2/annum, as approved by the Board in its meeting held on 29.01.2020, is reasonable and the same will be made applicable to M/s. CETL for charging license fees from retrospective effect subject to approval by the TAMP:".</p> <p>2) Accordingly, pending demand notes were issued from time to time to M/s CETL at provisional rate of Vadinar Land SOR.</p> <p>3) The proposal for Vadinar Land SOR sent to TAMP for approval dated 27/10/2020. Joint Hearing held on 18/12/2020.</p> <p>4) The Order passed by the TAMP dated 16/3/2021 w.r.t. proposal of the Deendayal Port Authority for "<u>Fixation of lease rent of Vadinar Land applicable for the period from 01 January 2015 to 31 December 2022</u>", notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 12 April 2021 vide Gazette No.158.</p> <p>5) DPA Board vide Resolution no. 134 of its meeting held on 10-01-22 has approved to refer the case to Conciliation Settlement Committee for recovery of outstanding License Fee for the period from 16-04-15 (Date of Agreement) to 15-08-2019</p> <p>(on day prior to date of award of concession) amounting to approx. Rs.50.00 cr.</p> <p>6) The total outstanding amount due from M/s CETL is Rs. 49.57 crs. (Including GST/ST) and the same was communicated to M/s CETL vide letter dated 05/04/2022.</p>

(iii) बीओटी परिचालक का नाम: मैसर्स सीईटीएल (पूर्व में वीएलटीएल)

बकाया का प्रकार	विवाद का संक्षिप्त विवरण	राशि जिन्हें बहियों में मान्यता नहीं दी गई	वर्तमान स्थिति
अनुज्ञप्ति शुल्क	कंडला भूमि के दरमान के संशोधन के साथ-साथ संशोधित अनुज्ञप्ति शुल्क की दरों पर पीपीपी प्रचालक ने आपत्ति दर्ज की है।	कंडला भूमि के दरमान के संशोधन के साथ-साथ संशोधित अनुज्ञप्ति शुल्क की दरों पर पीपीपी प्रचालक ने आपत्ति दर्ज की है।	<p>1) बोर्ड ने 11/9/2020 को हुई अपनी बैठक में संकल्प किया था कि, "दिनांक 29.01.2020 को हुई बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित रु. 203.38/वर्गमीटर/वार्षिक की दर उचित है और इसे टैम्प के अनुमोदन के अधीन भूतलक्षी प्रभाव से अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली हेतु मैसर्स सीईटीएल पर लागू किया जाएगा"</p> <p>2) तदनुसार, मैसर्स सीईटीएल को वाडीनार भूमि के दरमान की अनंतिम दर पर समय-समय पर लंबित मांग-टिप्पणी जारी की गई।</p> <p>3) वाडीनार भूमि के दरमान का प्रस्ताव दिनांक 27/10/2020 को अनुमोदन हेतु टैम्प को भेजा गया। दिनांक 18/12/2020 को संयुक्त सुनवाई हुई।</p> <p>4) "दिनांक 01 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए लागू वाडीनार भूमि के पट्टा-किराया के निर्धारण" हेतु दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव से संबंधित टैम्प द्वारा पारित दिनांक 16/3/2021 के आदेश को भारत के राजपत्र असाधारण (भाग III अनुच्छेद 4) सं.158 द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2021 को अधिसूचित किया गया।</p> <p>5) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 10-01-22 को हुई बैठक में संकल्प सं.134 के अनुसार 16-04-15 (करार की तारीख) से 15-08-2019 (छूट पंचाट की तारीख से पूर्व दिवस) तक बकाया अनुज्ञप्ति शुल्क राशि लगभग रु.50.00 करोड़ की वसूली करने हेतु समझौता निपटान समिति को मामला संदर्भित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।</p> <p>6) मैसर्स सीईटीएल से देय कुल बकाया राशि रु. 49.57 करोड़ (जीएसटी/एसटी सहित) है और इस संबंध में मैसर्स सीईटीएल को दिनांक 05/04/2022 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था।</p> <p>7) मैसर्स कोविवा एनर्जी टर्मिनल लिमिटेड ने संशोधित अनुज्ञप्ति शुल्क को चुनौती देते हुए टैम्प और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के खिलाफ माननीय</p>

			7) M/s. COVIVA Energy Terminal Limited has filed a petition in the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad against the TAMP & Deendayal Port Authority challenging the revised LF,
--	--	--	---

(iv) Name of BOT Operator: M/s ABGKCTL

Nature of Dues	Brief of Dispute	Amount Not Recognized in books of Accounts	Present Status
Royalty & LF	<ul style="list-style-type: none"> • License Agreement executed on 23/06/2006 for the Project of Development, Operation, Management and Maintenance of Berth Nos. 11 & 12 at Kandla Port as Container Terminal on Build, Operate and Transfer (BOT) basis for a period of 30 years • Due to various defaults (technical & financial), DPA issued a Termination Notice to ABGKCTL. M/s. ABGKCTL took the matter to the court, in which, the Hon'ble High Court passed an interim order dated 16/08/2013. • As per the said orders, the berth No. 11 & 12 along with the assets and structures have been taken over by DPA on 27/09/2013 for which, DPA has submitted the FDRs amounting to Rs. 224 cr. in the Court. 	As the Arbitration, proceedings are pending, no counter claim of Rs. 234535 lakhs have been recognised in books of accounts, except to the extent of Rs.2002.98 lakhs.	Arbitration is ongoing. Examination of Witness of DPA is currently undergoing. The arbitration is fixed on 20 th & 22 nd Jun 2025 for cross examination of Ms. Rajshree Dabke on counter claim of DPA. Supporting documents required to be produced by Ms Dabke for which she needs backup & Sr. Official from DPA. We will send the same for cross examination on counter claim.

			गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में एक याचिका दायर की है।
--	--	--	---

(iv) बीओटी प्रचालक का नाम: मैसर्स एबीजीकेसीटीएल

बकाया का प्रकार	विवाद का संक्षिप्त विवरण	राशि, जिन्हें लेखा बहियों में मान्यता नहीं दी गई	वर्तमान स्थिति
रॉयल्टी और अनुज्ञप्ति शुल्क	<ul style="list-style-type: none"> दिनांक 23/06/2006 को 30 वर्षों की अवधि के लिए निर्माण, प्रचालन एवं स्थानांतरण (बीओटी) के आधार पर कंटेनर टर्मिनल के रूप में कंडला स्थित घाट सं. 11 और 12 के विकास, परिचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण संबंधी परियोजना हेतु अनुज्ञप्ति करार क्रियान्वित किया गया। विभिन्न प्रकार की चूकों (तकनीकी और वित्तीय) के कारण, प्राधिकरण ने एबीजीकेसीटी को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया। मैसर्स एबीजीकेसीटीएल इस मामले को न्यायालय तक ले गए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 16/08/2013 को एक अंतरिम आदेश पारित किया। उक्त आदेशों के अनुसार, परिसंपत्तियों और ढांचों सहित घाट सं. 11 और 12 को प्राधिकरण ने दिनांक 27/09/2013 को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके लिए प्राधिकरण ने कोर्ट में रु. 224 करोड़ के जमा रसीदें प्रस्तुत की हैं। 	चूंकि मध्यस्थता कार्यवाहियां लंबित हैं, अतः रु. 2002.98 लाख की सीमा को छोड़ कर लेखा बहियों में रु. 234535 लाख का कोई प्रतिदावा नहीं किया गया है।	मध्यस्थता कार्यवाही जारी है। दीनदयाल पतन प्राधिकरण के गवाहों की जांच चल रही है। डीपीए के प्रतिदावे पर सुश्री राजश्री दाबके की प्रतिपरीक्षा के लिए मध्यस्थता की तारीख 20 और 22 जून 2025 तय की गई है। सुश्री दाबके को सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, जिसके लिए उन्हें डीपीए से बैंकअप और वरिष्ठ अधिकारी की आवश्यकता है। हम प्रतिदावे पर प्रतिपरीक्षा के लिए उन्हें भेजेंगे।

B. Dues from PSUs & Other Private Parties [OTHER THAN BOT / PPP] - Land Section, CE Department]

The dues outstanding from various PSUs viz. IFFCO, BPCL, IOCL and other private parties viz. JRE, IMC, KESSAR & UTTL are Rs. 179.89 crores for the year 2024-25. Total outstanding upto 31.03.2025 is Rs. 723.96 crores. The above parties have challenged the revised rate structure for Kandla Land approved by TAMP vide Notification No. 106 dated 11/5/2011 Notification No. 350 dated 04/12/2014, before court of Law. At present, same are pending before the Supreme of Court India, New Delhi.

As per opinion of Shri Ritesh Kumar, Advocate dated 06.01.2023, DPA can raise invoice based on undisputed category during the pendency of the SLPs subject any further orders passed by the Supreme Court.

7. REVENUE FROM PPP PROJECTS

The summary of revenue recognized in the books of accounts is as under: -

All figures in Rs. Lakhs

Name of the PPP Operator	Revenue Booked in		
	FY 2024-25 (Rs. In lakhs)		
	LF	Royalty	Total
KICT	2593.67	2928.91	5522.58
IKBLL	253.57	839.34	1092.91
AKBTPL	800.00	7243.58	8043.58
NAYARA	619.19	10946.02	11565.21

* Verification of revenues due from BOT Operators - DPA has appointed M/s. Ashok Chajjed, CA Firms, Ahmedabad, empanelled with the Office of C&AG, as Special Auditors to verify the revenues due to DPA from the BOT projects of (1) AKBTL, (2) KICTL (3) IFFCO Kishan Bazar Logistic Limited during the FY 2024-25. Pending receipt of Final Audit Report of such PPP Projects, revenue is recognised based on the certification by the firm in the accounts. If any short claim is noticed by CA, then the same will be recognised on raising the claim and its acceptance by PPP operator.

8. PHYSICAL VERIFICATION OF FIXED ASSETS & INVENTORY

The physical verification of inventory and fixed assets has been carried out through M/s JLN US & Co., Chartered Accountants, Vadodara, who have been awarded the work of Internal Audit of DPA. The action on the observations made by the Internal Auditor and seeking their compliance from the respective Departments of DPA is in hand. In the opinion of the management, there are no indications, internal or external, which could have the effect of impairing the value of the Assets to any material extent as at 31st March, 2025.

ख. सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य निजी पार्टियों से बकाया [बीओटी/पीपीपी के अलावा] - भूमि अनुभाग, सीविल अभियांत्रिकी विभाग]

विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे इफको, बीपीसीएल, आईओसीएल और अन्य निजी पक्ष जैसे जेआरई, आईएमसी, केसर और यूटीटीएल से वर्ष 2024-25 के लिए रु. 179.89 करोड़ बकाया राशि है। दि. 31.03.2025 तक कुल बकाया राशि 723.96 करोड़ रुपये है। उपरोक्त पक्षों ने टैम्प द्वारा दिनांक 11/5/2011 की अधिसूचना संख्या 106 और दिनांक 04/12/2014 की अधिसूचना संख्या 350 के तहत अनुमोदित कंडला भूमि के संशोधित दर ढांचे को न्यायालय में चुनौती दी है। वर्तमान में, ये मामले भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित हैं।

श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता की दिनांक 06.01.2023 की राय के अनुसार, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण एसएलपी के लंबित रहने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अन्य आदेश के अधीन अविवादित श्रेणी के आधार पर चालान जारी कर सकता है।

7. पीपीपी परियोजनाओं से राजस्व

लेखा-बहियों में स्वीकृत राजस्व का सारांश निम्नवत है: -

सभी आंकड़े लाख रुपयों में

पीपीपी प्रचालक का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत किया गया राजस्व		
	(लाख रुपयों में)		
	अनुज्ञप्ति शुल्क	रॉयल्टी	कुल
केआईसीटी	2593.67	2928.91	5522.58
आईकेबीएलएल	253.57	839.34	1092.91
एकेबीटीपीएल	800.00	7243.58	8043.58
नायरा	619.19	10946.02	11565.21

* बीओटी प्रचालकों से देय राजस्व का सत्यापन - प्राधिकरण ने मैसर्स अशोक छाजेड़, सीए फर्म, अहमदाबाद, जो कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के साथ सूचीबद्ध हैं, को विशेष लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (1) एकेबीटीएल, (2) केआईसीटीएल और (3) इफको किसान बाजार लॉजिस्टिक लिमिटेड की बीओटी परियोजनाओं से दी.प.प्रा को देय राजस्व का सत्यापन करेंगे। ऐसी पीपीपी परियोजनाओं की अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति लंबित होने तक, खातों में फर्म द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। यदि सीए द्वारा कोई कम दावा देखा जाता है, तो दावा करने और पीपीपी ऑपरेटर द्वारा इसकी स्वीकृति पर इसे मान्यता दी जाएगी।

8. वस्तु-सूची और स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

वस्तु-सूची और स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन मैसर्स जेएलएन यूएस एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट वड़ोदरा, जिन्हें दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया था, द्वारा किया जा रहा है। आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए प्रेक्षणों पर कार्रवाई तथा दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के संबंधित विभागों से उनके अनुपालन की रिपोर्ट मांगने का कार्य चल रहा है। प्रबंधन की राय में, ऐसे कोई आंतरिक या बाह्य संकेत नहीं हैं, जिनसे परिसंपत्तियों के मूल्य 31 मार्च, 2025 तक किसी भी तरह से कम हो सकते हों।

9. GRANT-IN-AID

- (A) During the FY 2015-16, DPA received a grant of Rs.375.00 lakhs from Central Government towards Water Spillage Works costing Rs.985.80 lakhs and the cost of this Works is reflected in the balance sheet at Rs.610.80 lakhs. The receipt of balance amount of grant is awaited from the Government.
- (B) During the FY 2021-22, DPA received a grant of Rs.3107.70.00 Lakhs from Central Government towards "Construction and Maintenance of Ro-Ro/Ro-Pax facility at Hazira- Gujarat on EPC mode". The same is accounted by reducing from CWIP as the work is in progress. Financial assistance under Sagarmala Programme is 50% of the total awarded cost amounting to Rs. 34.53 Crore (i.e. 50% of Rs.69.06 Crore). The receipt of balance amount of grant is awaited from the Government.
- (C) During the FY 2022-23, DPA received a grant of Rs. 4123.272 lakhs being 90% of the total awarded cost of Rs. 4581.42 lakhs from Central Government towards "Dredging in Approach channel, Turning circle, Berth pocket and surrounding of landing Pontoon etc @ Ghogha RO-RO Terminal, Gujarat", out of which an amount of Rs. 3496.612 lakhs has been utilised during the current year, leaving balance of Rs. 626.66 lakhs. The same is accounted by reducing from CWIP as the work in progress. Financial assistance under Sagarmala programme is 100% of the total awarded cost amounting to Rs. 4581.42 lakhs. The receipt of balance amount of grant is awaited from the Government.
- (D) During the FY 2023-24, DPA received a grant of Rs. 285.73 lakhs being 1st part of last instalment of 10% of the total funds sanctioned under Sagarmala for the project of Rs. 45,81,42,400 from Central Government towards "Dredging in Approach channel, Turning circle, Berth pocket and surrounding of landing Pontoon etc @ Ghogha RO-RO Terminal, Gujarat, and same has been utilised fully during the current year. The same is accounted by reducing from CWIP as work in progress. MOPS&W vide letter No. SM-25021/49/2016-SM(Sagarmala) (e 319372) dt. 16.03.2024 has approved the Revised cost estimate of Rs. 62.49 crores for the subject project with the condition that the differential cost would be met by DPA from its internal resources.
- (E) During the FY 2023-24, DPA has received a grant of Rs. 904.94 lakhs being 1st instalment of financial assistance of Rs. 72.15 crores under Sagarmala scheme, at an estimated cost of Rs. 144.30 crores for the work of "Construction of RO-RO/RO-Pax Ferry services at Muldwarka", out of which an amount of Rs. 816.22 lakhs has been utilised during the current year. An amount of Rs. 2.84 crores has been released by MOSP&W on 21.02.2024, however on 12.03.2024, MOSP&W withdrawn an amount of Rs. 3.73 crores, leaving zero balance with DPA. The same is accounted by reducing from CWIP as work in progress.

9. सहायता अनुदान

- (क) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण को रु. 985.80 लाख की लागत के जल छलकाव-कार्य के लिए केंद्र सरकार से रु. 375.00 लाख का अनुदान मिला था और रु. 610.80 लाख के इस कार्य की लागत को तुलन-पत्र में प्रतिबिंबित किया गया है। सरकार से अनुदान की प्राप्ति संबंधी शेष राशि प्रतीक्षित है।
- (ख) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण को हजीरा-गुजरात में ई. पी. सी. मोड पर रो-रो पैक्स सुविधा के निर्माण और अनुरक्षण के लिए रु. 3107.70.00 लाख का अनुदान केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ है। चूंकि कार्य प्रगति पर है अतः चालू पूंजी कार्यों से हटाकर इसे लेखे में लेखांकित किया गया है। सागरमाला कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल निर्धारित लागत राशि का 50% (अर्थात् रु. 69.06 करोड़ का 50%) रु.34.53 करोड़ का वित्तीय अनुदान दिया गया है। अनुदान राशि की शेष राशि की प्राप्ति अभी केन्द्र सरकार से प्रतीक्षित है।
- (ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्र सरकार से गुजरात के घोघा रो-रो टर्मिनल के आसपास "एप्रोच चैनल , टर्निंग सर्कल ,बर्थ पॉकेट और लैंडिंग पॉटून आदि के आसपास ड्रेजिंग "के लिए प्राधिकरण को रु. 4123.272 लाख रुपये की, जो कुल प्रदत्त लागत रु. 4581.42 लाख का 90% है, अनुदान प्राप्त हुआ। जिसमें से चालू वर्ष के दौरान रु.3496.612 लाख का उपयोग किया गया है, तथा शेष राशि रु. 626.66 लाख का कार्य प्रगति पर होने के कारण इसे चालू पूंजी कार्यों से हटाकर हिसाब में लिया गया है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता रु. 4581.42 लाख कुल प्रदत्त लागत का 100% है। सरकार से अनुदान की शेष राशि की प्राप्ति प्रतीक्षित है।
- (घ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राधिकरण को सागरमाला के तहत स्वीकृत रु.45,81,42,400 की कुल निधियों के 10% की अंतिम किस्त के पहले भाग के रूप में 285.73 लाख रुपये का अनुदान केंद्र सरकार से "घोघा रो-रो टर्मिनल, गुजरात में एप्रोच चैनल, टर्निंग सर्कल, बर्थ पॉकेट और लैंडिंग पॉटून के आसपास निकर्षण" आदि के लिए प्राप्त हुआ और चालू वर्ष के दौरान इसका पूरा उपयोग किया गया है। इसे चालू पूंजी कार्यों से हटाकर प्रगति पर कार्य के रूप में दर्ज किया गया है। पत्तन, पोत-परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पत्र संख्या एसएम-25021/49/2016-एसएम (सागरमाला) (ई 319372) दिनांक 16.03.2024 के तहत मुख्य परियोजना के लिए रु. 62.49 करोड़ के संशोधित लागत अनुमान को इस शर्त के साथ मंजूरी दी है कि लागत के अंतर की पूर्ति प्राधिकरण द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से पूरी की जाएगी।
- (ङ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राधिकरण को सागरमाला योजना के तहत रु.144.30 करोड़ की अनुमानित लागत के "मूलद्वारका में रो-रो/रो-पैक्स फेरी सेवाओं के निर्माण" कार्य के लिए रु. 72.15 करोड़ की वित्तीय सहायता की पहली किस्त के रूप में रु. 904.94 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसमें से चालू वर्ष के दौरान रु. 816.22 लाख की राशि का उपयोग किया जा चुका है। पत्तन, पोत-परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दि. 21.02.2024 को रु.2.84 करोड़ की राशि जारी की गई, लेकिन 12.03.2024 को मंत्रालय ने रु. 3.73 करोड़ की राशि वापस ले ली, जिससे प्राधिकरण के पास शून्य शेष रह गया। इसे चालू पूंजी कार्यों से हटाकर प्रगति पर कार्य के रूप में दर्ज किया गया है।

(F) During FY 2024-25, DPA received a grant of Rs. 17,33,80,000/-being final instalment of total funds sanctioned under Sagarmala for the project of “Construction and Maintenance of Ro-Ro/Ro-Pax facility at Hazira- Gujarat on EPC mode”, out of which Rs. 9,53,46,665.80 released to the party and an amount of Rs. 780,32,288 transferred from PFMS account to DPA account being balance of 50% share of DPA which was incurred by DPA from its internal resources. Thus, total of Rs. 17,33,78,953.80 has been accounted by reducing the cost of asset capitalised, leaving a balance of Rs. 1046.20 in Sagarmala fund account.

(G) During the FY 2024-25, DPA received a grant of Rs. 172.42 lakhs being 2nd part of last instalment of 10% of the total funds sanctioned under Sagarmala for the project of Rs. 45,81,42,400 from Central Government towards “Dredging in Approach channel, Turning circle, Berth pocket and surrounding of landing Pontoon etc @ Ghogha RO-RO Terminal, Gujarat, and same has been utilised fully during the current year. The same is accounted by reducing from CWIP as work in progress. MOPS&W vide letter No. SM-25021/49/2016-SM(Sagarmala) (e 319372) dt. 16.03.2024 has approved the Revised cost estimate of Rs. 62.49 crores for the subject project with the condition that the differential cost would be met by DPA from its internal resources and accordingly final bill payment has been released by utilising the grant received of Rs. 172.42 lakhs and balance amount of Rs. 1345.37 lacs from internal resources of DPA.

10. GST, SERVICE TAX & SALES TAX ISSUES

[A] DISPUTED SERVICE TAX / GST DEMAND OF

Kandla

Sr. No	Nature of Dispute	Year (s) to which pertain s	Amt. in Dispute as on 31.03.2023	Draft Status prepared by DPA
1	Demand of Interest on delayed payment of Service Tax on bills issued to Lease Land Holders.	2014-15 to 2017-18	Rs.3,04,00,376 /- with equivalent amount of penalty & penalty of Rs. 10,000 u/s 77 of Finance Act 1994	Appeal filed before CESTAT, Ahmedabad against the order in original no. KCH-EXCUS-000-COM-24-2020-21 dated 26.02.2021.
				(Appeal No. ST/10628/2021-CU[DB])
				Final hearing was made on 23.02.2023. Hon'ble bench has reserved the order for pronouncement in due course. The appeal filed by DPA has been admitted by the order dated 23.06.2023 and order of demand has been set aside and the appeal is allowed.

- (च) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्राधिकरण को “ईपीसी मोड के तहत गुजरात के हजीरा में रो-रो/रो-पैक्स सुविधा के निर्माण और अनुरक्षण” की परियोजना के लिए सागरमाला के तहत स्वीकृत कुल धनराशि की अंतिम किस्त के रूप में 17,33,80,000 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से 9,53,46,665.80 रुपये पार्टी को जारी किए गए और 780,32,288 रुपये की राशि पीएफएमएस खाते से डीपीए खाते में स्थानांतरित की गई, जो डीपीए के 50% हिस्से का शेष है, जिसे प्राधिकरण द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से खर्च किया गया। इस प्रकार, पूंजीकृत परिसंपत्ति की लागत को घटाकर कुल 17,33,78,953.80 रुपये को लेखे में बताया गया, जिससे सागरमाला निधि खाते में 1046.20 रुपये का शेष रह गया है।
- (छ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, प्राधिकरण को सागरमाला के तहत स्वीकृत कुल धनराशि के 10% की अंतिम किस्त के दूसरे भाग के रूप में 172.42 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ, जो कि केंद्र सरकार से 45,81,42,400 रुपये की परियोजना “घोघा रो-रो टर्मिनल, गुजरात में एप्रोच चैनल, टर्निंग सर्कल, बर्थ पॉकेट और लैंडिंग पॉटून आदि के आसपास ड्रेजिंग” के लिए है, और चालू वर्ष के दौरान इसका पूरा उपयोग किया गया है। इसे चालू पूंजी कार्य से घटाकर प्रगति पर कार्य के रूप में दर्ज किया गया है। पत्तन, पोत-परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पत्र सं. एसएम-25021/49/2016-एसएम(सागरमाला) (ई 319372) दिनांक 16.03.2024 के तहत विषयगत परियोजना के लिए 62.49 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमान को इस शर्त पर अनुमोदन दिया है कि अंतर लागत प्राधिकरण द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से पूरी की जाएगी तथा तदनुसार 172.42 लाख रुपये के प्राप्त अनुदान और डीपीए के आंतरिक संसाधनों से 1345.37 लाख रुपये की शेष राशि का उपयोग करके भुगतान का अंतिम बिल जारी कर दिया गया है।

10. जीएसटी, सेवाकर एवं बिक्री-कर संबंधी मामले

[क] विवादित सेवा-कर/जीएसटी संबंधी मांग

कंडला

क्रम सं.	विवाद की प्रकृति	किस वर्ष से संबंधित है	दिनांक 31-03-2023 तक की विवादित राशि	प्राधिकरण द्वारा स्थिति का तैयार मसौदा
1	पट्टा भूमि धारकों को जारी किये गये बिलों से संबंधित विलंबित सेवा कर भुगतान पर ब्याज की मांग	2014-15 से 2017-18	वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 77 के अधीन शास्ति की समान राशि सहित रु. 3,04,00,376/- एवं रु.10,000 की शास्ति	दिनांक 26.02.2021 के मूल आदेश सं. केसीएच-ईएक्ससीयूएस-000-सीओएम-24-2020-21 के विरुद्ध सीईएसटीएटी, अहमदाबाद में अपील दायर की गई है।
				(अपील सं. एसटी/10628/2021-सीयू [डीबी])
				दि. 23.02.2023 को अंतिम सुनवाई की गई। माननीय पीठ ने नियत समय पर आदेश सुनाने के लिए इसे सुरक्षित रखा है। दिनांक 23.06.2023 के आदेश से दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया है और मांग आदेश को रद्द कर दिया गया है।

2	Applicability of Service Tax on vacant land for the period 2007 to 2011	2007 to 2011	Rs. 6,94,49,319 with equivalent amount of penalty and applicable interest	As per directions of Hon'ble CESTAT Ahmedabad vide Final Order No. 11168/2024 dated 05.06.2024, the matter was sent to adjudicating authority for Fresh adjudication.
				Personal hearing for fresh adjudication held on 05/06/2025, DPA has made submissions to drop the demand.
3	Demand of service tax on renting of Immovable property (Reconciliation of income showing in books of accounts with ST-3 return filed by DPA)	April 17 to June 17	Rs. 5,44,71,907	<p>SCN No: Commr/20/2020-21 dated 30.12.2020 was issued.</p> <p>The proceedings against DPA were dropped through order dated 25.04.2022. Department has filed appeal against the said order on 11/10/2022.</p> <p>The order has been passed in favor of DPA on 25.04.2022. The GST department has filed appeal against the above order on 11.10.2022.</p> <p>Date for hearing is awaited.</p>
4	in the course of GST audit for the year 2020-21, GST authorities has raised observations for the payment of Rs.53,89,134.	2020-21	Rs.53,89,134	<p>Vide order by Deputy commissioner of state tax Range-25 Gandhidham dated 17.02.2025, Tax demand for following amount was raised through form DRC 07:</p> <p>GST : Rs. 31,43,398/-</p> <p>Interest : Rs. 18,67,953/-</p> <p>Penalty : Rs. 3,77,783/-</p> <p>DPA has challenged the order and requested to drop the complete demand vide appeal dated 15.05.2025</p>

2	रिक्त भूमि पर 2007 से 2011 की अवधि हेतु सेवा कर का लागू होना	2007 से 2011	शास्ति एवं लागू ब्याज की समान राशि सहित रु. 6,94,49,319	माननीय सीईएसटीएटी अहमदाबाद के निर्देशानुसार अंतिम आदेश सं.11168/2024 दिनांक 05.06.2024 के अनुसार, मामले को नए अधिनिर्णयन के लिए निर्णायक प्राधिकारी के पास भेजा गया।
				05/06/2025 को नए अधिनिर्णयन के लिए व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की गई, प्राधिकरण ने मांग को छोड़ने के लिए अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं।
3	अचल संपत्ति को किराए पर देने पर सेवाकर की मांग (आय का समाशोधन लेखा बहियों और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा भरी गई एस. टी.-3 विवरणी से)	अप्रैल 17 से जून 17	रु. 5,44,71,907	<p>एससीएन सं.वाणिज्य/20/2020-21 दिनांक 30.12.2020 को जारी की गई थी।</p> <p>दिनांक 25.04.2022 के आदेश के माध्यम से दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। विभाग ने उक्त आदेश के खिलाफ 11/10/2022 को अपील दायर की है।</p> <p>दिनांक 25.04.2022 को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। जीएसटी विभाग ने उपरोक्त आदेश के खिलाफ 11.10.2022 को अपील दायर की है।</p> <p>सुनवाई के लिए तारीख प्रतीक्षित है।</p>
4	वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी लेखापरीक्षा के दौरान, जीएसटी प्राधिकारियों ने रु. 53,89,134 के भुगतान हेतु ध्यान आकर्षित किया है।	2020-21	रु. 53,89,134	<p>उपायुक्त, राज्य कर रैंज-25 गांधीधाम के द्वारा दिनांक 17.02.2025 के आदेशानुसार, फॉर्म डीआरसी 07 के माध्यम से निम्नलिखित राशि की कर के रूप में मांग की गई:</p> <p>जीएसटी : रु. 31,43,398/- ब्याज : रु. 18,67,953/- शास्ति : रु. 3,77,783/-</p> <p>दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने इस आदेश को चुनौती दी है और दिनांक 15.05.2025 की अपील के माध्यम से की गई पूर्ण मांग को छोड़ने के लिए अनुरोध किया है।</p>

[A] DISPUTED SERVICE TAX / GST DEMAND OF**OOT - Vadinar :-**

Sr. No.	Matter	Status																
1	Appeal No. ST/341/2012 dated 15/06/2012 & ST/342/2012 dated 15/06/2012	<ul style="list-style-type: none">Department demanded deposit of service tax of Rs. 4,04,73,658/- along with interest and penalties. Accordingly stay petitions were filed before CESTAT as advised by advocate Shri Shailesh P Sheth.The CESTAT in its order No. 5/2574-2575/WZB/AHD/2012 dt. 06/12/2012 directed DPA to deposit Rs. 90 lakh and report compliance on 07/02/2013 subject to such compliance being reported, the applications for waiver of pre-deposit of balance amount involved are allowed and recovery thereof stayed till the disposal of appeals.The details of the deposits under protest are as follows:<table><tr><th>Particulars</th><th>Challan No.</th><th>Date</th><th>Amount (₹)</th></tr><tr><td>Against SCN dated 18.10.2011</td><td>00041</td><td>24.12.2012</td><td>96,08,992/-</td></tr><tr><td>Against SCN dated 04.02.2011</td><td>00053</td><td>24.12.2012</td><td>1,54,00,263/-</td></tr><tr><td>Total</td><td>—</td><td>—</td><td>2,50,09,255/-</td></tr></table> <p>The above appeals came up for final hearing on 26.04.2023 before the Hon'ble Bench of the Tribunal comprising of Shri Ramesh Nair, Member (Judicial) and Shri C. L. Mahar, Member (Technical). I appeared on behalf of the Appellant-company as per the instructions and the department was represented by Shri Ghanshyam Soni, the Ld. AR.</p> <p>Subsequently, vide Final Order No. FO/ST/A/11663-11664/2023-ST(DB) dated 03.08.2023, the Hon'ble CESTAT, West Zonal Bench, Ahmedabad, has allowed the appeals filed by Deendayal Port Authority and set aside the demands raised under the aforementioned SCNs.</p> <p>Pursuant to the favourable CESTAT order, an application for refund of the amount of ₹2,50,09,255/- was filed before the jurisdictional Assistant Commissioner of CGST, Jamnagar. However, the refund application has been rejected on procedural grounds. An appeal against the rejection order has been filed before the Commissioner (Appeals), CGST, Rajkot, on 9th May 2025 and is pending adjudication.</p>	Particulars	Challan No.	Date	Amount (₹)	Against SCN dated 18.10.2011	00041	24.12.2012	96,08,992/-	Against SCN dated 04.02.2011	00053	24.12.2012	1,54,00,263/-	Total	—	—	2,50,09,255/-
Particulars	Challan No.	Date	Amount (₹)															
Against SCN dated 18.10.2011	00041	24.12.2012	96,08,992/-															
Against SCN dated 04.02.2011	00053	24.12.2012	1,54,00,263/-															
Total	—	—	2,50,09,255/-															

[क] विवादित सेवा-कर/जीएसटी संबंधी मांग

अपतट तेल टर्मिनल - वाडीनार :-

क्र.सं.	मामला	स्थिति																
1	अपील सं. एसटी/341/2012 दिनांक 15/06/2012 और एसटी /342/2012 दिनांक 15/06/2012	<ul style="list-style-type: none">विभाग ने रु. 4,04,73,658/-का सेवाकर तथा उस पर ब्याज एवं शास्ति जमा करने की मांग की । तदनुसार, अधिवक्ता श्री शैलेश पी शेठ की सलाह के अनुसार सीईएसटीएटी के समक्ष स्थगन याचिकाएं दायर की गईंसीईएसटीएटी ने अपने आदेश सं. 5/2574-2575/डब्ल्यूजेडबी/एचडी/2012 दिनांक 06/12/2012 में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण को रु. 90 लाख जमा करने और 07/02/2013 को अनुपालन सूचित करने का निर्देश दिया, बशर्ते कि शेष राशि की पूर्व-जमा संबंधी छूट हेतु आवेदनों को अनुमति हो और अपीलों के निपटान तक इसकी वसूली स्थगित की गई हो।विरोध के तहत जमा की गई राशि का विवरण इस प्रकार है: <table><tr><th>विवरण</th><th>चालान सं.</th><th>दिनांक</th><th>राशि (₹)</th></tr><tr><td>दिनांक 18.10.2011 को एस.सी.एन. के समक्ष</td><td>00041</td><td>24.12.2012</td><td>96,08,992/-</td></tr><tr><td>दिनांक 04.02.2011 को एस.सी.एन. के समक्ष</td><td>00053</td><td>24.12.2012</td><td>1,54,00,263/-</td></tr><tr><td>कुल</td><td>—</td><td>—</td><td>2,50,09,255/-</td></tr></table> <p>उपर्युक्त अपीलें दिनांक 26.04.2023 को न्यायाधिकरण की माननीय न्यायपीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गईं, जिनमें श्री रमेश नायर, सदस्य (न्यायिक) और श्री सी.एल. महार, सदस्य (तकनीकी) को शामिल थे। मैं अपीलकर्ता-कंपनी की ओर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पेश हुआ और विभाग का प्रतिनिधित्व श्री घनश्याम सोनी, एलडी. ए.आर. द्वारा किया गया।</p> <p>इसके बाद, अंतिम आदेश संख्या एफओ/एसटी/ए/11663-11664/2023-एसटी(डीबी) दिनांक 03.08.2023 के माध्यम से, माननीय सीईएसटीएटी, पश्चिम क्षेत्रीय बेंच, अहमदाबाद ने दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दे दी है और उपर्युक्त एससीएन के तहत उठाई गई मांगों को खारिज कर दिया है।</p> <p>अनुकूल सीईएसटीएटी आदेश के अनुक्रमण में, ₹2,50,09,255/- की राशि को वापस लेने के लिए न्याय-अधिकारिता सहायक आयुक्त, सीजीएसटी, जामनगर के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया। परंतु, प्रक्रियात्मक आधार पर धनवापसी आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। अस्वीकृति आदेश के विरोध में 9 मई 2025 को आयुक्त (अपील), सीजीएसटी, राजकोट के समक्ष एक अपील दायर की गई है और न्याय-निर्णयन हेतु लंबित है।</p>	विवरण	चालान सं.	दिनांक	राशि (₹)	दिनांक 18.10.2011 को एस.सी.एन. के समक्ष	00041	24.12.2012	96,08,992/-	दिनांक 04.02.2011 को एस.सी.एन. के समक्ष	00053	24.12.2012	1,54,00,263/-	कुल	—	—	2,50,09,255/-
विवरण	चालान सं.	दिनांक	राशि (₹)															
दिनांक 18.10.2011 को एस.सी.एन. के समक्ष	00041	24.12.2012	96,08,992/-															
दिनांक 04.02.2011 को एस.सी.एन. के समक्ष	00053	24.12.2012	1,54,00,263/-															
कुल	—	—	2,50,09,255/-															

2	Appeal No. ST/11406/2016 dated 11/07/2016	<p>Service Tax Appeal No. 11406/2016 filed against the Order-in-Original No. RAJ-EXCUS-000-PR-COM-34-15-16 dated 31.03.2016 before the Hon'ble CESTAT Ahmedabad has been decided vide Final Order No. 11169/2014 dated 05.06.2024.</p> <p>The Impugned Order -in-Original No. RAJ-EXCUS-000-PR-COM-34-15-16 dated 31.03.2016 has been set-aside and the appeal has been allowed by way of remand for de-novo adjudication of the SCN dated 19.10.2012.</p>
---	---	--

[B] DISPUTED SALES TAX REFUND

The following refunds pertaining to Sales Tax are pending with department: -

Brief of Case	Sales Tax Paid Rs. (in Lakhs)	Year	Present Status
Excess Sales Tax deposited on disposal of M D Kutch Vallabh	13.18	1997-98	Pending with Commissioner of Commercial Tax (Appeals) Rajkot
Penalty levied for Sales Tax due for Un-registered Dealer period	57.93	05-08-1985 to 12-11-1991	Pending with Commissioner of Commercial Tax (Appeals) Rajkot
Refund due on account of Cement Purchased from out of Gujarat	13	1991 to 1993	Pending with Commissioner of Commercial Tax (Appeals) Rajkot
	84.11		

2	अपील सं. एसटी/11406/2016 दिनांक 11/07/2016	माननीय सीईएसटीएटी अहमदाबाद के समक्ष दिनांक 31.03.2016 के मूल आदेश सं. आरएजे-ईएक्ससीयूएस-000-पीआर-सीओएम-34-15-16 के विरुद्ध दायर सेवा कर अपील संख्या 11406/2016 का निर्णय अंतिम आदेश संख्या 11169/2014 दिनांक 05.06.2024 के माध्यम से किया गया है। आक्षेपित मूल आदेश सं. आरएजे-ईएक्ससीयूएस-000-पीआर-सीओएम-34-15-16 दिनांक 31.03.2016 को निरस्त कर दिया गया है तथा अपील को दिनांक 19.10.2012 के एस.सी.एन. के नए सिरे से न्याय-निर्णयन के लिए रिमांड के माध्यम से अनुमति दी गई है।
---	--	--

(ख) विवादित बिक्रीकर प्रतिदाय

बिक्री कर से संबंधित निम्नलिखित प्रतिदाय विभाग में लंबित हैं:-

मामले का सार	संदत्त विक्रय कर रु. (लाख में)	वर्ष	वर्तमान स्थिति
एम. डी. कच्छ वल्लभ के निपटान पर जमा अतिरिक्त बिक्री कर	13.18	1997-98	वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), राजकोट के पास लंबित है।
अपंजीकृत डीलर अवधि के लिए बिक्री कर हेतु लगाया गया जुर्माना	57.93	05-08-1985 to 12-11-1991	वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), राजकोट के पास लंबित है।
गुजरात के बाहर से सीमेंट खरीदने के कारण प्रतिदाय	13	1991 to 1993	वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील), राजकोट के पास लंबित है।
	84.11		

11. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.

As per the revised guidelines on CSR for Major Ports circulated by MOS vide letter no. PD-12019/1/2020-PD-VI (IV) dated 28/06/2023, the funding shall be in the manner as prescribed below:

CSR Budget will be mandatorily created through a Board Resolution as a percentage of net profit in the following manner:

Financial Position of the Port Net Profit (Previous Financial Year)	Expenditure range of CSR in a Financial Year (% of Profit)
(a) less than Rs. 100 crores	3%-5%
(b) ₹100 crores to Rs. 500 crores	2%-3% (subject to minimum of Rs. 3 crores)
(c) ₹ 500 crore and above	0.5%-2%

The Net Profit (after tax) of DPA for FY 2023-24 was Rs 1320.55 crores, hence based on the above guidelines the computation of CSR contribution/ budget for the FY 2024-25 is worked out as below:

Net Profit of previous year i.e. 2023-24	₹ 1320.55 crores
Prescribe range	2%
Proposed contribution	2%
CSR Contribution for the year 2024-25	₹ 26.41 Crores.

List of CSR Activities during the Year

1	CSR Request for School Bus and Solar Power System, Blind Peoples Association Bhuj	₹ 25,30,800.00
2	CSR Request for fund under CSR for Railway Institute, Gandhidham, Western by Marwadi Yuva Manch	₹ 94,000.00
3	CSR Fund request for the Procurement of IT infrastructure Hearing Aids, Roof top solar Panels, roof top dome shade and Multi activity system at Adipur,	₹ 14,82,400.00
4	Request for construction of relocatable of sports arena at Gandhidham Military Station, HQ 98 Artillery Brigade Military Station Gandhidham	₹ 11,20,000.00
5	CSR Project proposal for Outdoor flooring and laundry Construction for mentally Disturbed women, St. Joseph's Hospital	₹ 11,66,400.00
6	CSR Request for financial Assistance on menstrual Hygiene for girls, Assam-TIPKAI(Guwahati)	₹ 8,00,000.00

11. निगमित सामाजिक दायित्व

पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 28/06/2023 के पत्र संख्या पीडी-12019/1/2020-पीडी-VI (IV) के द्वारा परिचालित संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार महापत्तनों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व वित्तपोषण निम्नवत होगा:-

एक बोर्ड संकल्प के माध्यम से निगमित सामाजिक दायित्व बजट का सृजन अनिवार्यतः शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित रूप से किया जाएगा:

पत्तन की वित्तीय स्थिति शुद्ध लाभ (विगत वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष में निगमित सामाजिक दायित्व व्यय की सीमा (लाभ का %)
(क) रु.100 करोड़ से कम	3%-5%
(ख) रु.100 करोड़ से रु.500 करोड़ तक	2%-3% (न्यूनतम रु. 3 करोड़ के अधीन)
(ग) रु.500 करोड़ और उससे अधिक	0.5%-2%

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण का शुद्ध लाभ (कर पश्चात) रुपये 1320.55 करोड़ था, इसलिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व योगदान/बजट की गणना निम्नानुसार की गई है:

गत वर्ष अर्थात् 2023-24 का शुद्ध लाभ	₹ 1320.55 करोड़
निर्धारित सीमा	2%
प्रस्तावित अंशदान	2%
वर्ष 2024-25 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व अंशदान	₹ 26.41 करोड़

वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों की सूची

1	स्कूल बस और सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए सीएसआर अनुरोध, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन भुज।	₹ 25,30,800.00
2	मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रेलवे संस्थान, गांधीधाम, पश्चिमी के लिए सीएसआर के तहत निधि हेतु अनुरोध।	₹ 94,000.00
3	आदिपुर में आईटी अवसंरचना श्रवण यंत्र, रूफ टॉप सौर पैनल, रूफ टॉप डोम शेड और मल्टी एक्टिविटी सिस्टम की खरीद के लिए सीएसआर निधि हेतु अनुरोध।	₹ 14,82,400.00
4	गांधीधाम सैन्य स्टेशन, मुख्यालय 98 आर्टिलरी ब्रिगेड सैन्य स्टेशन गांधीधाम में अंतरण योग्य स्पोर्ट्स एरेना के निर्माण के लिए अनुरोध।	₹ 11,20,000.00
5	सेंट जोसेफ अस्पताल में मानसिक रूप से विकसित महिलाओं के लिए आउटडोर फ्लोरिंग और कपड़े धोने की सुविधा के निर्माण के लिए सीएसआर परियोजना का प्रस्ताव।	₹ 11,66,400.00
6	लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर वित्तीय सहायता के लिए सीएसआर अनुरोध, असम-टीआईपीकेआई (गुवाहाटी)।	₹ 8,00,000.00

7	CSR Request for Health Checkup and Awareness Camp at Assam	₹ 9,00,000.00
8	CSR work for construction of new Administrative staff block for the Maitri Maha Vidhyalaya, Adipur.	₹ 28,38,000.00
9	CSR work for construction of Shamshan Bhoomi (Crematorium) at Gandhidham	₹ 66,62,035.36
10	Financial assistance under CSR for Rooftop Solar System & Afforestation under clean energy & sustainable development in 10 villages around DPA-SEED Foundation	₹ 54,60,000.00
11	CSR works for Construction of New Building for Setting up of skill development centre at Rajkot (Sewa Gujarat).	₹ 50,00,000.00
12	CSR request for submitted by AAS, Indore for solid waste Management at Gandhidham & Kandla.	₹ 50,91,691.81
13	Proposed to establish a women empowerment center, through Ujjas Mahila Sangh, Gandhidham	₹ 40,00,000.00
14	Proposal for Upgrading Satellite Eye Hospital at Bhuj.1. Request for financial support for the addition of cornea and retina outpatient departments (OPD), a spectacle dispensing unit, and a medicine counter as part of our OPD activities, & equipment purchase.	₹ 31,57,200.00
15	For Impact Assessment of schemes implemented for the benefit of various sector, like Education, Health, Environment community welfare, Sanitation & waste management by TMIS	₹ 1,20,000.00
16	CSR Fund request for the Procurement of IT infrastructure Hearing Aids, Roof top solar Panels, roof top dome shade and Multi activity system at Adipur,	₹ 44,35,000.00
17	CSR funds for requirement of Mentally disabled childrens in Adipur, Kutch-Hari Aasro Trust Adipur – Bus	₹ 25,22,411.00
18	CSR funds for requirement of Mentally disabled childrens in Adipur, Kutch-Hari Aasro Trust Adipur - Computer Benches	₹ 1,84,500.00
19	CSR request for providing solar panel, Paver Block & City Ride Vehicle at Their hostel at Adipur-Kutch, Karuna Vihar Kanya Sadan Adipur	₹ 6,23,262.00
20	CSR Funds for financial Assistance under CSR activities To person with disabilities, Madhapar, Bhuj- Shri Navchetan Andhjan Mandal, Madhapar, Bhuj	₹ 6,81,907.00
21	CSR Request for amenities for Infrastructure development of School, Anjar-Kutch- Eklavya Education Trust, Anjar-Kutch	₹ 22,82,673.00

7	असम में स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर के लिए सीएसआर अनुरोध।	₹ 9,00,000.00
8	मैत्री महाविद्यालय, आदिपुर के लिए नए प्रशासनिक स्टाफ ब्लॉक के निर्माण हेतु सीएसआर कार्य।	₹ 28,38,000.00
9	गांधीधाम में श्मशान भूमि के निर्माण के लिए सीएसआर कार्य।	₹ 66,62,035.36
10	डीपीए-सीड फाउंडेशन के आसपास के 10 गांवों में स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के तहत रूफटॉप सौर प्रणाली और वनीकरण के लिए सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता।	₹ 54,60,000.00
11	राजकोट (सेवा गुजरात) में कौशल विकास केंद्र की स्थापना हेतु नए भवन निर्माण के लिए सीएसआर कार्य।	₹ 50,00,000.00
12	गांधीधाम और कंडला में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एएस, इंदौर द्वारा सीएसआर अनुरोध प्रस्तुत किया गया।	₹ 50,91,691.81
13	उज्जास महिला संघ, गांधीधाम के माध्यम से एक महिला सशक्तीकरण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव।	₹ 40,00,000.00
14	भुज में सैटेलाइट नेत्र अस्पताल के उन्नयन का प्रस्ताव। 1. कॉर्निया और रेटिना बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) को जोड़ने के लिए, एक चश्मा वितरण यूनिट और ओपीडी गतिविधियों के भाग रूप एक दवा काउंटर की स्थापना तथा उपकरण खरीद के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध।	₹ 31,57,200.00
15	टीएमआईएस द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामुदायिक कल्याण, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लाभ के लिए कार्यान्वित योजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन हेतु।	₹ 1,20,000.00
16	आदिपुर में आईटी अवसंरचना श्रवण यंत्र, रूफ टॉप सौर पैनल, रूफ टॉप डोम शेड और मल्टी एक्टिविटी सिस्टम की खरीद के लिए सीएसआर निधि हेतु अनुरोध।	₹ 44,35,000.00
17	आदिपुर, कच्छ में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की आवश्यकता के लिए सीएसआर निधि - हरि आसरो ट्रस्ट आदिपुर - बस।	₹ 25,22,411.00
18	आदिपुर, कच्छ में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की आवश्यकता के लिए सीएसआर निधि - हरि आसरो ट्रस्ट आदिपुर - कंप्यूटर बेंच।	₹ 1,84,500.00
19	आदिपुर-कच्छ, करुणा विहार कन्या सदन आदिपुर स्थित उनके छात्रावास में सौर पैनल, पेवर ब्लॉक और सिटी राइड वाहन उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर अनुरोध।	₹ 6,23,262.00
20	सीएसआर गतिविधियों के तहत विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के लिए सीएसआर निधि, माधापार, भुज- श्री नवचेतन अंधजन मंडल, माधापार, भुज।	₹ 6,81,907.00
21	अंजार-कच्छ के स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सुविधाओं के लिए सीएसआर अनुरोध- एकलव्य शिक्षा ट्रस्ट, अंजार-कच्छ।	₹ 22,82,673.00

22	CSR Request for amenities for Infrastructure development of School, Anjar-Kutch- Eklavya Education Trust,Anjar-Kutch	₹ 18,36,294.00
23	CSR Request for amenities for Infrastructure development of School, Anjar-Kutch- Eklavya Education Trust,Anjar-Kutch	₹ 2,04,033.00
24	Funding to “Kutch Seva Trust” for purchase of manufacturing machine for sanitary pads	₹ 1,23,900.00
25	Funding to Nishreyas Organisation of Assam	₹ 5,00,000.00
26	Proposal for providing AWG system at their check posts located in the Runn of Kutch, Commandant BSF Station Gandhidham	₹ 35,37,986.00
27	CSR Request for providing”Antim Yatra Bus” & Mortuary Cabinet Morgue” for Adipur-Gandhidham from CSR Funds,	₹ 6,69,686.00
28	Proposal for financial assistance for purchase of C Arm and OT table to start Orthopedic at St. Joseph’s Hospital Gandhidham,ST. Joseph’s Hospital Trust, Gandhidham.	₹ 25,32,089.00
29	SR request for livelihoods Development of rural women at Kutch Area, BAIF Institute for Sustainable Livelihoods and development, pune	₹ 6,09,700.00
30	CSR Grant for ‘Strengthening of School Ecosystem at Primary School Level in Kachchh District,Ladies Environment Action Foundation (LEAF), Gandhinagar	₹ 20,00,000.00
31	CSR request for financial support under CSR for “Organizing Programs on Skill Development”, Gandhidham Collegiate Board, Adipur	₹ 30,00,000.00
32	CSR Funds for support for Procurement of kitchen Equipment & machineries to Serve Mid-day meals to Govt. School children in Bhuj- Kutch-Akshar Patra Foundation Gandhinagar	₹ 33,18,600.00
33	Sainik kalyan Board – Bhuj	₹ 14,00,000.00
34	Sainik Kalyan Board – Jamnagar	₹ 30,00,000.00
35	UBP's Centre for Alternate Vocation Organisation, Ulubari GUWAHATI	₹ 5,00,000.00

	Civil Work	
1	CSR Request for construction of Toilet block units for Girls & Boys NAV JIVAN VIKLANG SEVA SHREY Bhachau	₹ 3,24,370.09
2	CSR work for providing One Bore hole with construction one room along with Motor pump at Village MOTI NAGALPAR, Anjar.	₹ 10,48,563.34
3	CSR works for Kachchh Mahila Kalyan Kendra, Bhuj-Kutch	₹ 30,28,573.84

22	अंजार-कच्छ के स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सुविधाओं के लिए सीएसआर अनुरोध- एकलव्य शिक्षा ट्रस्ट, अंजार-कच्छ।	₹ 18,36,294.00
23	अंजार-कच्छ के स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सुविधाओं के लिए सीएसआर अनुरोध- एकलव्य शिक्षा ट्रस्ट, अंजार-कच्छ।	₹ 2,04,033.00
24	सैनितरी पैड बनाने की मशीन खरीदने के लिए "कच्छ सेवा ट्रस्ट" को वित्त पोषण।	₹ 1,23,900.00
25	असम के निश्रेयस संगठन को वित्त पोषण	₹ 5,00,000.00
26	कच्छ के रण में स्थित अपने चेक पोस्ट पर एडब्ल्यूजी प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव, कमांडेंट बीएसएफ स्टेशन गांधीधाम।	₹ 35,37,986.00
27	सीएसआर निधि से आदिपुर-गांधीधाम के लिए "अंतिम यात्रा बस" और मोर्चुरी कैबिनेट" उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर अनुरोध।	₹ 6,69,686.00
28	सेंट जोसेफ अस्पताल गांधीधाम में ऑर्थोपेडिक शुरू करने के लिए सी आर्म और ओटी टेबल की खरीद के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव, सेंट जोसेफ अस्पताल ट्रस्ट, गांधीधाम।	₹ 25,32,089.00
29	कच्छ क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के आजीविका विकास के लिए सीएसआर अनुरोध, बीआईएफ सतत आजीविका और विकास संस्थान, पुणे।	₹ 6,09,700.00
30	कच्छ जिले में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सीएसआर अनुदान, लेडीज एनवायरनमेंट एक्शन फाउंडेशन (एलईएएफ), गांधीनगर।	₹ 20,00,000.00
31	गांधीधाम कॉलेजिएट बोर्ड, आदिपुर में "कौशल विकास पर कार्यक्रम आयोजित करने" के लिए सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता के लिए सीएसआर अनुरोध।	₹ 30,00,000.00
32	भुज-कच्छ में सरकारी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने के लिए रसोई उपकरण और मशीनरी की खरीद हेतु सहायता के लिए सीएसआर निधि - अक्षर पत्र फाउंडेशन गांधीनगर	₹ 33,18,600.00
33	सैनिक कल्याण बोर्ड - भुज	₹ 14,00,000.00
34	सैनिक कल्याण बोर्ड - जामनगर	₹ 30,00,000.00
35	यूबीपी का वैकल्पिक व्यवसाय संगठन केंद्र, उलुबारी, गुवाहाटी	₹ 5,00,000.00

	सिविल कार्य	
1	लड़कियों और लड़कों के लिए शौचालय ब्लॉक इकाइयों के निर्माण के लिए सीएसआर अनुरोध, नव जीवन विकलांग सेवा श्रेय भचाऊ	₹ 3,24,370.09
2	ग्राम मोती नागलपार, अंजार में मोटर पंप सहित एक कमरे के निर्माण के साथ एक बोर होल उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर कार्य।	₹ 10,48,563.34
3	कच्छ महिला कल्याण केंद्र, भुज-कच्छ के लिए सीएसआर कार्य।	₹ 30,28,573.84

4	CSR Activities for providing Water supply pipe line for drinking water facilities for poor people & Fishermen at VANDI Village	₹ 20,62,640.00
5	CSR work for Providing Drainage Line at Meghpar Borichi village, Anjar Taluka.	₹ 17,74,126.70
6	CSR works at Shri Ganesh Nagar Govt High School, Gandhidham	₹ 18,70,870.18
7	CSR request for providing solar panel, Paver Block & City Ride Vehicle at Their hostel at Adipur-Kutch, Karuna Vihar Kanya Sadan Adipur	₹ 1,71,082.01
8	CSR work for Construction of Health Centre at Kidana Village	₹ 22,488.08

	GEM	
1	Procurement of Desktop Computers for Balguru Vikas Trust Gandhidham and Procurement of Desktop Computers UPS and HD projector for_Ramkrishna Sharda Sevashram.	₹ 6,28,416.06
2	Procurement of Interactive Flat Panel & Laptop part of CSR activities for providing facilities in Girls Hostel of Kasturba Gandhi Balika Vidhyalay, Gandhidham – Providing smart class room :- Interactive Panel	₹ 43,816.88
3	Procurement of Interactive Flat Panel & Laptop part of CSR activities for providing facilities in Girls Hostel of Kasturba Gandhi Balika Vidhyalay, Gandhidham – Providing smart class room:- Computer	₹ 10,372.88
4	Procurement of Projector, Laptop & UPS for Development of School premises of Shri Guru Nanak Education Society, Gandhidham – Laptop	₹ 2,03,159.96
5	Procurement of Projector, Laptop & UPS for Development of School premises of Shri Guru Nanak Education Society, Gandhidham – Projector	₹ 2,24,985.01
6	Procurement of Desktop Computers for Balguru Vikas Trust Gandhidham and Procurement of Desktop Computers UPS and HD projector for Ramkrishna Sharda Sevashram Anjar_2	₹ 18,990.00
7	Procurement of Almiras Table Chairs and Xerox Machine for Galpadhar Prathmic Shala at Galpadhar Kutch and Procurement of Table Chairs and Almiras for Antarjal school Gandhidham	₹ 2,49,995.98
8	Procurement of Desktop Computers for Balguru Vikas Trust Gandhidham and Procurement of Desktop Computers UPS and HD projector for Ramkrishna Sharda Sevashram Anjar_1	₹ 1,11,997.00

4	वंडी गांव में गरीब लोगों और मछुआरों के लिए पेयजल सुविधा हेतु जल आपूर्ति पाइप लाइन उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर गतिविधियाँ।	₹ 20,62,640.00
5	अंजार तालुका के मेघपर बोरिची गांव में जल निकासी लाइन प्रदान करने के लिए सीएसआर कार्य।	₹ 17,74,126.70
6	श्री गणेश नगर सरकारी हाई स्कूल, गांधीधाम में सीएसआर कार्य।	₹ 18,70,870.18
7	आदिपुर-कच्छ, करुणा विहार कन्या सदन आदिपुर स्थित उनके छात्रावास में सौर पैनल, पेवर ब्लॉक और सिटी राइड वाहन उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर अनुरोध।	₹ 1,71,082.01
8	किडाना गांव में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए सीएसआर कार्य।	₹ 22,488.08

	जी.ई.एम	
1	बालगुरु विकास ट्रस्ट गांधीधाम के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीद और रामकृष्ण शारदा सेवाश्रम के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर यूपीएस और एचडी प्रोजेक्टर की खरीद।	₹ 6,28,416.06
2	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, गांधीधाम के गर्ल्स हॉस्टल में सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीएसआर गतिविधियों के तहत इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल और लैपटॉप की खरीद - स्मार्ट क्लास रूम प्रदान करना:- इंटरैक्टिव पैनल।	₹ 43,816.88
3	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, गांधीधाम के गर्ल्स हॉस्टल में सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीएसआर गतिविधियों के भाग रूप इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल और लैपटॉप की खरीद - स्मार्ट क्लास रूम प्रदान करना:- कंप्यूटर।	₹ 10,372.88
4	श्री गुरु नानक एजुकेशन सोसाइटी, गांधीधाम के स्कूल परिसर के विकास के लिए प्रोजेक्टर, लैपटॉप और यूपीएस की खरीद - लैपटॉप।	₹ 2,03,159.96
5	श्री गुरु नानक एजुकेशन सोसाइटी, गांधीधाम के स्कूल परिसर के विकास के लिए प्रोजेक्टर, लैपटॉप और यूपीएस की खरीद - प्रोजेक्टर।	₹ 2,24,985.01
6	बालगुरु विकास ट्रस्ट गांधीधाम के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीद और रामकृष्ण शारदा सेवाश्रम अंजार 2 के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर यूपीएस और एचडी प्रोजेक्टर की खरीद।	₹ 18,990.00
7	गलपादर कच्छ में गलपादर प्राथमिक शाला के लिए अलमारी, टेबल, कुर्सियां और जेरोक्स मशीन की खरीद और गांधीधाम में अंतरजाल स्कूल के लिए टेबल, कुर्सियां और अलमारियों की खरीद।	₹ 2,49,995.98
8	बालगुरु विकास ट्रस्ट गांधीधाम के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीद और रामकृष्ण शारदा सेवाश्रम अंजार 1 के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर यूपीएस और एचडी प्रोजेक्टर की खरीद।	₹ 1,11,997.00

9	Procurement of Projector, Laptop & UPS for Development of School premises of Shri Guru Nanak Education Society, Gandhidham - UPS	₹ 12,870.02
10	Procurement of Water cooler for the "CSR activities to person with disabilities, Madhapar, Bhuj (Shri Navchetan Andhjan Mandal.) & CSR request for providing Various Facilities at School, Antarjal - Gandhidham	₹ 1,05,776.00
11	Supply, Installation, Testing and Commissioning of 02 nos. of 20 meters high masts under CSR at Vadinar Village including Civil work, through GeM.	₹ 10,90,000.00
12	Procurement of BLDC Fans and LED Tube Lights for Shree Vadinar Prathmik Shala and Shree Vadinar Vadi School, through GeM	₹ 76,867.00
13	Procurement of Plate, Bowl, Glass & Spoon for mid-day meal of vadinar prathmik shala, vadinar vodi shala at OOT Vadinar- CSR work 2024-25	₹ 1,79,999.00
14	Admin. Expenses of CSR Cell	16,06,697.75
	Total CSR Expenditure	8,92,51,225.95

CSR fund Status as on 31/03/2025

Particulars	Amount (Rs. In lakhs)
Opening Balance as on 01/04/2024	3327.85
Add: Contribution during the year	2641.00
Less: CSR Expenditure during the year	892.51
Add: Refund of unutilized CSR Grant for providing infrastructure to the Primary School at Gandhinagar, Ladies Environment Action Foundation (LEAF), Gandhinagar.	2.78
Closing balance as on 31/03/2025	5079.12

12. TOWNSHIP REVENUE

As per provisions of clause 5 (ii)/5(ix) and 10 of the Head Lease executed between the President of India and the SRC Ltd. on 28/11/1955, the income for Transfer fee and mortgage fee of plots allotted by SRC Ltd., is booked under revenue of DPA. As regards Transfer Fee the Ministry of Shipping vide letter No. PD-13011/1/2014-PD-IV (Pt.1) dated 18-07-2018, which is self-explanatory, has already confirmed that in light of the agreement entered into between DPA and the lessee the transfer fee can be retained by DPA. On similar analogy Mortgage fees have also been retained by DPA. Also, the un-ambiguous provisions of Section 21(b) & 21(d) of the MPA Act, 2021 and the express provisions in the lease agreements also entitle the port to retain all rates, fees, rents & other sums of money.

9	श्री गुरु नानक एजुकेशन सोसाइटी, गांधीधाम के स्कूल परिसर के विकास के लिए प्रोजेक्टर, लैपटॉप और यूपीएस की खरीद - यूपीएस।	₹ 12,870.02
10	सीएसआर के तहत दिव्यांगजनों के लिए वाटर कूलर की खरीद, माधापर, भुज (श्री नवचेतन अंधजन मंडल) और स्कूल, अंतरजाल - गांधीधाम में विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीएसआर अनुरोध	₹ 1,05,776.00
11	जीईएम के माध्यम से सिविल कार्य सहित वाडीनार गांव में सीएसआर के तहत 20 मीटर ऊंचे 02 मास्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और आरंभ।	₹ 10,90,000.00
12	जीईएम के माध्यम से श्री वाडीनार प्राथमिक शाला और श्री वाडीनार वाडी स्कूल के लिए बीएलडीसी पंखे और एलईडी ट्यूब लाइट की खरीद।	₹ 76,867.00
13	अपतट तेल टर्मिनल, वाडीनार में वाडीनार प्राथमिक शाला, वाडीनार वोडी शाला के मध्याह्न भोजन के लिए प्लेट, कटोरी, गिलास और चम्मच की खरीद- सीएसआर कार्य 2024-25	₹ 1,79,999.00
14	सीएसआर प्रकोष्ठ का प्रशासनिक व्यय	16,06,697.75
	कुल सीएसआर व्यय	8,92,51,225.95

31/03/2025 तक निगमित सामाजिक दायित्व निधि की स्थिति

विवरण	राशि (लाख रुपये में)
01/04/2024 को अथशेष	3327.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंशदान	2641.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय	892.51
जोड़ें: लेडीज एनवायरनमेंट एक्शन फाउंडेशन (एलईएफ), गांधीनगर में प्राथमिक विद्यालय को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए अप्रयुक्त सीएसआर अनुदान की वापसी।	2.78
31/03/2025 तक इतिशेष	5079.12

12. नगरक्षेत्र संबंधी राजस्व

भारत के राष्ट्रपति और एसआरसी लिमिटेड के बीच दिनांक 28/11/1955 को निष्पादित मुख्य पट्टे के खंड 5 (ii)/5(ix) तथा 10 के प्रावधानों के अनुसार एसआरसी लिमिटेड द्वारा आबंटित भूखंडों के अंतरण और बंधक शुल्क संबंधी आय को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के राजस्व के तहत लेखांकित किया जाता है। अंतरण शुल्क के बारे में पोत परिवहन मंत्रालय के स्वतः स्पष्ट पत्र पीडी-13011/1/2014-पीडी-IV (पार्ट.1) दिनांक 18-07-2018, द्वारा पहले ही पुष्टि की जा चुकी है कि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण और पट्टाधारक के बीच हुए करार के मामले में अंतरण शुल्क दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा रखा जा सकता है। इसी के समान अनुरूपता पर बंधक शुल्क भी दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा रखा गया है। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 की धारा 21(ख) और 21(घ) के सुस्पष्ट प्रावधानों और पट्टा करारों के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार पत्तन को यह अधिकार होगा कि सभी दरें, शुल्क, किराए और सभी राशियाँ पत्तन रख सकता है।

13. BOT PROJECTS UNDERTAKEN

Type	Name of Party	Concessi on Period	Date of Concessio n Agreement	MGT MMTP A	Status
Berth No.13	RAS Infraport Pvt. Ltd	30 year	15-03-2011	0.375	License agreement terminated and presently Terminal is operated by DPA
Berth No. 15	JRE Infraport Pvt.	30 year	27-09-2011	0.375	Arbitration is going on and is on the final stages. All the disputes are pending adjudication. Presently Terminal is operated by DPA.
Barge Jetty	Iffco Kisan Bazar & Logistics Ltd.	30 years	11-08-2011	1.00	Commercial operation started on 16/11/2013
Bulk Terminal	Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd	30 years	19-12-2012	7.00	Commercial operation started on 10/02/2015
Container Terminal	Kandla International Container Terminal	30 years	12-09-2016	1.8 (Lakh TEUS)	Operation started from Feb, 2017.
Marine Liquid Terminal	Coviva Energy Terminals Limited	30 years	16-08-2019	For SPM 10.15 & For Product Jetty 7	Construction not yet started at project site. CETL requested for Extension up to Aug-2026. The same has been approved by the DPA.
Liquid cargo & ship Bunkerin g Terminal	Kandla Oil Terminal Pvt. Ltd.	30 years	16.11.2013 11.12.2020 (date of award of concession)	0.85 On 1 st year of operation and from 5 th year 2.37	Concessionaire requested for Extension of COD up to 04/09/2026. DPA Board has approved the same on certain terms and conditions. The physical progress achieved is 40.26 % as on April 2025.

13. प्रारंभ की गई बीओटी परियोजनाएँ

प्रकार	पक्षकार का नाम	छूट अवधि	छूट करार की तारीख	एमजीटी एमएमटीपीए	स्थिति
घाट संख्या 13	रॉस इन्फ्रा पोर्ट प्रा.लि.	30 वर्ष	15-03-2011	0.375	अनुज्ञप्ति करार समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में टर्मिनल दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित है।
घाट संख्या 15	जेआरई इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	30 वर्ष	27-09-2011	0.375	मध्यस्थता चालू है और अंतिम चरण में है। सभी विवाद न्यायनिर्णय के लिए लंबित हैं। वर्तमान में टर्मिनल का प्रचालन दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।
बजरा जेटी	इफको किसान बाजार एंड लॉजिस्टिक्स लि.	30 वर्ष	11-08-2011	1.00	16/11/2013 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ।
बल्क टर्मिनल	अदाणी कंडला बल्क टर्मिनल प्राइवेट लि.	30 वर्ष	19-12-2012	7.00	10/02/2015 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ।
कंटेनर टर्मिनल	कंडला अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल	30 वर्ष	12-09-2016	1.8 (लाख टीईयू)	परिचालन फरवरी, 2017 से शुरू हुआ।
समुद्री तरल टर्मिनल	कोविवा एनर्जी टर्मिनल लि.	30 वर्ष	16-08-2019	एसपीएम के लिए 10.15 और उत्पाद जेटी के लिए 7	परियोजना स्थल पर अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। सीईटीएल ने अगस्त-2026 तक विस्तार के लिए अनुरोध किया है। इसे डीपीए द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
तरल कार्गो और जहाज बंकरिंग टर्मिनल	कंडला ऑयल टर्मिनल प्रा. लि.	30 वर्ष	16.11.2013 11.12.2020 (छूट प्रदान करने की तिथि)	परिचालन के प्रथम वर्ष से 0.85 और 5वें वर्ष से 2.37	छूट प्राप्त कर्ता ने 04/09/2026 तक सीओडी के विस्तार हेतु अनुरोध किया। डीपीए बोर्ड ने कुछ नियमों और शर्तों के तहत इसे अनुमोदन प्रदान कर दिया है। अप्रैल 2025 तक 40.26% भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है।

Development of Container Terminal at Tuna Tekra, Deendayal Port on BOT basis under PPP mode	M/s. Hindusthan Gateway Container Terminal Kandla Private Limited (M/s. HGCTKPL)	30 years	25.08.2023 14.03.2024 (date of award of concession)	031 Mn TEU per annum 1 st year of operation and from 8 th year 1.53 Mn TEU per annum	Award of Concession was given to M/s HGCTKPL on 14/03/2024. Target commercial date of Operation is 13/03/2027. The physical progress achieved is 10% as on April 2025.
---	--	----------	---	---	--

14. Capital Contracts awarded but not provided for in the accounts as at 31-03-2025 are as under:

Description	Amount (Rs.in crores)
Capital Works	Rs.200.35

15. DPA incorporated Section 8 Company as “Bharat Hydrogen Research & Innovation Council” in 2024-25 with 100% equity owned by DPA.

16. Provident Fund Account and Trust

As DPA Provident Fund is governed by PF Act, 1925, PF investments and fund forms part of the balance sheet of DPA and no separate Trust is formed as per opinion of Tax Consultant.

17. FUNDING STATUS OF SUPERANNUATION & GRATUITY

[I] FUNDING STATUS OF KANDLA PORT EMPLOYEES GRATUITY FUND

Actuarial Valuation by LIC of Regular Employees as on March 2025 Rs. In crore	Corpus Fund as 31-03-2025 Rs. in Crore	Funded Status as on 31-03-2025
155.81	153.72	In context to that, a sum of Rs. 12,64,84,774/- has been provided / transferred to LIC on 04.04.2025.

[II] FUNDING STATUS OF KANDLA PORT TRUST SUPERANNUATION SCHEME

Actuarial Valuation by LIC of Regular Employees as on March 2025	Actuarial Valuation of Pensioners as on March 2025	Total Actuarial Valuation	Corpus Fund as 31-03-2025	Funded Status as on 31-03-2025
1122.5	1269.68	2392.18	2392.18	Fully Funded

पीपीपी मोड के तहत बीओटी आधार पर दीनदयाल पोर्ट के तूणा टेकरा में कंटेनर टर्मिनल का विकास	मैसर्स हिंदुस्तान गेटवे कंटेनर टर्मिनल कंडला प्रा. लि.(मैसर्स एचजीसीटीकेपीएल)	30 वर्ष	25.08.2023 14.03.2024 (छूट प्रदान करने की तिथि)	परिचालन के पहले वर्ष में 031 मिलियन टीईयू प्रति वर्ष और आठवें वर्ष से 1.53 मिलियन टीईयू प्रति वर्ष	14/03/2024 को मैसर्स एचजीसीटीकेपीएल को छूट प्रदान किया गया। परिचालन की वाणिज्यिक तिथि 13/03/2027 को लक्ष्य किया गया है। अप्रैल 2025 तक इसकी 10% भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है।
---	--	---------	--	--	--

14. ऐसे पूंजीगत अनुबंध जो प्रदान किए गए लेकिन 31-03-2025 तक इनकी खातों में प्रविष्टि नहीं की गई, निम्नानुसार हैं:

विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
पूंजीगत कार्य	रु.200.35

15. दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण ने 2024-25 में सेक्शन 8 कंपनी को “भारत हाइड्रोजन रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल” के रूप में शामिल किया, जिसमें 100% इक्विटी डीपीए के स्वामित्व में होगी।

16. भविष्य निधि खाता और न्यास

चूंकि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण भविष्य निधि, पीएफ अधिनियम, 1925 द्वारा शासित है, पीएफ निवेश और निधि, डीपीए के तुलन पत्र का भाग होते हैं तथा कर परामर्शदाता के राय के अनुसार कोई पृथक ट्रस्ट नहीं बनाया जाता है।

17. अधिवर्षिता और उपदान की वित्त पोषण स्थिति

[I] कंडला पत्तन कर्मचारी उपदान निधि के वित्तपोषण की स्थिति

मार्च 2025 तक नियमित कर्मचारियों का बीमांकिक मूल्यांकन (करोड़ रु. में)	31-03-2025 तक निधि (करोड़ रु. में)	31-03-2025 को वित्तपोषित स्थिति
155.81	153.72	इसके संदर्भ में, दि. 04.04.2025 को एलआईसी में रु.12,64,84,774/- की धनराशि प्रदान/अंतरण कर दिया गया है।

[III] कंडला पत्तन न्यास अधिवर्षिता योजना की वित्तपोषण की स्थिति

मार्च 2025 तक नियमित कर्मचारियों का एलआईसी द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन	मार्च 2025 तक पेंशनभोगियों का बीमांकिक मूल्यांकन	कुल बीमांकिक मूल्यांकन	31-03-2025 तक निधि	31-03-2025 को वित्तपोषित स्थिति
1122.5	1269.68	2392.18	2392.18	पूरी तरह से वित्त पोषित

During the current year, an additional provision of Rs. 96.57 crore has been made in respect of employee benefit cost over & above a provision of Rs. 42.19 crore made in previous years based on the report on the Actuaries & Consultants.

The details are as under:

Annexure 1: Funded status of the plan		
Particulars	31-Mar-2025 (12 months)	31-Mar-2024 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Present value of unfunded obligations	-	-
Present value of funded obligations	3,45,084	3,27,007
Fair value of plan assets	(3,27,976)	(3,19,556)
Unrecognized Past Service Cost	-	
Net Liability (Asset)	17,108	7,451

Annexure 2: Profit and loss account for current period		
Particulars	31-Mar-2025 (12 months)	31-Mar-2024 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Current service cost	1,585	1,721
Past service cost	-	
Interest on obligation	23,708	23,520
Expected return on plan assets	(23,168)	(23,277)
Net actuarial loss/(gain)	7,532	2,255
Loss/(gain) on curtailments and settlement	-	-
Total included in 'Employee Benefit Expense'	9,657	4,219
Total Charge to P&L	9,657	4,219

बीमांककों और परामर्शदाताओं की रिपोर्ट के आधार पर चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी लाभ लागत के संबंध में रु. 96.57 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के रु. 42.19 करोड़ के प्रावधान से अधिक है।

इसका विवरण इस प्रकार है:

अनुलग्नक 1: योजना की वित्तपोषित स्थिति		
विवरण	31-मार्च-2025 (12 महीने)	31-मार्च-2024 (12 महीने)
	रुपये (लाखों में)	रुपये (लाखों में)
अवित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	-	-
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	3,45,084	3,27,007
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(3,27,976)	(3,19,556)
अज्ञात पूर्व सेवा लागत	-	
शुद्ध देयता (परिसंपत्ति)	17,108	7,451

अनुलग्नक 2: चालू अवधि के लिए लाभ और हानि खाता		
विवरण	31-मार्च-2025 (12 महीने)	31-मार्च-2024 (12 महीने)
	रु. (लाखों में)	रु. (लाखों में)
वर्तमान सेवा लागत	1,585	1,721
पूर्व सेवा लागत	-	
दायित्व पर ब्याज	23,708	23,520
योजनागत परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(23,168)	(23,277)
शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ)	7,532	2,255
कटौती और निपटान पर हानि/(लाभ)	-	-
'कर्मचारी लाभ व्यय' में शामिल कुल योग	9,657	4,219
लाभ और हानि पर कुल प्रभार	9,657	4,219

Annexure 3: Reconciliation of defined benefit obligation		
Particulars	31-Mar-2025 (12 months)	31-Mar-2024 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Opening Defined Benefit Obligation	3,27,007	3,13,598
Current service cost	1,585	1,721
Interest cost	23,708	23,520
Actuarial loss (gain)	11,617	4,861
Past service cost	-	-
Loss (gain) on curtailments	-	-
Liabilities extinguished on settlements	-	-
Liabilities assumed in an amalgamation in the nature of purchase	-	-
Exchange differences on foreign plans	-	-
Benefits paid	(18,833)	(16,693)
Prior year charge	-	-
Closing Defined Benefit Obligation	3,45,084	3,27,007

Annexure 4: Reconciliation of plan assets		
Particulars	31-Mar-2025 (12 months)	31-Mar-2024 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Opening value of plan assets	3,19,556	3,10,366
Expenses deducted from the fund	-	-
Expected return	23,168	23,277
Actuarial gain/(loss)	4,085	2,606
Assets distributed on settlements	-	-
Contributions by employer	-	-
Assets acquired in an amalgamation in the nature of purchase	-	-
Exchange differences on foreign plans	-	-
Benefits paid	(18,833)	(16,693)
Provision for Excess of Fund	-	-
Closing value of plan assets	3,27,976	3,19,556

अनुलग्नक 3: परिभाषित हितलाभ देयता का समाशोधन		
विवरण	31-मार्च-2025 (12 महीने)	31-मार्च-2024 (12 महीने)
	रु. (लाखों में)	रु. (लाखों में)
घोषित हितलाभ देयता अथशेष	3,27,007	3,13,598
चालू सेवा लागत	1,585	1,721
ब्याज लागत	23,708	23,520
बीमांकिक हानि (लाभ)	11,617	4,861
विगत सेवा लागत	-	-
कटौती पर हानि/(लाभ)	-	-
निपटान पर समाप्त देयताएँ	-	-
क्रय के स्वरूप में ग्रहण की गई देयताओं का एकीकरण	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय भेद	-	-
लाभ का भुगतान	(18,833)	(16,693)
पूर्व वर्ष शुल्क	-	-
घोषित हितलाभ देयता इतिशेष	3,45,084	3,27,007

अनुलग्नक 4: योजनागत परिसंपत्तियों का समाशोधन		
विवरण	31-मार्च-2025 (12 महीने)	31-मार्च-2024 (12 महीने)
	रु. (लाखों में)	रु. (लाखों में)
योजनागत परिसंपत्तियों का प्रारंभिक मूल्य	3,19,556	3,10,366
निधि से घटाया गया व्यय	-	-
अपेक्षित प्रतिफल	23,168	23,277
बीमांकिक लाभ/(हानि)	4,085	2,606
निपटान पर वितरित परिसंपत्तियाँ	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	-
क्रय के स्वरूप में ग्रहण की गई परिसंपत्तियों का एकीकरण	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय भेद	-	-
भुगतान किया गया हितलाभ	(18,833)	(16,693)
निधि की अधिकता के लिए प्रावधान	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों का इतिशेष मूल्य	3,27,976	3,19,556

Annexure 5: Reconciliation of net defined benefit liability		
Particulars	31-Mar-2025 (12 months)	31-Mar-2024 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Net opening provision in books of accounts	7,451	3,232
Employee Benefit Expense as per Annexure 2	9,657	4,219
	17,108	7,451
Benefits paid by the Company	-	-
Contributions to plan assets	-	-
Closing provision in books of accounts	17,108	7,451

Annexure 6: Composition of the plan assets		
Particulars	31-Mar-2025 (12 months)	31-Mar-2024 (12 months)
	%	%
Government of India Securities	0%	0%
State Government Securities	0%	0%
High quality corporate bonds	0%	0%
Equity shares of listed companies	0%	0%
Property	0%	0%
Special Deposit Scheme	0%	0%
Policy of insurance	100%	100%
Bank Balance	0%	0%
Other Investments	0%	0%
Total	100%	100%

Annexure 7: Bifurcation of liability as per schedule III		
Particulars	31-Mar-2025 (12 months)	31-Mar-2024 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Current Liability*	17,108	7,451
Non-Current Liability	-	-
Net Liability	17,108	7,451

अनुलग्नक 5: शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का समाशोधन		
विवरण	31-मार्च-2025 (12 महीने)	31-मार्च-2024 (12 महीने)
	रु. (लाखों में)	रु. (लाखों में)
लेखा बहियों में शुद्ध अथशेष	7,451	3,232
अनुलग्नक 2 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ व्यय	9,657	4,219
	17,108	7,451
कंपनी द्वारा संदत्त लाभ	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों में अंशदान	-	-
लेखा बहियों में इतिशेष	17,108	7,451

अनुलग्नक 6: योजनागत परिसंपत्तियों की संरचना		
विवरण	31-मार्च-2025 (12 महीने)	31-मार्च-2024 (12 महीने)
	%	%
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	0%	0%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	0%	0%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	0%	0%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0%	0%
संपत्ति	0%	0%
विशेष जमा योजना	0%	0%
बीमा पॉलिसी	100%	100%
बैंक जमा शेष	0%	0%
अन्य निवेश	0%	0%
कुल	100%	100%

अनुलग्नक 7: अनुसूची III के अनुसार देयता का द्विभाजन		
विवरण	31-मार्च-2025 (12 महीने)	31-मार्च-2024 (12 महीने)
	रु. (लाखों में)	रु. (लाखों में)
वर्तमान देयता*	17,108	7,451
गैर-वर्तमान देयता	-	-
शुद्ध देयता	17,108	7,451

Annexure 8: Table of experience adjustments		
Particulars	31-Mar-2025 (12 months)	31-Mar-2024 (12 months)
	Rs. (in lakhs)	Rs. (in lakhs)
Defined Benefit Obligation	3,45,084	3,27,007
Plan Assets	3,27,976	3,19,556
Surplus/(Deficit)	(17,108)	(7,451)
Experience adjustments on plan liabilities	22,363	(4,476)
Actuarial loss/(gain) due to change in financial assumptions	(10,746)	9,337
Actuarial loss/ (gain) due to change in demographic assumption	-	-
Experience adjustments on plan assets	(4,085)	(2,606)
Net actuarial loss/ (gain) for the year	7,532	2,255

Annexure 9: Principle actuarial assumptions		
Particulars	31-Mar-2025 (12 months)	31-Mar-2024 (12 months)
Discount Rate	7.25% p.a.	7.25% p.a.
Salary Escalation Rate	6.00% p.a.	7.00% p.a.
Pension Escalation Rate	3.50% p.a.	3.75% p.a.
Expected Rate of Return	7.25% p.a.	7.25% p.a.
Withdrawal Rates	0% at all ages	0% at all ages

Table 8: Bifurcation of Plan Assets	
Particulars	Value of asset (Crore Rs.)
Balance with LIC as on 31-Mar-2025	2,392.18
Math. Reserve of life annuity component	520.60
Math. Reserve of ROC component	365.04
Total	3,277.82

अनुलग्नक 8: अनुभव समायोजन तालिका		
विवरण	31-मार्च-2025 (12 महीने)	31-मार्च-2024 (12 महीने)
	रु. (लाखों में)	रु. (लाखों में)
परिभाषित हितलाभ देयता	3,45,084	3,27,007
योजनागत परिसंपत्तियाँ	3,27,976	3,19,556
अधिशेष/(घाटा)	(17,108)	(7,451)
योजनागत देयताओं पर अनुभव समायोजन	22,363	(4,476)
वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/(लाभ)	(10,746)	9,337
जनसांख्यिकीय पूर्वानुमान में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/(लाभ)	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	(4,085)	(2,606)
वर्ष के लिए शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ)	7,532	2,255

अनुलग्नक 9: प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान		
विवरण	31-मार्च-2025 (12 महीने)	31-मार्च-2024 (12 महीने)
छूट दर	7.25% प्रतिवर्ष	7.25% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि दर	6.00% प्रतिवर्ष	7.00% प्रतिवर्ष
पेंशन वृद्धि दर	3.50% प्रतिवर्ष	3.75% प्रतिवर्ष
प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	7.25% प्रतिवर्ष	7.25% प्रतिवर्ष
निकासी दर	0% सभी स्तर पर	0% सभी स्तर पर

तालिका 8: योजनागत परिसंपत्तियों का द्विभाजन	
विवरण	परिसंपत्ति का मूल्य (करोड़ रु. में)
31-मार्च-2025 तक एलआईसी के पास शेष राशि	2,392.18
जीवन वार्षिकी घटक का गणितिक आरक्षित	520.60
आरओसी घटक का गणितिक आरक्षित	365.04
कुल	3,277.82

18. INTERNAL AUDIT

The Ministry of Shipping has directed that the internal audit work is required to be entrusted to independent chartered accountancy firm. Accordingly, in compliance of the same the work of internal audit of DPA has been awarded to M/s JLN US & Co., Chartered Accountants, Vadodara, who carried out the same and action on the reports and compliances are being perused with the respective Departments of DPA.

19. STATISTICAL INFORMATION.

The details of the existing staff strength and cost there as is as under: -

A. Employees

Category	Strength					
	2024-25					2023-24
	Administration	Skilled	Semi-Skilled	Unskilled	TOTAL	
Class – I	71	0	0	0	71	73
Class – II	44	0	0	0	44	48
Class – III	220	445	44	2	752	744
Class –IV	0	34	179	132	581	381
Shore Workers	0	0	0	41	0	46
Dock Workers	0	0	0	236	0	286
Total	335	479	223	411	1448	1578
Employee Cost (Rs. In lakhs)	23050.77					23874.95

B. Pensioners & Family Pensioners

Category	Numbers	
	31-03-2025	31-03-2024
Pensioners & Family Pensioners	4492	4469

14. MISCELLANEOUS

(a) The figures of previous year have been re-grouped and re-classified, where ever necessary to confirm this year classification.

(b) M/s Ashok Chajjed & Associates, Ahmedabad have been appointed as Tax Auditor for the year 2024-25 to carry out tax audit under Section 44AB of the Income Tax Act, 1961

(c) The audited accounts of Kandla Port Superannuation Scheme (KPTSS) Trust, Kandla Port Employees Gratuity Fund are annexed.

18. आंतरिक लेखा परीक्षा

पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्देश दिया गया कि आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म को दिए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, उसके अनुपालन में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की आंतरिक लेखा परीक्षा का उक्त कार्य मैसर्स जेएलएन यूएस एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, वडोदरा को दिया गया है जिन्होंने लेखापरीक्षा की और उनकी रिपोर्ट तथा अनुपालन पर संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी की जा रही है।

19. सांख्यिकीय सूचना

वर्तमान कार्मिक क्षमता और लागत के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

क. कर्मचारी

प्रवर्ग	क्षमता					
	2024-25					2023-24
	प्रशासनिक	कुशल	अर्ध-कुशल	अकुशल	कुल	
श्रेणी - I	71	0	0	0	71	73
श्रेणी - II	44	0	0	0	44	48
श्रेणी - III	220	445	44	2	752	744
श्रेणी - IV	0	34	179	132	581	381
तटीय कामगार	0	0	0	41	0	46
गोदी कामगार	0	0	0	236	0	286
कुल	335	479	223	411	1448	1578
कर्मचारी लागत (रु.लाख में)	23050.77					23874.95

ख. पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी

प्रवर्ग	संख्या	
	31-03-2025	31-03-2024
पेंशनभोगी एवं परिवार पेंशनभोगी	4492	4469

14. विविध

- (क) जहाँ कहीं इस वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि किया जाना अनिवार्य है वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित और पुनः वर्गीकृत किया गया है।
- (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एबी के अधीन वर्ष 2024-25 के लिए कर लेखा परीक्षा करने हेतु मैसर्स अशोक छाजेड़ एंड एसोसिएट्स अहमदाबाद को कर लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।
- (ग) कंडला पत्तन अधिवर्षिता योजना (केपीटीएसएस), कंडला पत्तन कर्मचारी उपदान निधि के लेखा परीक्षित लेखे इसके साथ संलग्न हैं।

KANDLA PORT EMPLOYEES GRATUITY FUND
BALANCE SHEET AS AT 31st March 2025


F.Y 2023-24	LIABILITIES	F.Y 2024-25	F.Y 2023-24	ASSETS	F.Y 2024-25
1,72,79,51,372	GRATUITY FUND (As per Annexure-1)	1,61,20,88,308	1,72,79,51,372	INVESTMENTS IN LIC (As per Annexure-2)	1,53,72,43,309
				BANK BALANCE IOB Bank A/c no. (029801000015550) SBI Bank A/c no. (36598494955)	26,640 7,48,18,359
1,72,79,51,372	TOTAL	1,61,20,88,308	1,72,79,51,372	TOTAL	1,61,20,88,308

As per our report of even dated

For Ashok Chhajed & Associates
 Chartered Accountants
 FRN 10064W



For Kandla Port Employee Gratuity Scheme



Place : Ahmedabad
 Date: 21/05/2025

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान निधि
31 मार्च 2025 को तुलनपत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24	देयताएं	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	परिसंम्पत्तियाँ	वित्तीय वर्ष 2024-25
1,72,79,51,372	उपदान निधि (अनुलग्नक - 1 के अनुसार)	1,61,20,88308	1,72,79,51,372	एलआईसी में निवेश (अनुलग्नक-2 के अनुसार) बैंक में जमा शेष आईओबी बैंक खाता सं.(029801000015550) एसबीआई बैंक खाता सं.(36598494955)	1,53,72,43,309 26,640 7,48,18,359
1,72,79,51,372	कुल	1,61,20,88308	1,72,79,51,372	कुल	1,61,20,88,308

अपनी दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अशोक छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 10064डब्ल्यू

दीपा बाहरु
एम सं. 122390
साझेदार
यूडीआईन: 25122390बीएमएचटीओजेड1143
स्थान: अहमदाबाद
दिनांक: 21/05/2025

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान योजना हेतु

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं न्यासी


स्थान: गांधीधाम
दिनांक: 21/05/2025

**KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES GRATUITY SCHEME
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2024-25**

F.Y 2023-24	RECEIPTS	F.Y 2024-25	F.Y 2023-24	PAYMENTS	F.Y 2024-25
	OPENING BALANCE		20,31,60,668	GRATUITY PAID TO PENSIONER	23,32,13,360
5,40,55,226	With State Bank of India	6,50,29,872			
25,399	With Indian Overseas Bank	26,010		RECOVERIES FROM GRATUITY	1,42,277
1,74,65,80,085	Investment with LIC	1,66,28,95,490		Paid to DPA	-
	CASH IN BANK			Paid to KPTSS	-
	INTEREST EARNED			Maturity value of Policy No 710002134 redeposited with LIC in new policy version 710003763	-
12,97,98,296	From LIC	12,18,82,629			
706	From IOB	724			
15,03,902	From SBI	18,19,266			
	other receipts	76,303			
	RECEIPTS FROM LIC	24,83,49,082	21,34,82,893	PAYMENTS TO LIC	44,91,673
21,34,82,893	Gratuity Claims		42,81,840	Premium and charges	-
40,42,790	Death Claim Received		-	Fund Charges debited from Policy fund	-
-	LIC Premium credited to corpus		-	Initial Contribution to LIC	-
			-	Fund Mgt & Other Charges	-
					60,00,000
7,91,590	Pro-Rata Gratuity Receipts from Other Ports	20,00,000	14,04,021	Pro-rata Gratuity remitted to Other Ports	-
			93	Pro-rata Gratuity refunded to DPA	2,25,350
				Bank Charges	24,76,11,110
				Withdrawal from lic	
				CLOSING BALANCE	7,48,18,359
			6,50,29,872	With State Bank of India	26,640
			26,011	With Indian Overseas Bank	1,53,72,43,309
	Overpayment Of Gratuity remitted by KPTSS	16,92,702	1,66,28,95,490	INVESTMENT WITH LIC	2,10,37,72,078
	Recovery of overpayment on behalf of KPTSS		2,15,02,80,888	TOTAL	
	TOTAL	2,10,37,72,078			
2,15,02,80,888					

As per our report of even dated

For Ashok Chhajed & Associates
Chartered Accountants
FRN 10064W


DEEPA BAHROO
M No 122390
Partner
UDIN: 25122390BMHTOZ1143

Place : Ahmedabad
Date: 21/05/2025

For Kandla Port Employee Gratuity Scheme



FA & C.A.O.


pension section
Place: Kandla
Date: 21/05/2025

कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी उपदान योजना
वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

वित्तीय वर्ष 2023-24	प्राप्तियां	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	भुगतान	वित्तीय वर्ष 2024-25
	अधिशेष		20,31,60,668	पेंशनरों को भुगतान किया गया उपदान	23,32,13,360
5,40,55,226	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास	6,50,29,872			
25,399	इंडियन ओवरसीज बैंक के पास	26,010			
1,74,65,80,085	एलआईसी में निवेश	1,66,28,95,490		उपदान से वसूली	
	बैंक में नकद			- डीपीए को भुगतान	1,42,277
	अर्जित ब्याज			- केपीटीएसएस को भुगतान	-
12,97,98,296	एलआईसी से	12,18,82,629			
706	इंडियन ओवरसीज बैंक से	724		- पॉलिसी सं. 710002134 का परिपक्वता मूल्य नई पॉलिसी संस्करण 710003763 में एलआईसी के पास पुनः जमा किया	-
15,03,902	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से	18,19,266			
	अन्य प्राप्तियां	76,303			
	एलआईसी से प्राप्तियां	24,83,49,082		एलआईसी को भुगतान	
21,34,82,893	उपदान के दावे		21,34,82,893		
40,42,790	प्राप्त मृत्यु दावे		42,81,840	प्रीमियम और प्रभार	44,91,673
	- कॉर्पस में जमा एलआईसी प्रीमियम			- पॉलिसी निधि से निधि प्रभार डेबिट किया गया	-
				- एलआईसी में प्रारंभिक अंशदान	-
				- निधि प्रबंधन और अन्य प्रभार	-
7,91,590	अन्य पतनों से प्राप्त यथानुपात उपदान प्राप्तियां	20,00,000	14,04,021	अन्य पतनों को यथानुपात उपदान प्रेषित किया गया	60,00,000
				- यथानुपातिक उपदान डीपीए को वापस कर दी गई	-
			93	बैंक प्रभार	2,25,350
				- एलआईसी से निकासी	24,76,11,110
				इतिशेष	
	- केपीटीएसएस द्वारा प्रेषित उपदान का अतिरिक्त भुगतान	-	6,50,29,872	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7,48,18,359
	- केपीटीएसएस की ओर से अधिक भुगतान की वसूली	16,92,702	26,011	इंडियन ओवरसीज बैंक	26,640
			1,66,28,95,490	एलआईसी में निवेश	1,53,72,43,309
2,15,02,80,888	कुल	2,10,37,72,078	2,15,02,80,888	कुल	2,10,37,72,078

अपनी दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अशोक छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 10064डब्ल्यू

दीपा बाहरु
एम सं. 122390
साझेदार
यूडीआईन: 25122390बीएमएचटीओजेड1143
स्थान: अहमदाबाद
दिनांक: 21/05/2025

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान योजना हेतु

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं न्यासी

स्थान: गांधीधाम
दिनांक: 21/05/2025

**KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES GRATUITY SCHEME
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR 2024-25**

F.Y 2023-24	EXPENDITURE	F.Y 2024-25	F.Y 2023-24	INCOME	Amount	F.Y 2024-25
20,31,60,668	TO PAYMENT OF GRATUITY	23,93,55,637	13,13,29,411	BY INTEREST EARNED	-	12,37,82,617
				LIC	12,18,82,627	
42,81,840	TO PREMIUM PAID TO LIC	44,91,672		JOB ON SAVING BANK A/C	724	
				SBI ON SAVING BANK A/C	18,19,266	
14,04,021	TO PRO-RATA PAYMENT	-		LIC RECEIPTS REIMBURSEMENT	-	24,83,49,082
-	TO PRO-RATA REFUNDED TO DPA	-		BY OTHER RECEIPTS		76,302
93	TO BANK CHARGES	2,25,350	7,91,590	PRO RATA RECEIPTS	-	20,00,000
-	TO FUND CHARGES	-	40,42,790	DEATH CLAIM RECEIVED FROM LIC	-	16,92,702
				EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME	-	-
-	Excess of Income over Expenditure carried over to Gratuity	13,17,48,044	7,26,82,831			
20,88,46,622	TOTAL	37,58,20,703	20,88,46,622	TOTAL		37,58,20,703

As per our report of even dated

For Ashok Chhajed & Associates
Chartered Accountants
FRN 10064W

DEEPA BAHROO
M No 122390
Partner
UDIN: 25122390BMHTOZ1143

Place : Ahmedabad
Date: 21/05/2025

For Kandla Port Employee Gratuity Scheme

FA & C.O.C. TRUSTEE



कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी उपदान योजना

वित्त वर्ष 2024-25 हेतु आय एवं व्यय लेखा

वित्तीय वर्ष 2023-24	व्यय	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	आय	राशि	वित्तीय वर्ष 2024-25
20,31,60,668	उपदान का भुगतान	23,93,55,637	13,13,29,411	अर्जित ब्याज द्वारा	-	12,37,02,617
		-		एलआईसी	12,18,82,627.00	
42,81,840	एलआईसी को भुगतान किए गए प्रीमियम	44,91,672		आईओबी बचत बैंक खाते पर	724	
				एसबीआई बचत बैंक खाते पर	18,19,266	
14,04,021	यथानुपात भुगतान	-		एलआईसी प्राप्तियों की प्रतिपूर्ति	-	24,83,49,082
-	डापोए का यथानुपात वापसी	-				
93	बैंक प्रभार	2,25,350		अन्य प्राप्तियों के द्वारा		76,302
-	निधि प्रभार	-	7,91,590	यथानुपात प्राप्तियां	-	20,00,000
			40,42,790	एलआईसी से प्राप्त मृत्यु दावे	-	16,92,702
-	व्यय से अधिक आय का उपदान निधि खाते में अंतरण	13,17,48,044	7,26,82,831	आय से अधिक व्यय	-	-
20,88,46,622	कुल	37,58,20,703	20,88,46,622	कुल		37,58,20,703

अपनी दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अशोक छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 10064डब्ल्यू

दीपा बाहरु
एम सं. 122390
साझेदार
यूडीआईएन: 25122390बीएमएचटीओजेड1143
स्थान: अहमदाबाद
दिनांक: 21/05/2025

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान योजना हेतु

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं न्यासी

स्थान: गांधीधाम
दिनांक: 21/05/2025

KANDLA PORT EMPLOYEES GRATUITY FUND		
KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES GRATUITY FUND ACCOUNT		
AMOUNT 2023-24	PARTICULARS	AMOUNT 2024-25
1,80,06,34,203	Opening Balance	1,72,79,51,372
	Add:	
-	Excess of Income over Expenditure carried over to Gratuity Fund Account	13,17,48,047
1,80,06,34,203		1,85,96,99,419
	Less:	
7,26,82,831	Excess of Expenditure over Income carried over to Gratuity Fund Account	
-	Withdrawals of Fund	24,76,11,110
1,72,79,51,372	Closing balance carried over to Balance Sheet	1,61,20,88,309



कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान निधि
कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी उपदान निधि लेखा

राशि 2023-24	विवरण	राशि 2024-25
1,80,06,34,203	अथशेष	1,72,79,51,372
	जोड़ें:	
-	व्यय से अधिक आय को उपदान निधि खाते में डाला गया।	13,17,48,047
1,80,06,34,203		1,85,96,99,419
	घटाएं	
7,26,82,831	आय से अधिक व्यय को उपदान निधि खाते में डाला गया।	
-	निधि की निकासी	24,76,11,110
1,72,79,51,372	तुलनपत्र में इतिशेष को समाहित किया गया	1,61,20,88,309

KANDLA PORT EMPLOYEES GRATUITY FUND

Statement showing Investments - policy wise with LIC as on 31.03.2025					
POLICY NO.	OPENING BALANCE	ADD CREDIT	ADD INTEREST	LESS WITHDRAWAL	CLOSING BALANCE
707024	1,60,88,15,814.00	76,301.00	11,79,57,722.00	24,09,95,446.00	1,48,58,54,391.00
3763	4,33,71,673.00	1.00	33,09,996.00	6,15,664.00	4,60,66,006.00
3184	77,82,025.00	1.12	4,94,558.00	40,00,000.00	42,76,584.12
3617	29,25,977.00		1,20,351.00	20,00,000.00	10,46,328.00
TOTAL	1,66,28,95,489.00	76,303.12	12,18,82,627.00	24,76,11,110.00	1,53,72,43,309.12



कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान निधि

31.03.2025 तक एलआईसी के साथ निवेश का नीतिवार विवरण

<u>पॉलिसी संख्या</u>	<u>अथशेष</u>	<u>क्रेडिट जोड़ें</u>	<u>ब्याज जोड़ें</u>	<u>निकासी घटाएं</u>	<u>इतिशेष</u>
707024	1,60,88,15,814.00	76,301.00	11,79,57,722.00	24,09,95,446.00	1,48,58,54,391.00
3763	4,33,71,673.00	1.00	33,09,996.00	6,15,664.00	4,60,66,006.00
3184	77,82,025.00	1.12	4,94,558.00	40,00,000.00	42,76,584.12
3617	29,25,977.00		1,20,351.00	20,00,000.00	10,46,328.00
कुल	1,66,28,95,489.00	76303.12	12,18,82,627.00	24,76,11,110.00	1,53,72,43,309.12

KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES GRATUITY FUND (KPTEGF)

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS OF KPTEGF 31.03.2025

1. Basis of preparation of Financial statements of KPTEGF

Cash basis of accounting is followed in the preparation of financial statement of Gratuity Funds.

2. Contribution to KPTEGF

Based on actuarial valuation contribution to Gratuity funds is made.

3. Investment of KPTEGF

The Investment of KPTEGF comprises of

- (a) Investment Group Gratuity Scheme of LIC of India, Rajkot bearing nos. 710003763, 710003617, 710003184 and 707024.
- (b) Balance held with State Bank of India, Gandhidham & India Overseas Bank, Gandhidham to finance the day to day obligation.

4. FUNDING STATUS IF KANDALA PORT EMPLOYEES GRATUITY FUNDS AS ON 31-03-2025 (Rs.IN)

Actuarial Valuation of regular employees as on March 2025 (in Rs. Crores)	Corpus Funds as on 31.03.2025 (in Rs. Crores)	Status
155.81	153.72	In context to that a sum of Rs. 12,64,84,774/- has been provided / transferred to LIC on 04/04/2025.



कंडला पोर्ट न्यास कर्मचारी उपदान निधि (केपीटीईजीएफ)

केपीटीईजीएफ 31.03.2025 के लेखाओं के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. केपीटीईजीएफ के वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

उपदान निधि के वित्तीय विवरण की तैयारी में लेखांकन के नकद आधार का पालन किया गया है।

2. केपीटीईजीएफ में अंशदान

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान निधि में अंशदान किया गया है।

3. केपीटीईजीएफ का निवेश

केपीटीईजीएफ के निवेश में शामिल हैं

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम, राजकोट की निवेश समूह उपदान योजना, जिनका क्रमांक -710003763, 710003617, 710003184, 707024 है।

(ख) दिन-प्रतिदिन के देयताओं को पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, गांधीधाम और इंडियन ओवरसीज बैंक गांधीधाम के पास शेष जमा रखा गया है।

4

31-03-2025 तक कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान निधि की वित्तपोषण स्थिति (रुपए में)

मार्च 2025 तक नियमित कर्मचारियों का बीमांकिक मूल्यांकन (करोड़ रुपये में)	31.03.2025 तक कॉर्पस निधि (करोड़ रुपये में)	स्थिति
155.81	153.72	इसके संदर्भ में 04/04/2025 को 12,64,84,774/- रुपये की धनराशि एलआईसी को प्रदान/हस्तांतरित कर दी गई है।

KANDLA PORT SUPERANNUATION SCHEME
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2025

Amount 2023-24	LIABILITIES	Amount 2024-25	Amount 2023-24	ASSETS	Amount 2024-25	Amount 2024-25
34,24,77,68,743	SUPERANNUATION FUND	34,81,26,87,043	10,27,31,16,336	INVESTMENTS		
	(Annexure-1)			Annuities with LIC and SBI Life		
				(Annexure-2)		9,83,80,50,359
			22,93,30,42,756	LIC DEPOSITS		
				(Annexure-3)		23,92,18,40,832
				INCOME TAX		
			25,77,98,598	A.Y. 2017-18	25,77,98,598.00	
			24,88,51,940	A.Y. 2016-17	24,88,51,940.00	
			58,62,153	A.Y. 2015-16	58,62,153.00	
			18,31,92,154	A.Y. 2015-16	18,31,92,154.00	
			1,59,53,666	A.Y. 2014-15	1,59,53,666.00	
			11,89,77,496	A.Y. 2014-15	11,89,77,496.00	
			6,23,36,120	A.Y. 2013-14	6,23,36,120.00	
			5,34,81,430	A.Y. 2012-13	5,34,81,430.00	
			16,04,475	A.Y. 2014-15	16,04,475.00	
			3,78,27,520	A.Y. 2011-12	3,78,27,520.00	
			2,10,95,290	A.Y. 2010-11	2,10,95,290.00	
			1,42,26,920	A.Y. 2009-10	1,42,26,920.00	
			65,76,500	A.Y. 2008-09	65,76,500.00	
			56,25,780	A.Y. 2007-08	56,25,780.00	1,03,34,10,042
				CASH IN BANK		
			6,414	Balance with UBI		6,592
			81,93,195	Balance with SBI		1,93,79,217
34,24,77,68,743	TOTAL	34,81,26,87,043	34,24,77,68,743			34,81,26,87,043

As per our report of even dated

For Ashok Chhajed & Associates
Chartered Accountants
FRN 10064W



DEEPA BAHROO
M No 122390
Partner
UDIN: 25122390BMHTPA1022

Place : Ahmedabad
Date: 21/05/2025

For Kandla Port Superannuation Scheme

(Signature)



Place : Gandhinagar
Date: 21/05/2025

**कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना
31 मार्च 2025 को तुलनपत्र**

राशि 2023-24	देयताएं	राशि 2024-25	राशि 2023-24	परिसंपत्तियां	राशि 2024-25	राशि 2024-25
				निवेश		
34,24,77,68,743	अधिवर्षिता निधि	34,81,26,87,043	10,27,31,16,336	एलआईसी और एसबीआई लाइफ के साथ वार्षिकी		9,83,80,50,359
	(अनुलग्नक-1)			(अनुलग्नक-2)		
					-	
-			22,93,30,42,756	एलआईसी जमाराशि	-	23,92,18,40,832
				(अनुलग्नक-3)	-	
					-	
				आय कर:		
			25,77,98,598	निर्धारण वर्ष 2017-18	25,77,98,598.00	
			24,88,51,940	निर्धारण वर्ष 2016-17	24,88,51,940.00	
			58,62,153	निर्धारण वर्ष 2015-16	58,62,153.00	
			18,31,92,154	निर्धारण वर्ष 2015-16	18,31,92,154.00	
			1,59,53,666	निर्धारण वर्ष 2014-15	1,59,53,666.00	
			11,89,77,496	निर्धारण वर्ष 2014-15	11,89,77,496.00	
			6,23,36,120	निर्धारण वर्ष 2013-14	6,23,36,120.00	
			5,34,81,430	निर्धारण वर्ष 2012-13	5,34,81,430.00	
			16,04,475	निर्धारण वर्ष 2014-15	16,04,475.00	
			3,78,27,520	निर्धारण वर्ष 2011-12	3,78,27,520.00	
			2,10,95,290	निर्धारण वर्ष 2010-11	2,10,95,290.00	
			1,42,26,920	निर्धारण वर्ष 2009-10	1,42,26,920.00	
			65,76,500	निर्धारण वर्ष 2008-09	65,76,500.00	
			56,25,780	निर्धारण वर्ष 2007-08	56,25,780.00	1,03,34,10,042
				बैंक में रोकड़:-		
			6,414	यूबीआई के पास जमा शेष राशि		6,592
			81,93,195	एसबीआई के पास जमा शेष राशि		1,93,79,217
34,24,77,68,743	कुल	34,81,26,87,043	34,24,77,68,743			34,81,26,87,043

अपनी दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
अशोक छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन 10064डब्ल्यू

दीपा बाहरु
एम सं. 122390
साझेदार
यूडीआईएन 25122390बीएमएचटीओजेड1143

स्थान: अहमदाबाद
दिनांक: 21.05.2025

कंडला पोर्ट कर्मचारी उपदान योजना के लिए

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं न्यासी

स्थान: गांधीधाम
दिनांक: 21.05.2025

KANDLA PORT SUPERANNUATION SCHEME

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2024-25

2023-24	RECEIPTS	2024-25	2023-24	PAYMENTS	2024-25
	Opening Balance with Banks			Payment to pensioners	1,656,857,472
6,396	(a) With Union Bank of India, Gandhidham	6,414	1,686,003,875	Pro rata pension contribution paid to other ports	19,645,077
8,243,530	(b) With State Bank of India, Gandhidham	8,193,195	-		
21,820,676,868	Investment in Corpus Fund with LIC			Undrawn pension	94,586
	Policy no. 646362	13,894,822		Pension arrears	429,971,200
	Policy no. 646391	22,919,147,934			
				Amount paid to lic policy no. 646391	1,243,193,783
	Amount credit toward fund policy no. 646391	442,501,248			
	Interest Earned			Difference in commutation	45,229
177	(a) On Union Bank Gandhidham		127,167,708	Commutation paid to pensioner	167,947,756
264,221	(b) On State Bank of India, Gandhidham	178	852,500,000	Corpus pay out received from LIC	
1,705,157,440	(c) On Corpus Fund with LIC	629,563		TDS paid to Income Tax	9,508,533
	Policy no. 646362	1,124,940	159	Bank Charges	-
	Policy no. 646391	1,788,365,671			
				Refund of excess paid to LIC	53,608,227
585,277,878	Annuity Payout from LIC of India	585,277,878		ROC amount deposit with LIC	388,920,403
19,098,180	Annuity Payout from SBI Life	19,098,180		NR to DPT	316,591
381,497,914	Return of Purchase price by LIC of India				
196,118,913	Commutation Received From LIC of India	196,118,913		CLOSING BALANCE:	
1,046,500,020	Amount withdrawn from LIC Corpus fund	1,046,500,020	6,414	(a) With Union Bank of India, Gandhidham	6,592
1,982,129	Excess Pension Received Back	1,982,129	8,193,195	(b) With State Bank of India, Gandhidham	19,379,217
11,951,499	Pro-Rata Pension Received	11,951,499			
45,000	ROC received from lic	381,497,914	22,933,042,756	Investment in LIC	
-	contribution GAP funding from dtp	495,000,000		Policy no. 646362	15,019,762
-	monthly pension revert back	45,000		Policy no. 646391	23,906,821,070
-	Excess FMA				
25,776,820,166		27,911,335,499	25,606,914,108		27,911,335,499

As per our report of even dated

For Ashok Chhajed & Associates
Chartered Accountants
FRN 10064W

DEEPA BAHHOO
M No 122390
Partner
UDIN: 25122390BMHTPA1622

For Kandla Port Superannuation Scheme

FA & ASSOCIATES
Pension section
Kandla Port

Place : Gandhidham
Date: 21/05/2025

Place : Ahmedabad
Date: 21/05/2025

कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना
वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

2023-24	प्राप्तियां	2024-25	2023-24	भुगतान	2024-25
	बैंकों में अग्रशेष :		1,686,003,875	पेंशनभोगियों को भुगतान	1,656,857,472
6,396	(क) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गाँधीधाम में	6,414	-	अन्य पतनो को प्रदत्त यथानुपात पेंशन अंशदान	19,645,077
8,243,530	(ख) भारतीय स्टेट बैंक में	8,193,195			
				- अन्डरॉउन पेंशन	94,586
21,820,676,868	एलआईसी के साथ कॉर्पस निधि में निवेश			- पेंशन बकाया	429,971,200
	पॉलिसी संख्या 646362	13,894,822			
	पॉलिसी संख्या 646391	22,919,147,934	-	एलआईसी पॉलिसी सं. 646391 में भुगतान की गई राशि	1,243,193,783
	निधि पॉलिसी सं. 646391 के लिए जमा राशि	442,501,248			
				- कम्प्यूटेशन में भेद	45,229
	अर्जित ब्याज		127,167,708	पेंशनभोगी को दिया गया कम्प्यूटेशन	167,947,756
177	(क) यूनियन बैंक गांधीधाम पर	178	852,500,000	एलआईसी से प्राप्त कॉर्पस निधि का भुगतान	
264,221	(ख) भारतीय स्टेट बैंक पर	629,563	-	आयकर पर दिया गया टीडीएस	9,508,533
1,705,157,440	(ग) एलआईसी के साथ कॉर्पस फंड पर		159	बैंक प्रभार	-
	पॉलिसी संख्या 646362	1,124,940			
	पॉलिसी संख्या 646391	1,788,365,671			
				- एलआईसी को अतिरिक्त भुगतान की वापसी	53,608,227
585,277,878	एलआईसी ऑफ इंडिया से वार्षिकी भुगतान	585,277,878		- एलआईसी के पास आरओसी की जमा राशि	388,920,403
19,098,180	एसबीआई लाइफ से वार्षिकी भुगतान	19,098,180		- डीपीटी को एनआर	316,591
381,497,914	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्रय मूल्य की वापसी			इतिशेष:	
196,118,913	भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कम्प्यूटेशन	196,118,913			
1,046,500,020	एलआईसी कॉर्पस निधि से निकाली गई राशि	1,046,500,020	6,414	कॉर्पोरेशन बैंक के साथ	6,592
1,982,129	अतिरिक्त पेंशन की पुनः प्राप्ति	1,982,129	8,193,195	एसबीआई बैंक के साथ	19,379,217
11,951,499	यथानुपातिक पेंशन की प्राप्ति	11,951,499			
45,000	एलआईसी से प्राप्त आरओसी	381,497,914	22,933,042,756	एलआईसी में निवेश	
	डीटीपी से गैप फंडिंग में अंशदान	495,000,000		पॉलिसी संख्या 646362	15,019,762
	मासिक पेंशन की वापसी	45,000		पॉलिसी संख्या 646391	23,906,821,070
	अतिरिक्त एफएमए				
25,776,820,166		27,911,335,499	25,606,914,108		27,911,335,499

**KANDLA PORT SUPERANNUATION SCHEME
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2024-25**

AMOUNT 2023-24	INCOME	AMOUNT 2024-25	AMOUNT 2023-24	EXPENDITURE	AMOUNT 2024-25
1,70,54,21,838	ROC Annuities	39,94,36,467	1,68,60,03,875	Payment to Pensioners	2,26,47,41,369
	Interest Earned	6,79,563			
	FROM SBI - 6,29,563				
	FROM UBI - 178				
	FROM LIC-	11,24,940			
	Policy no. 646362	1,78,83,65,671			
	Policy no. 646391				
67,86,27,382	Monthly Annuity Pay Out from LIC	58,32,77,578	45,18,57,403	Annuity Purchase Price Written Off	43,90,65,977
2,03,36,348	Monthly Annuity Pay Out from SBI Life	1,90,98,180		Pro Rata Pension paid	1,96,65,077
7,99,986	Pension Received Back (Excess Payment Recovered)	20,27,129	31,13,249	Excess Annuity payment adjusted by LIC from ROC less PP refunds by LIC 391239683	-
18,83,368	Pre-Rata Pension Contribution Received from other Ports	1,19,51,499	199	Bank Charges	-
	Commutation claim received from lic	17,81,80,262		ROC Claim re-payment	44,25,01,248
	Cognus Regis Reports for pension payment	1,04,65,00,020		Excess Gratuity recovered & remitted to Superannuation Fund A/c.	27,82
39,43,32,932	Return of Corpus by LIC in respect of Expired Pensioners	49,50,00,000	66,04,47,168	Excess of Income over Expenditure carried over to Superannuation Fund A/C.	1,36,56,10,834
				Excess PMA	
2,80,14,21,854	TOTAL	4,52,75,91,887	2,80,14,21,854	TOTAL	4,52,75,91,887

As per our report of even dated

For Ashok Chhajed & Associates
Chartered Accountants
FRN 10064W



Deek
DEEPA BAHROO
M No 122390
Partner
UDIN: 2512390BMHTPA1022

Place : Ahmedabad
Date: 21/05/2025

For Kandla Port Superannuation Scheme

Deek

FA & CAO & TRUSTEE



कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना

वर्ष 2024-25 के लिए आय और व्यय लेखा

2023-24 को राशि	आय	2024-25 को राशि	2023-24 को राशि	व्यय	2024-25 को राशि
1,70,54,21,838	आरओसी वार्षिकी	39,94,36,467	1,68,60,03,875	पेंशनभोगियों को भुगतान	2,26,47,41,369
	अर्जित ब्याज				
	एसबीआई से - 6,29,563	6,29,563			
	यूबीआई से -178	178			
	एलआईसी से-				
	पॉलिसी संख्या 646362	11,24,940			
	पॉलिसी संख्या 646391	1,78,83,65,671			
67,86,27,382	एलआईसी द्वारा वार्षिकी भत्ते का मासिक भुगतान	58,52,77,878	45,18,57,403	वार्षिकी खरीद मूल्य को बट्टे खाते में डालना	43,50,65,977
2,03,36,348	एसबीआई लाईफ द्वारा वार्षिकी भत्ते का मासिक भुगतान	1,90,98,180	-	यथानुपातिक पेंशन का भुगतान	1,96,45,077
7,99,986	पेंशन की वापस प्राप्ति (अधिक भुगतान की वसूली)	20,27,129	31,13,249	एलआईसी 391239683 द्वारा पीपी रिफंड घटाकर, आरओसी से समायोजित कर अतिरिक्त वार्षिकी का भुगतान	-
18,83,368	अन्य पत्तनों से प्राप्त यथानुपात पेंशन अंशदान	1,19,51,499	159	बैंक प्रभार	-
	एलआईसी से प्राप्त कम्प्यूटेशन दावा	17,81,80,362		आरओसी द्वारा पुनर्भुगतान का दावा	44,25,01,248
	पेंशन भुगतान के लिए कॉर्पस रिपोर्ट	1,04,65,00,020			
39,43,52,932	एलआईसी द्वारा दिवंगत पेंशनभोगियों के संबंध में कॉर्पस की वापसी	49,50,00,000	66,04,47,168	अतिरिक्त उपदान वसूल की गई और के.पी.टी.ई.जी.एफ. में भेजी गई	27,382
				व्यय से अधिक आय को अधिवर्षिता निधि खाते में स्थानांतरित किया गया	1,36,56,10,834
				अतिरिक्त एफएमए	
2,80,14,21,854	कुल	4,52,75,91,887	2,80,14,21,854	कुल	4,52,75,91,887

**KANDLA PORT SUPERANNUATION SCHEME
ANNEXURE-1 SUPERANNUATION FUND ACCOUNT**

AMOUNT 2023-24	PARTICULARS	AMOUNT 2024-25
		34,24,77,68,743
33,58,73,10,575	Opening Balance as on 01.04.2024	
	Add:	
		1,36,56,10,834
66,04,58,168	Excess of Income over Expenditure	44,25,01,248
	- Amount credited in LIC Funds	
	Less:	
	Withdrawals of Fund	1,24,31,93,783
		34,81,26,87,042
34,24,77,68,743	Closing Balance as on 31.03.2025	



कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना
अनुलग्नक-1 अधिवर्षिता निधि खाता

राशि 2023-24	विवरण	राशि 2024-25
33,58,73,10,575	01.04.2024 को अथशेष	34,24,77,68,743
	जोड़ें:	
66,04,58,168	आय-व्यय की अधिकता	1,36,56,10,834
-	एलआईसी निधि में जमा राशि	44,25,01,248
	घटाएं:	
-	धन की निकासी	1,24,31,93,783
34,24,77,68,743	31.03.2025 को इतिशेष	34,81,26,87,042

KANDLA PORT SUPERANNUATION SCHEME
ANNEXURE-2 SHOWING INVESTMENTS WITH LIC AS ON 31.03.2025

Particulars	LIC of India		SBI		Total
	No. of Annuities	Amount	No. of Annuities.	Amount	
Opening balance of Investment in Annuities as on 01.04.2024	3758	10,08,58,28,514	139	18,72,87,822	10,27,31,16,336
Add: Annuities purchased during the year 2024-25					
Less: Reduction in value due to death or intimation of death of annuitants received during 2024-25					
(a) With ROP	123	38,52,28,993			38,52,28,993
(b) Without ROP	67	4,18,67,922	7	79,69,062	4,98,36,984
Closing Balance of Investment in Annuities as on 31.03.2025	3568	9,65,87,31,599	132	17,93,18,760	9,83,80,50,359



कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना

अनुलग्नक-2 दि. 31.03.2025 तक एलआईसी में निवेश को दर्शाता है।

विवरण	भारतीय जीवन बीमा निगम		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया		कुल
	वार्षिकी भत्ते की संख्या	राशि	वार्षिकी भत्ते की संख्या	राशि	
01.04.2024 तक वार्षिकी में निवेश का अथशेष	3758	10,08,58,28,514	139	18,72,87,822	10,27,31,16,336
जोड़ें: वर्ष 2024-25 के दौरान खरीदी गई वार्षिकी					
घटाएँ: 2024-25 के दौरान प्राप्त वार्षिकी धारकों की मृत्यु या मृत्यु की सूचना के कारण मूल्य में कमी					
(क) आर.ओ.पी. के साथ	123	38,52,28,993			38,52,28,993
(ख) आर.ओ.पी. के बिना	67	4,18,67,922	7	79,69,062	4,98,36,984
दि. 31.03.2025 तक वार्षिकी में निवेश का इतिशेष	3568	9,65,87,31,599	132	17,93,18,760	9,83,80,50,359

KANDLA PORT SUPERANNUATION SCHEME					
ANNEXURE-3 SHOWING DEPOSIT WITH LIC AS ON 31.03.2025					
POLICY NO.	OPENING BALANCE	INTEREST	AMOUNT CREDIT	AMOUNT PAID	CLOSING BALANCE
646391	22,91,91,47,934	1,78,83,65,671	44,25,01,248	1,24,31,93,783	23,90,68,21,069
646362	1,38,94,822	11,24,940			1,50,19,762
TOTAL	22,93,30,42,756	1,78,94,90,611	44,25,01,248	1,24,31,93,783	23,92,18,40,831



कंडला पोर्ट अधिवर्षिता योजना

अनुलग्नक-3 दि. 31.03.2025 तक एलआईसी में जमा राशि को दर्शाता है					
नीति संख्या-	अथशेष	ब्याज	जमा राशि	भुगतान की गई राशि	इतिशेष
646391	22,91,91,47,934	1,78,83,65,671	44,25,01,248	1,24,31,93,783	23,90,68,21,069
646362	1,38,94,822	11,24,940			1,50,19,762
कुल	22,93,30,42,756	1,78,94,90,611	44,25,01,248	1,24,31,93,783	23,92,18,40,831

KANDLA PORT TRUST SUPERANNUATION SCHEME (KPTSS)
NOTE FORMING PART OF ACCOUNTS OF KPTSS FY 2024-25

1 Basis of preparation of Financial Statement of KPTSS

Cash Basis of accounting is followed in the preparation of financial statement of Superannuation funds.

2 Contribution to Superannuation Funds

Based on actuarial valuation contribution to Superannuation funds is made.

3 Investments of KPTSS

The investments of KPTSS comprises of

- (a) Investment in Corpus Fund maintained with LIC of India, Rajkot.
- (b) Annuities in respect of retired employee purchase through LIC of India & SBI Life
- (c) Balance held with State Bank of India, Gandhidham & Union Bank, Gandhidham to finance the day to day obligation.

4 Income Tax

The amount paid to income tax department for the assessment year 2006-07 till 2017-18 has been shown in balance sheet as recoverable on the presumption that the appeal filed before Hon"ble Gujarat High Court/TAT/CIT(Appeals) will be decided in favour of trust and accordingly the same shall be adjusted against the future contribution payable by DPT.

5 Funding Status of KPTSS as on 31.03.2025 (In Crores)

Actuarial Valuation by LIC as on 31.03.2025		Total	Corpus Fund	Funding Status
Regular Employees	Pensioners			
1122.5	1269.68	2392.18	2392.18	Fully Funded



कंडला पत्तन न्यास अधिवर्षिता योजना (केपीटीएसएस)

केपीटीएसएस 24-25 के लेखाओं के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1.. केपीटीएसएस के वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

अधिवर्षिता निधि के वित्तीय विवरण तैयार करने में नकद आधार लेखांकन का पालन किया गया है।

2.. अधिवर्षिता निधि में अंशदान

अधिवर्षिता निधि में अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

3.. केपीटीएसएस का निवेश

केपीटीएसएस के निवेश में शामिल है

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम, राजकोट में रखी गई कॉर्पस निधि में वार्षिकी।

(ख) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वार्षिकी की खरीद भारतीय जीवन बीमा निगम और एसबीआई लाइफ से की गई।


(ग) दिन-प्रतिदिन की देयताओं को पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, गांधीधाम और यूनियन बैंक गांधीधाम के पास रखी जमा राशि।

4.. आयकर

आकलन वर्ष 2006-07 से 2017-18 तक आयकर विभाग को भुगतान की गई राशि को तुलनपत्र में इस संभावना के साथ वसूली योग्य दिखाया गया है कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय/आईटीएटी/सीआईटी (अपील) के समक्ष दायर अपील का फैसला न्यास के पक्ष में होगा और तदनुसार वह दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा भविष्य के देय अंशदान के साथ समायोजित किया जाएगा।

5 31.03.2025 तक केपीटीएसएस की वित्तीय पोषण स्थिति (करोड़ रु. में)

31.03.2025 तक एलआईसी द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन		कुल	कॉर्पस निधि	वित्तपोषण स्थिति
नियमित कर्मचारी	पेंशनभोगी			
1122.5	1269.68	2392.18	2392.18	पूरी तरह से वित्त पोषित



DEENDAYAL PORT AUTHORITY

**SEPARATE AUDIT REPORT FOR THE YEAR
2024-25 WITH ACTION TAKEN REPORT
ON AUDIT OBSERVATIONS CONTAINED IN
THE REPORT**



दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

वर्ष 2024-25 का वार्षिक लेखा तथा लेखा
परीक्षा रिपोर्ट और तत्संबंधित कारवाई से
सम्बंधित टिप्पणियां

Separate Audit Report on the Accounts of Deendayal Port Authority for the year ended 31 March 2025

Para of the SAR	Action Taken Note
<p>Opinion</p> <p>We have audited the financial statements of Deendayal Port Authority, which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 44 (2) of the Major Port Authority Act, 2021. These financial statements include the accounts of units/branches of the Deendayal Port Authority.</p> <p>This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.</p> <p>In our opinion the accompanying financial statements of Deendayal Port Authority, read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, give a true and fair view of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with format applicable to the Deendayal Port Authority.</p> <p>Basis for Opinion</p> <p>We conducted our audit in accordance with the CAG'S auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in</p>	<p>Factual Position</p>

दीनदयाल पतन प्राधिकरण के दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लेख से संबंधित पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

पृथक लेखा परीक्षा अनुच्छेद	अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां
<p>अभिप्राय</p> <p>महापतन प्राधिकरण अधिनियम 2021 की धारा 44(2) के साथ पठित नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें अधिनियम (1971 की धारा 19(2) के अधीन हमने दीनदयाल पतन प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया, जिसमें 31 मार्च 2025 तक समाप्त वर्ष की वित्तीय स्थिति तथा आय एवं व्यय का विवरण और वित्तीय विवरण से संबंधित टिप्पणियां शामिल हैं। इसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की समीक्षा को भी समाविष्ट किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में दीनदयाल पतन प्राधिकरण की इकाइयों/शाखाओं के लेखा शामिल हैं।</p> <p>इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण पद्धति की समनुरूपता, लेखाकरण मानक तथा प्रकटन प्रतिमानों आदि से संबंधित लेखाकरण अभिक्रिया पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की (कैग) टिप्पणियाँ हैं। विधि, नियम तथा विनियम उपयुक्तता) तथा नियमितता निष्पादन पहलुओं-सह-के अनुपालन तथा दक्षता (देन पर लेखापरीक्षा के संप्रेक्षण-आदि से संबंधित वित्तीय लेन, यदि कोई हों तो, निरीक्षण रिपोर्ट कैग के लेखापरीक्षा/</p> <p>हमारे अभिप्राय के अनुसार दीनदयाल पतन प्राधिकरण के वित्तीय विवरण, पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित लेखांकन नीतियों और की गई टिप्पणियों तथा मामले के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण मिलता है। और दीनदयाल पतन प्राधिकरण पर लागू प्रारूप के अनुसार, समाप्त वित्त वर्ष में वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का भी सही और निष्पक्ष विवरण मिलता है।</p> <p>अभिप्राय हेतु आधार</p> <p>हमने यह लेखापरीक्षा नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा विनियम/मानक/मैनुअल/दिशा-निर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियाँ/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार किया। हमारे रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए हमारे उत्तरदायित्वों के संबंध में लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में बताया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं के संबंध में स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं,</p>	<p>वास्तविक स्थिति है।</p>

<p>accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.</p> <p>Responsibilities of Management for the financial statements</p> <p>The Board of Deendayal Port Authority is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with format applicable to the Deendayal Port Authority, and for internal control as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.</p> <p>Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements</p> <p>Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance-notes/ orders/ circulars etc.</p>	
<p>A. Balance Sheet</p>	
<p>A.1 Current Assets (Schedule V): Inventories: ₹0.90 crore</p>	
<p>As per Common Framework for Financial Reporting (CFFR) provisions for major ports, Inventories should be valued at lower of weighted average cost or net realizable value and a policy for the depreciation of slow/non-moving items of inventory needs to be formulated. However, in deviation from the CFFR provisions, the port has adopted moving weighted average method for valuation of inventory and no depreciation policy has been adopted for the store items. In view of the above, the correctness of the value of the above, the correctness of the value of Inventories ₹0.90 crore disclosed in the Balance Sheet could not be vouchsafed.</p> <p>This observation is being raised in the accounts since 2023-24.</p>	<p>Policy for valuation of Inventories and for provision for slow moving/non-moving items in inventory has been proposed in Common Framework for Financial Reporting (CFFR) as per Major Port Authorities Act, 2021 and shall be followed upon implementation.</p>

<p>जो वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में प्रासंगिक है। और इन आवश्यकताओं के अनुसार हमने अन्य नैतिक आवश्यकताओं को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा हेतु साक्ष्य हमारे अभिप्राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है।</p> <p>वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व</p> <p>दीनदयाल पतन प्राधिकरण बोर्ड, प्राधिकरण पर लागू प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति तथा आंतरिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यह प्रबंधन निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाए, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले गलत विवरणों से मुक्त हों।</p> <p>वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व</p> <p>इसके संबंध में हमारा उद्देश्य उचित विश्वास प्राप्त करना है कि समय वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार के गलत विवरण से मुक्त हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा विनियमों/ मानकों/ मैनुअल/ दिशानिर्देशों/ मार्गदर्शन-टिप्पणियों/ आदेशों/ परिपत्रों आदि के अनुसार हमारे अभिप्राय समाविष्ट हों ।</p>	
<p>क. तुलनपत्र</p>	
<p>क.1 चालू परिसंपत्तियां (अनुसूची V): वस्तुसूची: ₹0.90 करोड़</p>	
<p>महापतनों के लिए सामान्य वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा (सीएफएफआर) के प्रावधानों के अनुसार वस्तुसूची का मूल्यांकन भारित औसत लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाना चाहिए तथा वस्तुसूची की धीमी/नहीं चलती हुई वस्तुओं के मूल्यहास के लिए पॉलिसी तैयार की जानी चाहिए। लेकिन, सीएफएफआर प्रावधानों के विचलन में, पोर्ट ने वस्तुसूची के मूल्यांकन के लिए चल भारित औसत पद्धति को अपनाया है और भंडार की वस्तुओं के लिए कोई मूल्यहास नीति नहीं अपनाई गई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यथोक्त मूल्य की सत्यता को तुलनपत्र में दर्शाई गई वस्तुसूची की ₹0.90 करोड़ के मूल्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।</p> <p>यह संप्रेक्षण 2023-24 से लेखा-खातों में उठाया जा रहा है।</p>	<p>महापतन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अनुसार, सामान्य वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा (सीएफएफआर) में वस्तुसूची के मूल्यांकन तथा वस्तुसूची में धीमी गति से चलने वाली/नहीं चलने वाली वस्तुओं के प्रावधान के लिए पॉलिसी को प्रस्तावित किया गया है और कार्यान्वयन के बाद इसका पालन किया जाएगा।</p>

A.2 Current Liabilities & Provisions (Schedule VII)	
A.2.1 Integrated Goods and Service Tax: ₹7.41 crore	
<p>The bills worth Rs 2.02 crore were recorded twice under income from Dry Dock charges, leading to GST of Rs 0.35 crore also being booked twice. As a result, both current liabilities and current assets were overstated by Rs 0.35 crore</p>	<p>The Income Module under ERP has been implemented partially for Cargo & Marine related services. Dry-Dock income is posted manually in SAP and due to oversight, income of Rs.2.02 crore with GST liability of Rs.0.35 crore were erroneously booked twice in SAP i.e. by CDC and Electrical Divisions both. Necessary rectification action has already been taken and the excess income and GST liability booked has been reversed with in the current financial year.</p> <p>GST liability though booked twice but the same has been correctly discharged based on invoice. The GST liability as per books and GST Return shall be further reconciled by the GST consultant at the time of filing of GSTR 9 (C) and shall be rectified in current financial year.</p> <p>However, observation of audit is noted and proper check and control shall be exercised henceforth to avoid duplication while posting in SAP.</p>
A.2.2 Provision for Deferred Tax Liability: ₹97.89 crore	
<p>As per paragraph 30 of Accounting Standard 22 (Accounting for Taxes on Income), deferred tax assets and liabilities should be distinguished from assets and liabilities representing current tax for the period and disclosed under a separate heading in the balance sheet, separately from current assets and current liabilities. Paragraph 30 also states that deferred tax liabilities (net of deferred tax assets, if any) may be disclosed on the face of the balance sheet separately after the head 'Unsecured Loans'.</p> <p>However, it was observed that deferred tax liability amounting to Rs 97.89 crore was included under Current Liabilities & Provisions. As a result, current liabilities & provisions were overstated and working capital was understated by the same amount.</p>	<p>As far as recognition / measurement of taxes is concerned, there has not been any error.</p> <ul style="list-style-type: none"> From F.Y. 2008-09 onwards, the Claim of Section 11 is dispensed with due to change in definition of charitable purpose and normal taxes were paid and deferred tax assets & liabilities recognized in F.Y. 2013-14 & 2014-15 as per consistent practice under the group Current Liabilities and Provisions in Schedule 7 to Balance Sheet. The observation of Audit regarding Classification and Presentation is noted and necessary disclosure shall be made as per the new Common Framework for Financial Reporting (CFFR) under Major Port Authorities Act. 2021 which is under finalization.

क.2 चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची VII)	
क.2.1 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर: ₹7.41 करोड़	
<p>शुष्क गोदी प्रभार से आय के रूप में 2.02 करोड़ रुपये के बिल दो बार दर्ज किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 0.35 करोड़ रुपये का जीएसटी भी दो बार दर्ज किया गया। इस कारण चालू देयताएं और चालू परिसंपत्तियों दोनों को 0.35 करोड़ रुपये अधिक बताया गया।</p>	<p>कार्गो एवं समुद्री सेवाओं के लिए ईआरपी के अंतर्गत आय मॉड्यूल को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया गया। शुष्क गोदी आय को सेप में मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता है। गलती से 2.02 करोड़ रुपये की आय के साथ 0.35 करोड़ रुपये की जीएसटी देयता को सेप में दो बार दर्ज कर दिया गया अर्थात् सीडीसी और विद्युत प्रभाग दोनों के द्वारा किया गया। आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। अतिरिक्त आय और जीएसटी देयता को चालू वित्तीय वर्ष में वापस कर दिया गया है।</p> <p>जीएसटी देयता यद्यपि दो बार दर्ज की गई थी, लेकिन चालान के आधार पर उसका सही ढंग से भुगतान किया गया है। लेखाबहियों और जीएसटी रिटर्न के अनुसार जीएसटी देयता को जीएसटी परामर्शदाता द्वारा जीएसटीआर 9 (सी) भरते समय फिर से मेल कराया जाएगा और चालू वित्तीय वर्ष में सुधार किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा का संप्रेक्षण नोट कर लिया गया है और सेप में पोस्टिंग करते समय दोहराव से बचने के लिए उचित जांच और नियंत्रण किया जाएगा।</p>
क.2.2 आस्थगित कर देयता के लिए प्रावधान: ₹97.89 करोड़	
<p>लेखांकन मानक 22 (आय कर के लिए लेखांकन) के अनुच्छेद 30 के अनुसार, आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस अवधि के चालू कर का प्रतिनिधित्व करने वाली परिसंपत्तियों और देयताओं से अलग किया जाना चाहिए और तुलनपत्र में चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं से अलग शीर्षक के तहत दिखाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 30 में भी कहा गया है कि आस्थगित कर देयताओं (शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां, यदि कोई हो) को तुलनपत्र के मुखपृष्ठ पर 'असुरक्षित ऋण' शीर्षक के तहत अलग से प्रकट किया जा सकता है।</p> <p>लेकिन यह देखा गया कि 97.89 करोड़ रुपये की आस्थगित कर देयता को चालू देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया। परिणामस्वरूप, चालू देयताओं और प्रावधानों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है तथा कार्यशील पूंजी को भी उसी मात्रा में कम करके बताया गया।</p>	<p>जहां तक करों के पहचान/मापन का प्रश्न है, इसमें कोई त्रुटि नहीं हुई है।</p> <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय वर्ष 2008-09 से, चैरिटी उद्देश्य की परिभाषा में परिवर्तन के कारण धारा 11 के दावे को समाप्त कर दिया गया है और सामान्य करों का भुगतान किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 में तुलनपत्र की अनुसूची 7 में समूह की चालू देयताएं और प्रावधानों के तहत प्रचलित अभ्यास के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मान्यता दी गई है। वर्गीकरण तथा प्रस्तुति से संबंधित लेखापरीक्षा के संप्रेक्षण को नोट कर लिया गया है और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत नए सामान्य वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे (सीएफएफआर) के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

<p>Further, while calculating capital employed, assets held for disposal amounting to Rs 1.10 crore was also not included with Fixed Assets. Consequently, due to the inclusion of deferred tax liability in current liabilities and the exclusion of assets held for disposal from fixed assets, capital employed was understated by Rs 98.99 crore.</p> <p>Impact on Statutory Reserves: Due to the understatement of capital employed, required contributions towards 3% Reserve for Replacement Rehabilitation & Modernization and 3% Reserve for Development Repayment & Contingencies of capital employed were made short by Rs 5.94 crore (Rs 2.97 crore each). This has resulted in overstatement of General Reserves and understatement of Statutory Reserves by the same amount.</p>	
<p>A.2.3 Corporate Environment Responsibility Fund</p>	
<p>The Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEFCC) has prescribed (1 May 2018), maximum percentage for allocation of fund towards Corporate Environment Responsibility (CER). It further stated that the fund allocation for the CER shall be deliberated in the Expert Appraisal Committees (EAC) or SEAC (State Expert Appraisal Committees) or District Level Expert Appraisal Committee (DEAC) as the case may be. The Port has decided to earmark Rs 14.26 crore for CER, relating to four projects.</p> <p>Audit, however, noticed that despite the decision, the Port did not create reserve fund for CER in the books of accounts. It was also notice that during the year 2024-25 an amount of Rs 5.66 crore was incurred as CER expenses. Thus, non-creation of separate earmarked fund for CER has resulted in understatement of current liabilities and overstatement of profits by Rs 8.60 crore.</p>	<p>In compliance of audit observation, separate earmarked fund of Rs.8.60 Cr for CER has been created in the current Financial Year vide TEO dated 10.09.2025. (copy furnished to Audit)</p>
<p>B. Profit & Loss Account</p>	
<p>B.1 Operating Income ₹2820.01 crore</p>	
<p>B.1.1 Port & Dock Charges: ₹1467.93 crore</p>	
<p>The above included Rs 7.42 crore (excluding GST) income from dry docking charges. On a review of the same, audit noticed the following:</p> <p>a) Bills amounting to Rs 2.02 crore were booked twice in the books of accounts.</p>	<p>a) Income of Rs.2.02 Cr booked twice has been reversed with in the current financial year. An income of Rs.0.71 crore (working attached) was inadvertently overbooked under the dry dock income code.</p>


<p>इसके अलावा, नियोजित पूंजी की गणना करते समय, निपटान के लिए रखी गई 1.10 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों को भी अचल परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया। चालू देयताओं में आस्थगित कर देयता को शामिल करने तथा निपटान करने हेतु रखी गई परिसंपत्तियों को अचल परिसंपत्तियों से निकाले जाने के कारण, नियोजित पूंजी 98.99 करोड़ रुपये कम आंकी गई है।</p> <p>सांविधिक आरक्षिति पर प्रभाव: नियोजित पूंजी के न्यूनोक्ति के कारण, प्रतिस्थापन पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण के लिए 3% आरक्षिति तथा नियोजित पूंजी के विकास पुनर्भुगतान एवं आकस्मिकताओं के लिए 3% आरक्षिति के लिए अपेक्षित अंशदान 5.94 करोड़ रुपये (प्रत्येक 2.97 करोड़ रुपये) कम हो गया। परिणामस्वरूप सामान्य आरक्षिति को बढ़ा-चढ़ा कर तथा सांविधिक आरक्षिति को उस हिसाब से कम बताया गया है।</p>	
<p>क.2.3 निगमित पर्यावरण उत्तरदायित्व निधि</p>	
<p>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने निगमित पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर) के लिए निधि आबंटन हेतु अधिकतम प्रतिशत निर्धारित (1 मई 2018) किया है। इसमें आगे कहा है कि सीईआर के लिए धन आबंटन पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (ईएसी) या एसईएसी (राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों) या जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (डीईएसी) में विचार-विमर्श किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। पत्तन ने चार परियोजनाओं से संबंधित सीईआर के लिए 14.26 करोड़ रुपये अनुदान करने का निर्णय लिया है।</p> <p>लेकिन, लेखापरीक्षा में पाया कि निर्णय के बावजूद, पत्तन ने लेखाबहियों में सी.ई.आर. के लिए आरक्षित निधि तय नहीं की है। यह भी संज्ञान में लिया गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान सी.ई.आर. व्यय के रूप में 5.66 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इस प्रकार, सीईआर के लिए अलग से निर्धारित निधि का आबंटन नहीं किए जाने के कारण चालू देयताओं की न्यूनोक्ति की गई और लाभ की रु. 8.60 करोड़ अत्युक्ति की गई है।</p>	<p>लेखापरीक्षा संप्रेक्षण के अनुपालन में, चालू वित्तीय वर्ष में सीईआर के लिए 8.60 करोड़ रुपये की अलग से निधि टी.ई.ओ. दिनांक 10.09.2025 के तहत बनाई गई है। (लेखापरीक्षा को प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई)</p>
<p>ख. लाभ और हानि खाता</p>	
<p>ख.1 परिचालन आय ₹2820.01 करोड़</p>	
<p>ख.1.1 पत्तन एवं गोदी प्रभार : ₹1467.93 करोड़</p>	
<p>यथोक्त में शुष्क गोदी प्रभार से प्राप्त 7.42 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) की आय शामिल है। इसकी समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:</p> <p>क) लेखाबहियों में 2.02 करोड़ रुपये के बिलों को दो बार दर्ज किया गया।</p>	<p>क) चालू वित्त वर्ष में दो बार दर्ज की गई 2.02 करोड़ रुपये की आय को वापस कर दिया गया है। शुष्क गोदी आय कोड के तहत 0.71 करोड़ रुपये (कार्यरत जोड़ा गया) की आय अनजाने में अधिक बुक की गई थी।</p>

<p>Further, an amount of Rs 0.71 crore was also accounted for which the Port has replied that this was booked inadvertently in the books of accounts. Thus the income was overstated by Rs 2.73 crore</p> <p>b) Further, as per the accounting policy, revenue was to be recognized on the completed service method. However, audit noticed that Port has accounted for a bill amounting to Rs 0.49 crore in the current year for which service was completed in next financial year i.e., April 2025. Thus, booking of this income, in the current financial year, was not in accordance with the stated policy and resulted in overstatement of income by Rs 0.49 crore. Thus, in view of above the income, profit was overstated by Rs 3.22 crore and current liabilities were overstated by Rs 3.22 crore.</p>	<p>However, GST has been paid correctly on the advance amount. Accordingly, GST compliance has been met. The overbooked income will be rectified by issuing appropriate credit notes in the current financial year. GST adjustment will also be taken care in GSTR-9C for FY 24-25.</p> <p>b) Necessary corrective action for bills amounting to Rs 0.49 Cr shall be taken in current financial year.</p> <p>However, observation of audit is noted and proper check and control shall be exercised henceforth to avoid error in future.</p>
<p>B.1.2 Freehold Conversion Fees: ₹4.66 crore</p> <p>The Union Cabinet gave its approval (09.01 2014) for the conversion of leasehold land to freehold land for leasehold residential part of the land at Gandhidham, leased out by Kandla Port Trust (KPT) (Now Deendayal Port Authority) and also residential part of land sub-leased by Sindhu Resettlement Corporation (SRC) Limited at Gandhidham and Adipur. Till March 2024, land deeds relating to 26.87 acres of land were processed by the Port and charged conversion fee amounting to Rs 16.29 crore. During the year 2024-25, land deeds for an additional 10.35 acres of land were processed and charged conversion fee amounting to Rs 3.92 crore. Thus, by March 2025, land deeds for a total of 37.22 acres, With a cumulative conversion fee of Rs 20.21 crore, had been processed by the Port.</p> <p>As per Common Framework for Financial Reporting (CFFR) applicable to Major ports, any capital profit on sale of fixed assets and investments should be credited to the profit and loss account and the amount equal to the profit on disposal of assets should be transferred to capital reserve before the appropriation of net profits.</p> <p>In this regard, audit observed that during the current year DPA has charged Rs 3.92 crore as conversion fee, however, only Rs 2.29 crore was accounted for as revenue under Freehold Conversion Fees.</p>	<p>1. The applications for conversion from Leasehold to freehold are processed after obtaining the Board's approval. Thereafter, Demand letter is issued to the Property holders for making payment of conversion fee. Accordingly, conversion fees of Rs.2.29 Cr has been received in F.Y 2024-25 and accounted for in the books of accounts as per the consistent practice.</p> <p>After receipt of conversion fee, Draft Deed of Conveyance is prepared and, on its approval, fair copies of the same are sent to the property holder to stamping, signing and witnessing. After receipt of the same back from the applicant the document is send for execution after legal vetting and for Secretary, DPA's signature and for affixing the common Seal of the Board. The date of signature by Secretary, DPA in the document is the date of execution of Deed of conveyance. Hence, the date of payment of conversion fee and the date of execution of conveyance deed is different.</p> <p>2. The classification, presentation and accounting treatment of Conversion Fees in the books has consistently being done as revenue in Profit & Loss account.</p>

<p>इसके अलावा, रुपये 0.71 करोड़ की राशि को भी लेखांकित किया गया, जिसके संबंध में पत्तन ने उत्तर दिया है कि यह राशि अनजाने में लेखाबहियों में दर्ज हो गई। इस प्रकार आय में रु. 2.73 करोड़ की अत्युक्ति की गई है।</p> <p>ख) इसके अलावा, लेखांकन नीति के अनुसार, राजस्व को पूर्ण सेवा पद्धति पर मान्यता दिया जाना था। लेकिन, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पत्तन ने चालू वर्ष में रु. 0.49 करोड़ का बिल दिया, जिसकी सेवा अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् अप्रैल 2025 में पूरी होनी है। इस प्रकार, चालू वित्त वर्ष में इस आय की बुकिंग, घोषित नीति के अनुरूप नहीं है और</p> <p>इसके परिणामस्वरूप आय में 0.49 करोड़ रुपये की अत्युक्ति हुई।</p> <p>इस प्रकार उपरोक्त आय को देखते हुए, लाभ की रु. 3.22 करोड़ अत्युक्ति की गई है और चालू देयताओं की रु. 3.22 करोड़ की अत्युक्ति की गई है।</p>	<p>लेकिन, अग्रिम राशि पर जीएसटी का भुगतान सही ढंग से किया गया है। तदनुसार, जीएसटी का अनुपालन पूरी तरह से किया गया है। चालू वित्त वर्ष में उचित क्रेडिट नोट जारी करके अधिक बुक किए गए आय को सही कर दिया जाएगा। वित्त वर्ष 24-25 के लिए जीएसटीआर-9सी में जीएसटी समायोजन का भी ध्यान रखा जाएगा।</p> <p>ख) चालू वित्त वर्ष में रु. 0.49 करोड़ तक के बिलों के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p> <p>हालांकि, लेखापरीक्षा के संप्रेक्षणों को नोट कर लिया गया है तथा भविष्य में त्रुटि से बचने के लिए उचित जांच और नियंत्रण किया जाएगा।</p>
<p>ख.1.2 फ्रीहोल्ड रूपांतरण शुल्क: ₹4.66 करोड़</p>	
<p>केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गांधीधाम में कंडला पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) (अब दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण) द्वारा लीज़होल्ड भूमि के आवासीय भाग के लिए लीज़होल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड भूमि में परिवर्तित करने के लिए अपना अनुमोदन (09.01.2014) को प्रदान किया तथा गांधीधाम और आदिपुर में सिंधु पुनर्वास निगम (एसआरसी) लिमिटेड द्वारा सब-लीज़ पर दी गई भूमि के आवासीय भाग के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया। मार्च 2024 तक, 26.87 एकड़ भूमि से संबंधित भूमि के दस्तावेजों पर पत्तन द्वारा कार्रवाई की गई और रूपांतरण शुल्क के रूप में रु. 16.29 करोड़ वसूला गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, अतिरिक्त 10.35 एकड़ भूमि के दस्तावेजों पर कार्रवाई की गई और रु. 3.92 करोड़ रूपांतरण शुल्क वसूला गया। इस प्रकार, मार्च 2025 तक, पत्तन द्वारा कुल 37.22 एकड़ भूमि के दस्तावेजों पर कार्रवाई की गई, जिन पर कुल 20.21 करोड़ रुपये का रूपांतरण शुल्क लगाया गया था।</p> <p>महापत्तनों पर लागू सामान्य वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे (सीएफएफआर) के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों और निवेशों की बिक्री पर किसी भी पूंजीगत लाभ को लाभ तथा हानि खाते में जमा किया जाना चाहिए। परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ के बराबर राशि को शुद्ध लाभ के विनियोजन से पूर्व पूंजी आरक्षिति में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि चालू वर्ष के दौरान डीपीए ने रूपांतरण शुल्क के रूप में 3.92 करोड़ रुपये वसूले, जबकि फ्रीहोल्ड रूपांतरण शुल्क के अंतर्गत राजस्व के रूप में मात्र 2.29 करोड़ रुपये ही दर्ज किए गए।</p>	<p>1. लीज़होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन करने हेतु आवेदनों पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की गई। इसके बाद, रूपांतरण शुल्क के भुगतान हेतु संपत्ति धारकों को मांग पत्र जारी किया गया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 2.29 करोड़ रूपांतरण शुल्क प्राप्त हुआ। और इसे प्रचलित अभ्यास के अनुसार लेखाबहियों में लेखांकित किया गया।</p> <p>रूपांतरण शुल्क प्राप्त होने के बाद, हस्तांतरण विलेख का मसौदा तैयार किया गया और उसके अनुमोदन के बाद, उसकी स्वच्छ प्रतिलिपियाँ संपत्ति धारक को मुहर लगाने, हस्ताक्षर करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भेजी गई। आवेदक से वापस प्राप्त होने के बाद, दस्तावेज़ को कानूनी जाँच और सचिव, डीपीए के हस्ताक्षर तथा बोर्ड की मुहर लगाने के बाद निष्पादन के लिए भेजा गया। दस्तावेज़ में सचिव, डीपीए द्वारा हस्ताक्षर की तिथि ही हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की तिथि होती है। इसलिए, रूपांतरण शुल्क के भुगतान की तिथि और हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की तिथि अलग-अलग होती है।</p> <p>2. लेखाबहियों में रूपांतरण शुल्क का वर्गीकरण, प्रस्तुति और लेखांकन उपचार लगातार लाभ और हानि खाते में राजस्व के रूप में किया जा रहा है।</p>

<p>Thus, there is short booking of Rs 1.63 crore in the books of accounts as conversion fee in financial year 2024-25.</p> <p>It was further observed that since the implementation of the scheme, DPA has been booking conversion fee in Profit and Loss Account but failed to transfer the same to the Capital Reserves, in accordance with applicable CFFR Framework. The non-transfer of the amount equivalent to the profit on disposal of assets to Capital Reserve has resulted in understatement of Capital Reserve and overstatement of General Reserves by Rs 20.21 crore.</p>	<p>However, in view of the Audit observation, opinion of the Consultant has been obtained (copy enclosed), wherein it is opined that, DPA should transfer the revenue from conversion of leasehold property to freehold property in to capital reserve account from FY 2025-26.</p> <p>Accordingly, corrective action shall be taken as suggested by Audit in the current Financial Year.</p>
<p>C. General</p>	
<p>Notes Forming Parts of the Accounts</p>	
<p>As per notes to accounts (Revenue from PPP Projects), the Port has appointed Chartered Accountant firms as special auditors to verify revenue due from the BOT projects. It further stated that pending receipt of Final Audit Report of such PPP Projects, revenue is recognized based on fire certification by the firm in the accounts .If any short claim is noticed by CA, then the same will be recognized on raising the claim and its acceptance by PPP operator.</p> <p>In this regard audit observed that, as per records produced, the Special auditors appointed for the BOT projects had suggested a recovery of Rs 121.22 crore for the period from 2014-15 to 2023-24 from two concessionaires. The status of the recovery against the above dues pointed out in the Special Audit Reports and the balance amount recoverable as on 31 March 2025 was not disclosed in the above Note</p> <p>The observation is being raised by Audit since year 2023-24.</p>	<p>DPA has appointed M/s. Ashok Chajjed, CA Firm, Ahmedabad, empaneled with the Office of C&AG, as Special Auditors to verify the revenues due from the BOT projects. Pending receipt of Final Audit Report of such PPP Projects, revenue is recognized based on the certification by the Auditor. If any short claim is noticed by CA, then the same will be recognized on raising the claim and its acceptance by PPP operator.</p> <p>However, the position of recovery / balance recoverable towards the dues pointed out in the Special Audit Report shall be disclosed after due reconciliation by the concerned department henceforth.</p>
<p>D. Management Letter</p>	
<p>Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of Management Letter issued separately for remedial/corrective action.</p>	<p>Factual Position</p>

<p>इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में रूपांतरण शुल्क के रूप में लेखाबहियों में 1.63 करोड़ रुपये की कम बुकिंग की गई है।</p> <p>आगे यह भी पाया गया कि योजना के कार्यान्वयन के बाद से, डीपीए लाभ और हानि खाते में रूपांतरण शुल्क दर्ज कर रहा है, लेकिन लागू सीएफएफआर ढाँचे के अनुसार, इसे पूंजी आरक्षिति में स्थानांतरित करने में विफल रहा है। परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ के समतुल्य राशि को पूंजी आरक्षिति में स्थानांतरित न करने के कारण पूंजी आरक्षिति की न्यूनोक्ति हुई है तथा सामान्य आरक्षिति में रु. 20.21 करोड़ की अत्युक्ति की गई है।</p>	<p>हालाँकि, लेखापरीक्षा अवलोकन के मददेनजर, परामर्शदाता की राय प्राप्त कर ली गई है (प्रति संलग्न), जिसमें यह राय व्यक्त की गई है कि, डीपीए को लीजहोल्ड संपत्ति को फ्रीहोल्ड संपत्ति में परिवर्तित करने से प्राप्त राजस्व को वित्त वर्ष 2025-26 से पूंजी आरक्षित खाते में स्थानांतरित करना चाहिए।</p> <p>तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p>ग. सामान्य</p>	
<p>लेखा के भाग रूप टिप्पणियां</p> <p>लेखा टिप्पणियों (पीपीपी परियोजनाओं से राजस्व) के अनुसार, पत्तन ने बीओटी परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व के सत्यापन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को विशेष लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इसमें आगे कहा गया है कि पीपीपी परियोजनाओं की अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्राप्त होने तक, खातों में फर्म द्वारा अंतिम प्रमाणीकरण के आधार पर राजस्व की पहचान की गई। यदि सीए द्वारा इसमें कोई गलत दावे को पाया जाता है, तो उस दावे को माना जाएगा तथा पीपीपी ऑपरेटर द्वारा भी उसे स्वीकार किया जाएगा।</p> <p>इस संबंध में लेखापरीक्षक ने पाया कि प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, बीओटी परियोजनाओं के लिए नियुक्त विशेष लेखा परीक्षकों ने दो रियायतग्राहियों से 2014-15 से 2023-24 की अवधि के लिए 121.22 करोड़ रुपये की वसूली का सुझाव दिया था। विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उपरोक्त बकाया राशि की वसूली की स्थिति को बताया गया तथा 31 मार्च 2025 तक वसूली योग्य शेष राशि को उपरोक्त नोट में प्रकट नहीं किया गया है। यह संप्रेक्षण लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2023-24 से किया जा रहा है।</p>	<p>डीपीए ने सीए फर्म, अहमदाबाद, मेसर्स अशोक छाजेड को, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय से सूचीबद्ध है, बीओटी परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व के सत्यापन हेतु विशेष लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ऐसी पीपीपी परियोजनाओं की अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने तक, लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर राजस्व की पहचान की गई। यदि सीए द्वारा कोई गलत दावा देखा जाता है, तो दावा प्रस्तुत करने पर उसे मान्यता दी जाएगी तथा पीपीपी ऑपरेटर द्वारा उसे स्वीकार किया जाएगा।</p> <p>हालांकि, अब से विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दिखाई गई वसूली/वसूलने योग्य शेष बकाया की स्थिति का प्रकटीकरण संबंधित विभाग द्वारा उचित समाधान के बाद किया जाएगा।</p>
<p>घ. प्रबंधन पत्र</p>	
<p>पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जो कमियां समाविष्ट नहीं की गई हैं उन्हें प्रबंधन के ध्यान में लाया गया, जिसके उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से पत्र जारी किया गया।</p>	<p>वास्तविक स्थिति है।</p>

E. Assessment of Internal Controls	
(i) Adequacy of Internal Control System:	
On a review of Internal Control system, it was observed that the balance confirmation are not being obtained	All port related charges are collected in advance. As such, confirmation of balances is not being called for from customers.
(ii) Adequacy of Internal Audit System:	
The Internal Audit of the Port for the year 2024-25 was completed.	Factual Position
(iii) System of Physical verification of fixed assets	
: Physical Verification for the year 2024-25 was conducted.	Factual Position
(iv) System of Physical verification of inventory:	
The Port has not adopted any depreciation policy on the store items.	Depreciation policy on store items has been proposed in Common Framework for Financial Reporting (CFFR) as per Major Port Authorities Act, 2021 and shall be followed upon implementation.
(v) Regularity in payment of statutory dues:	
DPA was regular in depositing undisputed statutory dues.	Factual Position
F. Grants in aid	
Out of Grants in aid of ₹19.06 crore received during the year, the Port Authority utilized the same.	Factual Position
--sd--	
PDA (Shipping)	FA & CAO
Place: Mumbai	Place: Gandhidham
Dated : 24.10.2025	Dated : 07.11.2025

च. आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन	
(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रयाप्तता:	
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि शेष राशि की पुष्टि नहीं हो रही है।	सभी पतन संबंधित प्रभार अग्रिम रूप से लिए जा चुके हैं। इसलिए, ग्राहकों से शेष राशि की पुष्टि नहीं मांगी जा रही है।
(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रयाप्तता:	
वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पूर्ण हुई।	वास्तविक स्थिति है ।
(iii) स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	
: वर्ष 2024-25 के लिए भौतिक सत्यापन किया गया।	वास्तविक स्थिति है ।
(iv) वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:-	
पतन ने भंडार मदों पर कोई मूल्यहास नीति नहीं अपनाई है।	महापतन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अनुसार सामान्य वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे (सीएफएफआर) में भंडार मदों पर मूल्यहास नीति प्रस्तावित की गई है। और कार्यान्वयन के बाद इसका पालन किया जाएगा।
(v) सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता:	
दीनदयाल पतन प्राधिकरण अविवादित सांविधिक बकायों को नियमित रूप से जमा कर रहा है।	वास्तविक स्थिति है ।
छ. सहायता अनुदान	
वर्ष के दौरान ₹19.06 करोड़ राशि सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई, पतन द्वारा समान राशि का उपयोग किया गया।	वास्तविक स्थिति है ।
-- हस्ताक्षरित--	
पी.डी.ए. (पोत-परिवहन)	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
स्थान मुंबई : दिनांक : 24.10.2025	स्थान गांधीधाम : दिनांक : 07.11.2025